हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

17 मार्च, 1994

खण्ड 1, अंक 11

अधिकृत विवरण

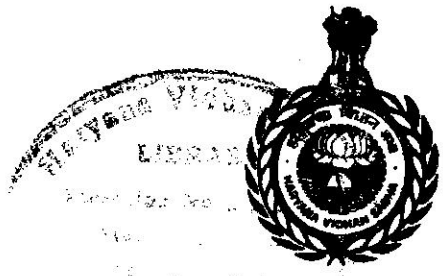

विषय सूची

वीरवार, 17 मार्च, 1994

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(11)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(11)19
विभिन्न विषयों का उठाया जाना	(11)20
ध्यानाकर्षण सूचनाएं	(11)28
ध्यानाकर्षण सूचना—	
कोल्ड स्टोरेज में बिजली की कम सप्लाई सम्बन्धी	
वक्तव्य—	(11)31
बिजली मन्त्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण सूचना सम्बन्धी	(11)32
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(11)35
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(11)35
संकल्प—	
(i) डा० सादिक हुसैन द्वारा लिखित एवं प्रकाशित पुस्तक "तहरीक-ए-मुजाहिदीन" पर प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी	
मूल्य :	(11)36

(ii) श्रीमती माया देवी, सदस्या, राज्य सभा द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति प्रयोग किए गए अभद्र शब्दों सम्बन्धी (11)38

समितियों की रिपोर्ट पेश करना—

(i) पब्लिक अकाउंटस कमेटी की 38वीं रिपोर्ट (11)39

(ii) आश्वासन समिति की 25वीं रिपोर्ट (11)39

(iii) कमेटी आन सबार्डीनेट लैजिस्लेशन की 25वीं रिपोर्ट (11)39

(iv) कमेटी आन दि वैलफेयर आफ शिड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शिड्यूल्ड ट्राईब्ज की 19वीं रिपोर्ट (11)40

बिल्ज/विधान कार्य

(i) दि पंजाब लैण्ड रैवेन्यू (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1994 (11)40

(ii) दि हरियाणा किसान पास बुक बिल, 1994 (11)43

वैयक्तिक स्पष्टीकरण—

(i) प्रो0 छत्तर सिंह चौहान द्वारा (11)48

(ii) श्री अमर सिंह द्वारा (11)49

दि हरियाणा किसान पास बुक बिल, 1994 (पुनरारम्भ) (11)49

(iii) दि हरियाणा म्युनिसिपल (अमैंडमैंट) बिल, 1994 (11)54

वाक आउट (11)64

दि हरियाणा म्युनिसिपल (अमैंडमैंट) बिल, 1994 (पुनरारम्भ) (11)64

(iv) दि हरियाणा पंचायती राज बिल, 1994 (11)65

सरकारी संकल्प—

नगरपालिकाओं का विघटन करने सम्बन्धी (11)95

वाक आउट (11)96

सरकारी संकल्प (पुनरारम्भ) (11)97

नियम 84 के अधीन प्रस्ताव—

(i) हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की वर्ष 1991–92 की प्रशासनिक रिपोर्ट (11)97

(ii) हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की वर्ष 1992–93 की 26वीं एनुअल स्टेटमैंट आफ अकाउंटस (11)97

(iii) हरियाणा स्टेट स्माल इंडस्ट्रीज एण्ड एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटिड की वर्ष 1991–92 की 25वीं एनुअल रिपोर्ट (11)103

मुख्य मन्त्री/उपाध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद (11)105

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 17 मार्च, 1994

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई । अध्यक्ष (चौधरी ईश्वर सिंह) ने अध्यक्षता की ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Hon'ble Members, the Question Hour.

Setting up of New Industries

*787. **Prof. Ram Bilas Sharma** : Will the Minister for Industries be pleased to state whether any new industries have been set up in the State during 1992-93, if so, the number thereof, togetherwith the number of industries belonging to Non-Resident Indians (N.R.Is.) amongst them ?

Industries Minister (Shri Lachhman Dass Arora) : 58 Large & Medium and 6740 Small Scale Industrial units were set up in the State during the year 1992—93. Out of these 4 units (One Large & Medium and three SSI) were set up by NRIs.

प्रो० राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो एक बड़ी एवं मध्यम तथा तीन लघु औद्योगिक इकाईयां अप्रवासी भारतीयों द्वारा स्थापित की गई हैं, वे कहां कहां पर स्थापित की गई हैं ? वे किस तरह की इकाईयां हैं तथा उनको वे चार इकाईयां लगाने के लिए क्या विशेष छूट दी गई है ? इसके साथ साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उन चार इकाईयां लगाने वाले अप्रवासी भारतियों को जो विशेष छूट दी गई है क्या वह विशेष छूट भारतीयों द्वारा इकाईयां स्थापित करने के लिए भी दी जाएंगी ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, अप्रवासी भारतीयों द्वारा जो चार इकाईयां स्थापित की गई हैं, उनमें से दो पंचकूला, एक भिवानी और एक पानीपत में स्थापित की गई हैं । अध्यक्ष महोदय, चाहे कोई बाहर का महानुभाव इंडस्ट्री लगाए और चाहे भारतीय महानुभाव कोई इंडस्ट्री लगाए सबके लिए एक जैसी रियायत है । बाहर के महानुभाव के लिए कोई विशेष छूट नहीं है । हरियाणा प्रदेश में पिछले अढ़ाई साल में कितने उद्योग लगे अगर उनके बारे में आप तफसील से जानना चाहते हैं तो वह मंत्री जी आपको बता देंगे ।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपके पास उद्योग लगाने वालों की कितनी एप्लीकेशज आई हैं और उन एप्लीकेशंज में से जितने उद्योग नहीं लग पाए उसके क्या कारण हैं क्योंकि एप्लीकेशंज काफी आई होंगी । जिन चार प्रवासी भारतीयों ने इकाईयां लगाई उनकी एप्लीकेशंज कब आई थीं ?

श्री लक्ष्मन दास अरोड़ा : स्पीकर साहब जहां तक इंडस्ट्रीज लगाने के लिए एप्लीकेलंनज आने का ताल्लुक है वे डिस्ट्रिक्ट में डी० आई० सी० में आती हैं । वहां पर सिंगल विन्डो सर्विस का सिस्टम है उसमें लोग इंडस्ट्री लगाने के लिए एप्लाई करते हैं ।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, मैं यह जानना चाहता हूं कि उन चार अप्रवासी भारतीयों की एप्लीकेशंज कब आई ?

श्री लछमन दास अरोड़ा : स्पीकर साहब, उनकी एप्लीकेशंज एक डेढ़ साल पहले आई होंगी ।

प्रो० सम्पत सिंह : आपके पास टोटल नम्बर औफ एप्लीकेशंज कितनी आई ?

श्री लछमन दास अरोड़ा : इस बारे में तो मेन सवाल में पूछा ही नहीं गया और हमारे पास सीधी एप्लीकेशन कोई नहीं आती । जिसने भी इंडस्ट्री लगानी होती है, पहले वह डी० आई० सी० में एप्लाई करता है ।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, पहले एप्लीकेशन आती है, फिर सैंक्शन होती है, यह एक प्रोसैस है ।

श्री लछमन दास अरोड़ा : स्पीकर साहब, डिस्ट्रिक्ट में डी० आई० सी० है, वहां पर इंडस्ट्री लगाने के लिए लोग एप्लाई करते हैं । वहां पर सिंगल विन्डो सर्विस है । वहां से केस बन कर यहां आता है । इन्डस्ट्री लगाने के लिए जो भी आदमी एप्लाई करता है, उसकी एप्लीकेशन सीधी हमारे पास नहीं आती है ।

प्रो० सम्पत सिंह : एप्लीकेशनज तो आपके पास ही आएंगी क्योंकि आप इस विभाग के इन्चार्ज हैं । आप यह बता दें कि उनकी टोटल नम्बर औफ एप्लीकेशंज कितनी आई ?

श्री लछमन दास अरोड़ा : इसके लिए आप अलग से नोटिस दें, आपको बता दिया जाएगा ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं नवम्बर, 1992 में विदेश गया था और मैंने वहां पर अप्रवासी भारतीयों से यह कहा था कि आप हमारे यहां आएं

और अपने उद्योग लगाएं । माननीय सदस्य ने यह सवाल पूछा है कि 1992-93 में अप्रवासी भारतीयों की इंडस्ट्रीज लगाने के लिए कितनी एप्लीकेशंज आई । मैं उनको बताना चाहूंगा कि उनकी 58 एप्लीकेशंज आई थीं, जिनमें से चार को मंजूरी दी गई है । उनके नाम अभी मैंने आपको बताए थे कि वे कहां कहां पर स्थापित की गई हैं । बाकी जो 54 रह गई, यदि आप उनके नाम जानना चाहते हैं तो वह मैं बता देता हूं ।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, मैं उनके नाम नहीं जानना चाहता । मैं पूछना चाहता हूं कि कुल कितनी एप्लीकेशंज आपके पास उद्योग लगाने वालों की आई हैं ?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, पिछले अढ़ाई साल के दौरान 1991-92 में 7511 छोटे उद्योग लगे और 40 बड़े, और मध्यम 1992-93 में 58 बड़े और 6740 छोटे, 1993-94 में 75 बड़े और मध्यम दर्जे के तथा 5280 छोटे दर्जे के उद्योग लगे । इन अढ़ाई सालों के अन्दर तकरीबन 17 हजार के करीब नए उद्योग लगे हैं ।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, जो मैंने पूछा था, वह जवाब नहीं आया । मैंने यह पूछा था कि इन दिनों टोटल एप्लीकेशंज कितनी आई । एन० आर० आइज० की फिगर्ज के बारे में तो इन्होंने बता दिया कि 58 एप्लीकेशंज आई और उसमें से चार उद्योग 1992-93 में लग चुके हैं । इनकी प्रोग्रेस तो इसी बात से जाहिर होती है कि 58 एप्लीकेशंज आई और 4 ही उद्योग लगे । मैं पूछना चाहता हूं कि इन दिनों टोटल एप्लीकेंटस कितने आए, उसके बारे में मंत्री महोदय ने हाउस को जानकारी नहीं दी ?

श्री लछमन दास अरोड़ा : कितनी एप्लीकेशंज आई, उसके बारे में मैंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट लैवल पर ये एप्लीकेशंज आती हैं और वे वहीं पर ही एप्लाई करते हैं और वहीं पर अपनी प्रोजैक्ट रिपोर्ट सबमिट करते हैं ।

प्रो० सम्पत सिंह : वही तो मैं पूछ रहा हूं कि सारे हरियाणा में कुल कितनी एप्लीकेशंज आई ?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, जब मैं बाहर गया उसके बाद से अब तक टोटल 68 एन० आर० आइज० की एप्लीकेशंज आई और इनमें 1095० करोड़ रुपये की पूंजी निवेश होगी । इन 68 उद्योगों में से 20 चालू होने वाले हैं यानि इन पर कार्य प्रगति पर चल रहा है । रही बात बाकी दूसरी एप्लीकेशंज कितनी आई, वे हैं 808 ।

श्री राम भजन अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो एन० आर० आइज० के चार यूनिट लगे हैं, क्या उनमें उत्पादन शुरू हो

[श्री राम भजन अग्रवाल]

गया है ? दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि इनमें कितना पैसा इन्वैस्ट हुआ है ? जो ये चार यूनिटस लगी हैं, उनकी साईट कहां पर है और इनके नाम क्या हैं ?

श्री लछमन दास अरोड़ा : इनमें से एक मैं0 भिवानी सिन्थेटिक प्रा0 लि0 यूनिट लगा है, बाकी 3 और यूनिट लगे हैं । इन में प्रोडक्शन शुरु हो चुका है ।

श्री सतबीर सिंह कादयान : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि एन0 आर0 आइज0 की जो 4 इण्डस्ट्रीज लगी हैं, उनकी एप्लीकेशंज कब आई और इन इण्डस्ट्रीज में जो एम्पलायमैंट दी गई है, क्या वह लोकल आदमियों को दी गई है या बाहर से आदमी वहां पर लगाए गए हैं ? (विघ्न) उसी तहसील या जिले के लोगों को नौकरियां दी गई हैं या बाहर के लोगों को एम्पलायमैंट दी गई है ?

श्री लछमन दास अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, जो यह क्वैश्चन पूछ रहे हैं, इनको खुद नहीं पता कि इनका क्वैश्चन क्या है लेकिन आपके माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूं कि एन0 आर0 आईज0 के जो 4 यूनिटस लगे हुए हैं, उनमें 1600 हरियाणवी काम कर रहे हैं यानि कि हरियाणा के 1600 लोगों को रोजगार मिला हुआ है ।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी की बात का स्वागत करता हूं । मैंने कुछ दिन पहले सरकार के ध्यान में यह लाया था कि हरियाणा में जो इण्डस्ट्रीज लगेंगी, उनमें लेबर और इण्डस्ट्रियल वर्कर्ज हरियाणा वासियों में से ही लेने पड़ेंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं । क्या मंत्री जी को यह पता है कि अगर लार्ज और मीडियम इण्डस्ट्रीज लगाने के लिए कोई ऐण्टरप्रिन्योर एप्लीकेशन ले कर आता है तो फाईनैंशियल इन्स्टीच्यूशन्ज और बैंक्स ने एक बड़ी अजीब शर्त उनके लिए रखी हुई है । जो एण्टरप्रिन्योर लार्ज और मीडियम स्केल पर इंडस्ट्री लगाना चाहता है, फर्स्ट जैनरेशन पर उसको एक लिमिट से अधिक लोन नहीं देंगे, यानि अगर उसका बाप या दादा इण्डस्ट्रियलिस्ट था उसको तभी लोन दिया जाएगा । लार्ज और मीडियम इंडस्ट्रीज के लोन के लिए फाईनैंशियल इन्स्टीच्यूशन्ज और बैंक्स की यह शर्त है जो इण्डस्ट्रियलिस्ट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन है । हर आदमी को राईज करने का अधिकार है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि इस प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन है और जो डिस्क्रिपैंसी है, क्या उसको दूर करने के बारे में कोई कोशिश करेंगे ?

श्री लछमन दास अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं समझता हूं, इस प्रकार की कोई बात नहीं है, किसी को लोन के लिए डिस्क्रिमिनेट नहीं किया गया । अगर माननीय सदस्य कोई डिटेल लेना चाहते हैं तो हम उनको बता देंगे ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, न तो ऐसी कोई पाबन्दी है और न ही किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल है। स्टेट में जो उद्योग लगते हैं उनके नार्म्ज बने हुए हैं कि कौन व्यक्ति क्या ले सकता है और उसको क्या फेसिलिटीज दी जा रही हैं। इसी प्रकार से बैकवर्ड ऐरिया के लिए भी नार्म फिक्स किए हुए हैं। और उस बैकवर्ड ऐरिया में इण्डस्ट्रीज लगाने पर 15 प्रतिशत की सबसिडी भी देते हैं। जो बैकवर्ड ऐरियाज हैं, वे डिक्लेयर किए हुए हैं उनमें सबसिडी देते हैं, कन्सैशन देते हैं और दूसरी फेसिलिटीज भी दी जाती हैं। (विघ्न)

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत ही सिम्पल सवाल पूछा था कि जो एण्टरप्रिन्योर लार्ज और मीडियम स्केल पर इण्डस्ट्रीज लगाना चाहते हैं, उसमें 2 करोड़ या कुछ लिमिट है जिसका एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, उससे अधिक टाई अप करके फाईनैंशियल इस्टीच्यूशन्ज और बैंकस फर्स्ट जैनरेशन के लिए नहीं देंगे। फाईनैंशियल इन्स्टीच्यूशन्ज और बैंकस द्वारा फर्स्ट जनरेशन को डिबार किया गया है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, क्या ये उसको दूर करेंगे ?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई बात नहीं है। (विघ्न)

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : मैं इस को साबित कर सकता हूं। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं स्टेट का मुख्य मन्त्री हूं और मैं यह कह रहा हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। (विघ्न)

Crop Insurance Scheme

*815. **Shri Dhirpal Singh** : Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether the Crop Insurance Scheme has been implemented in the State; if so, the details thereof ?

Agriculture Minister (Shri Harpal Singh) : A pilot Crop Insurance Scheme is being prepared by the Government of India which will be implemented in Haryana after its finalisation.

श्री धीर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, पिछले बजट सैशन में और उसके बाद भी प्रान्त सरकार द्वारा बार-बार इस तरह की घोषणाएं की जाती रही हैं कि किसान को फसल बीमा योजना के तहत लाभ पहुंचाया जाएगा। स्पीकर साहब, आज प्रश्न का जो उत्तर सरकार की तरफ से आया है, उसको देख कर यह एहसास हुआ है कि ऐसी कोई बात नहीं है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछिए।

श्री धीर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह स्कीम कब तक फाईनेलाईज हो जाएगी ? इस स्कीम में कौन कौन से जिलों को सम्मिलित किया जाएगा और कौन कौन सी फसल को लिया जाएगा ?

श्री हरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय जितनी चिन्ता धीरपाल जी को है उस से ज्यादा चिन्ता हमको है। लेकिन इनको इतना इलम होना चाहिए कि यह स्कीम सैन्टर की गवर्नमैंट फाईनेलाईज करके स्टेट गवर्नमैंट्स को भेजती है, तब स्टेट गवर्नमैंट इसको देखती है। लेकिन अभी यह स्कीम सैन्टर की गवर्नमैंट ने फाईनेलाईज नहीं की है। अध्यक्ष महोदय, पहले एक मीटिंग हुई थी जिसमें प्रधान मंत्री जी थे और मुख्यमंत्री जी भी गए थे, तब ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर होते थे। सैन्ट्रल गवर्नमैंट ने स्टेट गवर्नमैंट से सुजैशन मांगा था। उस बारे में किसानों ने भी औब्जैक्शन किया था और हमने भी कहा था कि जो स्कीम बनाने जा रहे हैं, वह बीमा स्कीम ब्लाक लैवल की थी। अगर एक किसान को नुकसान होता था तो उसे पूरी पेमैंट नहीं मिलती थी क्योंकि उसमें सारे एरिया का अन्दाजा लगा कर पेमैंट दी जाती थी। वह ठीक नहीं थी क्योंकि प्रैक्टीकेबल नहीं थी। अब हमने यह सुजैशन दिया है कि अगर कम्पनसेशन देना है तो वह गांव को यूनिट मान कर देना चाहिए। हमने यह एतराज किया था कि यह स्कीम विलेज लैवल पर बैसड होनी चाहिए थी, न कि ब्लाक लैवल पर। दूसरे उन्होंने यह बात कही है कि जिन फार्मर्ज ने बैंकों से लोन लिए हैं, उनके लिए यह स्कीम कम्पलसरी हो। तो हमने कहा था कि गवर्नमैंट अपने लोन को बचाने के लिए यह स्कीम बना रही है। यह स्कीम तो वालन्टरी होनी चाहिए। इसको जो चाहे वह ले ले और जिसकी मर्जी हो वह न ले। तीसरी बात किसान को बीमे का पैसा देने की बात थी। तो उसमें उन्होंने यह कहा था कि 2/3 शेयर स्टेट गवर्नमैंट देगी और 1/3 भारत सरकार देगी। हमने उनको यह बात कही कि स्टेट गवर्नमैंट इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती है। यह बात बाकी स्टेट गवर्नमैंटस ने भी कही थी कि सैन्ट्रल गवर्नमैंट को 2/3 शेयर देना चाहिए और 1/3 शेयर स्टेट गवर्नमैंट को देना चाहिए। हमने सैन्ट्रल गवर्नमैंट को एक सुजैशन दिया कि जो स्माल फार्मर्ज हैं वे प्रिमियम नहीं दे सकते हैं। जब उसका नुकसान न हो तो वह प्रिमियम कहां से देगा। तो आप छोटे किसान के लिए 50 प्रतिशत सबसीडी दें। चौथी बात यह थी कि यह स्कीम सभी किसानों के लिए होनी चाहिए चाहे वह लौनी हो या न हो। वह अपनी मर्जी से बीमा करवाएं। यही बाकी स्टेट गवर्नमैंट्स का भी विचार है। अध्यक्ष महोदय, इन सब बातों के बाद जो स्कीम सैन्ट्रल गवर्नमैंट से आनी थी, वह नहीं आई है।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने इस स्कीम के बारे में जो विशेषताएं बताई हैं, ये पिछले बजट सैशन में भी बताई थी।

श्री अध्यक्ष : आपको तो एप्रीशियेट करना चाहिए।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार से जो इन्होंने लिखा पढ़ी की है वह तो इनका दायित्व था। इस बारे में पिछले बजट सैशन में भी चर्चा हुई थी और सरकार ने दावा किया था कि हम इस बीमा योजना को लागू करने जा रहे हैं और इससे किसानों को लाभ होगा। मेरी जानकारी में तो यह है कि हिसार जिले को ही इसके लिए छांटा गया है और इसी जिले में यह स्कीम लागू की जाएगी। मैं मन्त्री जी

से जानना चाहता हूं कि इस स्कीम को लागू करने का क्राईटेरिया क्या है ? स्पीकर सर, इनकी केन्द्र सरकार के साथ मीटिंग तो हुई ही होगी। इसलिए मैं इनसे यह आश्वासन चाहूंगा कि इस स्कीम को कब तक फाईनेलाईज कर दिया जाएगा ?

श्री हरपाल सिंह : स्पीकर सर, पता नहीं धीरपाल जी को हिसार जिले से क्या ऐलर्जी है जबकि सम्पत सिंह को तो इस जिले से कोई ऐलर्जी नहीं होनी चाहिए क्योंकि हिसार जिला तो वह जिला है जिसमें से भिवानी और सिरसा दोनों जिले निकले हैं। इस नई स्कीम के बारे में सैन्ट्रल गवर्नमैंट जिस लाईन तक सोच रही है उस में यह है कि हर स्टेट में एक जिले में इस स्कीम को लागू किया जाए। सर, यही उनका प्रोपोजल है। लेकिन अभी तक हमारे पास उसका कोई फाईनल फैसला नहीं आया है।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने सदन के सदस्यों को सूचित करते हुए संतुष्ट करने की कोशिश की है। सर, आप स्वयं भी जानते हैं कि पायलट फसल बीमा योजना बहुत दिनों से सारे देश में चर्चा का विषय है। चूंकि हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है इसलिए हमें यह आशा नहीं करनी चाहिए कि भारत सरकार इसको कब शुरु करेगी। अगर हम यह सोचेंगे कि अंडेमान निकोबार, केरल, मिजोरम या दूसरी स्टेट्स ज्यादा इसके बारे में परस्यू करेगी तभी यह स्कीम जल्दी लागू हो सकेगी। अध्यक्ष महोदय, प्रायः यह देखने में आया है कि भारत सरकार में इस तरह के केसिज जब तक पूरी तरह से परस्यू नहीं किये जाते तब तक वे कई कई सालों तक पैंडिंग ही पड़े रहते हैं। अध्यक्ष महोदय आप जानते हैं कि हर साल सभी फसलों में कोई न कोई प्राकृतिक विपदा होती ही है जैसे ओला है, आंधी है। इन के अलावा अब गेहूं की फसल में पता नहीं ऐसी कौन सी हवा लग रही है जिसकी वजह से गेहूं दो दिन में ही खराब हो जाता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, केवल यह साल कह देने से कि यह स्कीम भारत सरकार द्वारा तैयार की जा रही है तथा अंतिम रूप देने के बाद ही हरियाणा में लागू की जाएगी, ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में 80 प्रतिशत लोग कृषि पर ही निर्भर हैं इसलिए जब तक हरियाणा स्वयं इस स्कीम के लिए लीड नहीं करेगा तब तक यह लागू नहीं हो सकेगी। हरियाणा हर एक काम में पहले लीड करता है इसलिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और कृषि मंत्री जी से कहूंगा कि जब तक वे स्वयं इस स्कीम के लिए परस्यू नहीं करेंगे तब तक इस स्कीम को अंतिम रूप नहीं मिलेगा। मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा और आश्वासन भी चाहूंगा चाहे तो वे सत्ता पक्ष के साथियों को लें या विपक्ष के साथियों को लें, इस स्कीम को जल्दी परस्यू करें। मैं समझता हूं कि इस केस को पूरी तरह से परस्यू नहीं किया जा रहा है जिसकी वजह से हरियाणा के लाखों किसानों को नुक्सान हो रहा है।

श्री हरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिसला जी ने जो चिन्ता जाहिर की है उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि यह केस हरियाणा स्टेट का ही नहीं है बल्कि सारे भारत का है। जो भी फसलें खराब होती हैं वह केवल हरियाणा के किसानों की ही नहीं बल्कि पूरे देश के किसानों को होती हैं। इस लिए सारी स्टेट गवर्नमैंट्स भी इस

[श्री हरपाल सिंह]

मामले को परस्यू कर रही हैं और सैन्ट्रल गवर्नमैंट भी इस मामले में बड़ी सीरियस है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि इस स्कीम में बड़ी कम्पलीकेशंज हैं। पहले भी 1981 में एक बार इस स्कीम को लागू किया गया था लेकिन इसमें कुछ ऐसी इम्पलीमैंटेशन हुई जिसके कारण भारत सरकार को कई सौ करोड़ रुपये का नुक्सान हुआ था। अब फिर भारत सरकार इसे इस तरह से शुरु करने जा रही है जिससे कि सैन्ट्रल गवर्नमैंट को भी ज्यादा लौस न हो और स्टेट गवर्नमैंट्स भी इसमें शेयर करें। स्पीकर सर, जो बैंक या दूसरे फाईनैंशियल इंस्टीच्यूशंज हैं जिन्होंने लोन देना है, वे भी कुछ परसैन्टेज इसमें वहन करेंगे। ये तो सारी कंट्री का एज ए होल मामला है, एक स्टेट का मामला नहीं है। जैसा बिसला जी ने कहा कि सदन के साथियों को ले जाओ, डपुटेशन को ले जाओ, वहां जाकर मिलें कि यह हरियाणा स्टेट की दिक्कत है। स्पीकर साहब, एक बात और हो सकती है कि जब से हमारे ये मुख्यमंत्री जी आए हैं, यह गवर्नमैंट बनी है, इतनी चिन्ता हमें तो नहीं है कि किसान की फसल को नुक्सान होगा। भगवान की कृपा है। यह तो हम आने के लिए सोचते हैं कि जब ये आएं तो स्टेट के किसानों को नुक्सान न हो। इनके टाईम में हमेशा या तो अकाल पड़ा या बाढ़ आई। जब भी ये आए हैं किसानों की फसल का नुक्सान हुआ है। जब-जब चौधरी भजन लाल जी आए हैं किसानों की पैदावार दुगुनी हुई है।

Increase in Strength of Police Personnel

*825 **Shri Rajinder Singh Bisla** : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to increase the strength of police personnel in each police station in the State?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : सरकार के पास प्रत्येक पुलिस थाना में नफरी बढ़ाये जाने हेतु कोई सामान्य प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। फिर भी समय समय पर जब भी किसी विशेष केस में पुलिस थाना में हुए अपराध और समस्याओं के कारण नफरी बढ़ाये जाने हेतु विशेष आवश्यकता अनुसार प्रस्ताव प्राप्त होगा उस पर विचार किया जावेगा।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि पुलिस स्टेशन के अंदर जो टोटल स्टाफ तैनात किया जाता है, उसका क्या क्राईटेरिया है? एक थाने का जो ज्यूरिसडिक्शन है, क्या उसकी पापुलेशन को आधार नहीं माना जाता? प्राय: देखने में यह आया है कि 15-20 साल पहले जो स्टाफ था, वही आज है, जब कि उस थाने का टोटल एरिया और पापुलेशन बहुत बढ़ गई है। बौर्डर के जो थाने हैं जैसे यू0पी0, राजस्थान, वहां से लोग आकर क्राइम कर के भाग जाते हैं। स्टाफ की कमी होने की वजह से स्टाफ पर बड़ा बर्डन रहता है। जब सभी विभागों

के अंदर 8-10 घंटे की ड्यूटी देते हैं और वहां ए0एस0आई0, सिपाही और हवलदार 15-16 घंटे की ड्यूटी देते हैं, न तो टाइम पर उन्हें खाना देते हैं और न ही उन्हें बाथरूम इत्यादि जाने के लिए टाइम मिल पाता है। जैसे आजकल एग्जामिनेशन हो रहे हैं, सरकार बधाई की पात्र है कि सरकार फुल्ली डिटरमिंड है कि नकल रोकी जाए। सारी पुलिस कौपिंग रोकने में लगी है। सिपाही राइफल लेकर खड़ा है। मैं चाहता हूं कि क्यों न और भर्ती करके क्राइटेरिया के हिसाब से और पुलिस बल तैनात किया जाए।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जहां तक क्राइटेरिया का ताल्लुक है, यह केसिज पर डिपैन्ड करता है। 75 मुकदमों के पीछे एक सब-इंसपैक्टर, एक ए0एस0आई0, एक हैड कांस्टेबल और 12 कांस्टेबल लगाए जाते हैं। जैसे जैसे केसिज बढ़ जाते हैं तो 50 केसिज बढ़ने के बाद नफरी बढ़ जाती है। एक ए0एस0आई0, एक हैड कांस्टेबल और दो कांस्टेबल और लगाए जाते हैं। दूसरा सवाल है आबादी के हिसाब से। बहुत से शहरों में आबादी अधिक होने पर इंस्पैक्टर लगाए जाते हैं। नफरी पहले के मुकाबले में बढ़ाई है। जो बौर्डर एरिया के थाने हैं क्राइम के हिसाब से उनमें भी ज्यादा स्टाफ लगाते हैं। जिले का एस0पी0 कहता है कि इस पुलिस स्टेशन पर इतना स्टाफ और चाहिए तो ज्यों-ज्यों मांग आती है नफरी बढ़ाई जाती है। पुलिस थानों में बाकायदा रिजर्व फोर्स होती है, जहां पर आवश्यकता होती है, वहां पर इस रिजर्व फोर्स को भेज दिया जाता है। बाकायदा हमने स्टेट के अन्दर पिछले अढ़ाई साल के 10-00 बजे | दौरान कई नये पुलिस स्टेशन्ज बनाये हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा की जा सके। उग्रवाद को देखते हुए भी हमने पुलिस की नफरी में बढ़ौत्तरी की है और हमारी कोशिश है कि जहां और भी आवश्यकता होगी, हम जरूरत के मुताबिक फोर्स को जरूर तैनात करेंगे।

Office of B. D. O.

***799. Sathi Lehri Singh** : Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open the office of Block Development Officer at Babain; if so, the time by which the said office is likely to be opened at Babain?

विकास तथा पंचायत मन्त्री (राव बीरी सिंह) : स्पीकर साहब, इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे पास अभी तक रिपोर्ट नहीं पहुंची है। इसलिये यह बताना सम्भव नहीं है कि कब तक इस आफिस को वहां पर खोल दिया जायेगा।

साथी लहरी सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी पिछली 24 तारीख को मुख्य मंत्री महोदय मेरे हल्के रादौर में गये थे। उन्होंने वहां पर यह कहा था कि एक अप्रैल से यह ब्लाक चालू हो जायेगा। मुझे अभी तक यह पता नहीं है कि इस बारे कागज आये हैं या नहीं लेकिन मैं इनसे यह जानना चाहता हूं कि यह कब तक चालू हो जायेगा। क्या इसको जल्दी एक्सपीडाईट कराने की सरकार कृपा करेगी ?

राव बंसी सिंह : स्पीकर साहब, मैं अपने भाई लहरी सिंह जी को यह विश्वास दिलाता हूं कि हम वहां से जल्दी ही रिपोर्ट मंगा रहे हैं लेकिन आपको पता है कि इस प्रक्रिया में कुछ समय लगता है। इसके लिए प्रक्रिया चालू है और प्रक्रिया पूरी होने पर इस बारे में पूर्ण सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा।

Tourist Resort

***857. Shri Chander Mohan :** Will the Minister of State for Tourism be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to identify the tourist spots in the Shivalik Region of Ambala District; if so, the details thereof ?

पर्यटन राज्य मंत्री (श्री लीला कृष्ण चौधरी) : जी हां, । पर्यटन विभाग ने अम्बाला जिले के शिवालिक क्षेत्र में निम्न स्थानों को पर्यटन विकास हेतु चुना है :—

1. मोरनी क्षेत्र में टिक्कर ताल।
2. मोरनी में किला तथा इसके आस-पास का क्षेत्र।
3. मोरनी के वर्तमान पर्यटक स्थल का विस्तार।
4. पिंजौर मल्ला सड़क पर मल्ला के नजदीक नया पर्यटक स्थल।

श्री चन्द्र मोहन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जो साईट्स इन्होंने आईडैंटीफाई की हैं, इनकी डिवैल्पमैंट पर कितना पैसा खर्च होगा और इस स्कीम को पूरा करने में कितना वक्त लगेगा और इस के लिए फंडिंग कैसे की जाएगी ?

श्री लीला कृष्ण चौधरी : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से श्री चन्द्र मोहन जी को यह बताना चाहता हूं कि एक शिवालिक बोर्ड का गठन हुआ है जो मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में बनाया गया है। यह जो पर्यटक स्थल चुने गए हैं, इनको बनाने के लिये सैन्ट्रल गवर्नमैंट से भी हमने असिस्टैंस लेनी है और कुछ पैसा स्टेट गवर्नमैंट ने भी देना है तथा कुछ इसमें शिवालिक बोर्ड का भी पैसा खर्च होना है। हमारी प्लानिंग यह है कि इस क्षेत्र में लगभग दो करोड़ रुपया खर्च किया जाये। इसमें एक तो टिक्कर ताल है। वह मोरनी से 8 किलोमीटर दूर एक बहुत ही सुन्दर स्थल

है। वहां पर मोर और मोरनी लेक है। उसकी डिवैल्पमैंट के लिए हमने 7 लाख रुपये का प्रोवीजन सैन्ट्रल असिस्टैंस का किया हुआ है। इसके लिए हम केस सैन्ट्रल गवर्नमैंट को भेज चुके हैं। 15 लाख रुपया स्टेट गवर्नमैंट देगी। इसके लिए भी कागजात तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से मल्लाह के नजदीक पिंजौर मल्लाह रोड पर एक बहुत ही सुन्दर स्थल है। उसमें 28.98 लाख सैन्ट्रल गवर्नमैंट देगी और 10 लाख स्टेट गवर्नमैंट देगी। इसी तरह से एक पिंजौर कम्पलैक्स की एक्सटैंशन है। इसके लिए 40 लाख रुपया सैन्ट्रल गवर्नमैंट देगी। हथनी कुंड में पहले एक छोटा कम्पलैक्स था। वहां पर हम नया कम्पलैक्स बनाने जा रहे हैं। उसमें 29 लाख रुपया सैन्ट्रल गवर्नमैंट देगी और 5 लाख रुपया स्टेट गवर्नमैंट देगी। तो यह सारी हमारी प्लानिंग है और यह कम्पलीट हो चुकी है। जैसे जैसे हमारे पास धन उपलब्ध होगा, हम ये सारी स्कीमें चालू कर देंगे। हमें उम्मीद है कि एक साल के अन्दर जब इसके लिये हमें धन मिल जायेगा तो हम यह स्कीमें चालू कर देंगे।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ : अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री जी ने बताया है कि हम हरियाणा में कई जगहों पर टूरिस्ट कम्पलैक्स खोलने जा रहे हैं। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि हांसी में टूरिस्ट कम्पलैक्स के लिए जगह आइडैन्टीफाई कर ली गई है तो उस सिलैक्टिड जगह पर कब तक टूरिस्ट कम्पलैक्स बना दिया जाएगा ?

श्री लीला कृष्ण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हालांकि यह क्वैश्चन पिंजौर के बारे में था लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हांसी में जगह का चयन हो चुका है, वह जगह टूरिज्म डिपार्टमैंट को ट्रांसफर होनी है और उस पर काम जल्दी ही शुरु कर दिया जाएगा। इसके लिए मुख्य मंत्री जी ने आदेश दे दिए हैं।

चौधरी सूरज भान काजल : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कालका में जो इतने टूरिस्ट स्पौट्स खोलने जा रहे हैं, इनका क्या औचित्य है और क्या हरियाणा में किसी और जगह भी टूरिस्ट स्पौट बनाने का सरकार का विचार है ?

श्री लीला कृष्ण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में जो यह एरिया मोरनी का है और शिवालिक हिल्ज का है, यह टूरिज्म के लिए बड़ी ही समन्वित जगह है। यहां पर टूरिस्ट स्पोट्स के लिए जगह अवेलेबल है इसलिए हम यहां पर टूरिस्ट स्पौट्स खोल रहे हैं। इसके अलावा, हरियाणा में हमारे 43 कम्पलैक्स हैं और हम हर साल चार पांच कम्पलैक्स प्लान करते हैं।

श्री अध्यक्ष : क्या मन्त्री जी बताएंगे कि कुरुक्षेत्र में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उनकी कोई स्कीम है ?

श्री लीला कृष्ण चौधरी : स्पीकर साहब, कुरुक्षेत्र में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत स्कीमें हैं। अराउन्ड कुरुक्षेत्र ज्योतिसर में हम एक नया रैस्टोरेंट शुरु करने जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र डिवैल्पमैंट बोर्ड द्वारा तथा केन्द्रीय सरकार की असिस्टैंस से पांच

[श्री लीला कृष्ण चौधरी]

करोड़ का पैनोरमा विचाराधीन है। फारमैलटीज पूरी हो चुकी हैं। वहां पर सारे महाभारत को साउंड एंड लाइट से प्रदर्शित करेंगे और वहां पर डिफरेंट यात्री निवास बनाने पर विचार हो रहा है।

श्री जय प्रकाश : अभी मन्त्री जी ने अपने जवाब में मोरनी के बारे में बताया है। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि टूरिस्ट स्थलों का विस्तार करने के साथ-साथ हमारे जो विजिटर्ज हैं उनको वहां क्या सुविधा मिलेगी और उस पर क्या खर्च आएगा ? दूसरा सवाल यह है कि पिन्जौर गार्डन में विजिटर्ज को आकर्षित करने के लिए क्या क्या पग उठाए जा रहे हैं और वहां और क्या बढ़ौतरी कर रहे हैं ?

श्री लीला कृष्ण चौधरी : स्पीकर साहब, पिन्जौर में हम दस नए कमरों का एक सैट बनाने जा रहे हैं जिसके लिए सैन्ट्रल असिस्टैंस का चालीस लाख रुपए का प्रावधान है। मोरनी में भी हम एक खुला कम्पलैक्स बनाने जा रहे हैं। मोरनी किला एक हिस्टोरिकल प्लेस है। वहां पर कई कमरे ऐड करेंगे और हट्स बनाएंगे। इस वक्त मोरनी में हमारे पास चार कमरे हैं। वहां पर बहुत तंगी रहती है। मेरे साथी गुप्ता जी ने पिन्जौर के बारे में पूछा है कि वहां पर हम क्या देने जा रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि वहां पर हम एस एल ओ (ESSEL) वर्ल्ड की जो क्रीड़ाएं हैं, जो पानी की क्रीड़ाएं हैं और बच्चों के खेलने के लिए जो नए-नए अजूबे हैं, वे सारे प्रावधान हम पिन्जौर में करने जा रहे हैं।

सरदार जसविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, 1993 के बजट सैशन में पेहवा में टूरिस्ट कम्पलैक्स बनाने के बारे में जिक्र आया था और यह कहा गया था कि इसके लिए अभी किसी जगह का चुनाव नहीं हुआ है। तो मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि पेहवा के अन्दर टूरिस्ट कम्पलैक्स के लिए अगर जगह का चुनाव हो गया है, तो कब तक वहां पर टूरिस्ट कम्पलैक्स बना दिया जाएगा ?

श्री लीला कृष्ण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, पेहवा के अन्दर हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि वहां पर बहुत जल्द एक टूरिस्ट कम्पलैक्स बनाया जाए। लेकिन वहां पर इसके लिये जमीन का चक्कर था। अब पिछले हफ्ते ही जगह का चुनाव हो गया है और हम बहुत जल्दी ही वहां पर टूरिस्ट कम्पलैक्स बनाने जा रहे हैं।

श्री जयपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, 23 तारीख को मुख्यमंत्री महोदय राई के अन्दर एक टूरिस्ट कम्पलैक्स बनाने के लिए आधार शिला रखकर आये थे लेकिन अभी तक वहां पर कुछ नहीं हुआ है। राई एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है जोकि जी0टी0 रोड पर लगता है। मैं सरकार से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि वहां पर टूरिस्ट कम्पलैक्स बनाने के लिये क्या अभी तक कोई पैसे का प्रावधान किया गया है या नहीं ? क्या सारा पैसा सरकार कालका की डिवैल्पमैंट पर ही लगा देगी ? मेरा

सरकार से यह कहना है कि जिस काम की आधारशिला पहले रखी गई हो, उस पर काम पहले होना चाहिए और जिस काम की आधारशिला बाद में रखी गई हो, तो उस का काम बाद में ही होना चाहिए। क्या सरकार जल्दी ही राई के अन्दर टूरिस्ट कम्पलैक्स का काम चालू करवाने का कष्ट करेगी ?

श्री लीला कृष्ण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, राई के अन्दर एक बहुत बड़ा टूरिस्ट कम्पलैक्स बनने जा रहा है जिसको ऐथनिक इंडिया के नाम से सुशोभित किया जाएगा। इसकी आधारशिला हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने रखी है। हमारा यह प्रयास है कि इसका काम जल्दी ही अप्रैल में शुरू हो जाए। हम माननीय सदस्यों को यह कम्पलैक्स जल्दी ही बना कर के दिखायेंगे।

श्री मोहन लाल पीपल : अध्यक्ष महोदय, रिवाड़ी के अन्दर जो टूरिस्ट कम्पलैक्स है, उसमें केवल तीन या चार कमरे ही हैं, जोकि बहुत थोड़े हैं। क्या सरकार और कमरे बनाकर वहां के टूरिस्ट कम्पलैक्स की ऐक्सटेन्शन करने का विचार रखती है ?

श्री लीला कृष्ण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमारा जो रिवाड़ी का कम्पलैक्स है, वह हमें अभी तक लौस ही दिखा रहा है, लाभ कोई नहीं है। वैसे सरकारी रैस्ट हाउस के तौर पर ही वह ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिससे सरकार को कोई लाभ नहीं है लेकिन हम इस साल कोशिश करेंगे कि प्लानिंग करके उस कम्पलैक्स की ऐक्सटेन्शन की जाए।

श्री मनी राम : अध्यक्ष महोदय, जैसे सरकार बिजली के मामले में, सड़कों के मामले में और पीने के पानी के बारे में स्टेट लैवल पर जागरूक है, क्या उसी तरह से हरियाणा के सभी स्टेट हाईवेज पर व हरियाणा में आने वाले नैशनल हाईवेज पर सरकार टूरिस्ट कम्पलैक्सिज बनाने का विचार रखती है ? दूसरे सरकार आदरणीय सदस्यों को इन कम्पलैक्सिज में ठहरने के लिये क्या सहूलियतें प्रदान करेगी ?

श्री लीला कृष्ण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो सभी नैशनल हाईवेज व स्टेट हाईवेज पर हमारे टूरिस्ट कम्पलैक्सिज हैं लेकिन फिर भी जहां कहीं इनका प्रावधान नहीं है, वहां बनाने का विचार हो सकता है। जहां तक सदस्यों के ठहरने का सवाल है, हम ठहरने में सदस्यों को 10 परसैन्ट रिजर्वेशन देते हैं। अगर 10 कमरे कहीं पर हों तो उनमें से एक कमरा माननीय सदस्यों के लिये व मन्त्रियों के लिये रिजर्व होता है। अगर कहीं पर 20 कमरे होंगे तो वहां पर दो कमरे माननीय सदस्यों के लिये व मन्त्रियों के लिये रिजर्व होते हैं। खाने पीने के लिये भी आम ग्राहकों की निस्बत इन्हें 20 प्रतिशत रियायत दी जाती है।

Land Irrigated by Uttawar Distributory

*774. **Chaudhri Azmat Khan :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state the yearwise and village-wise acreage of Land of village Uttawar, Rupdarka, Jarari, Gohpur, Bhalai, Paharpur, Dhiranka, Kukarchati, Booraka and Hudikal irrigated by the Uttawar distributory during the year from 1987 todate ?

Irrigation Minister (Chaudhri Jagdish Nehra) : A statement is laid on the Table of the House.

Statement

Yearwise, total acreage of land of respective villages irrigated by the Uttawar Disty., as per available records, is as under :—

Villages	1987-88	1988-89	1989-90	1990-90	1991-92	1992-93
Gohpur	13	110	90	132	127	73
Rupraka	2	24	29	24	30	—
Hurithal	—	86	—	—	—	—
Buraka	—	3	—	—	—	—

There is no Irrigation from the Disty. in rest of the villages.

चौधरी अजमत खां : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछा था कि इस नहर से 10 गांवों की पिछले पांच-छः सालों के अन्दर कितनी सिंचाई हुई है। इसके जवाब में इन्होंने कहा है कि कुल मिलाकर केवल चार गांवों में 743 एकड़ रकबा सैराब हुआ है और यह नहर शेष 6 गांवों को पानी नहीं दे सकती। एक चुअल पोजीशन यह है कि जब उन चार गांवों में जोहड़ भरने के लिये पानी गया तो किसानों के खेत में भी पानी चला गया और उस पानी का उन पर आबियाना लग गया। मैं चाहता हूं कि इसका कोई न कोई समाधान हो। इस नहर की टेल ऊंची है और हैड नीचा है। जिस समय बिजली नहीं होती तो पानी पीछे को लौट जाता है। चीफ मिनिस्टर साहब 8-2-1992 को उतावड़ में गए थे और इन्होंने कहा था कि इसको जल्द से जल्द कर देंगे। मेरा मतलब यह है कि इस नहर पर काफी पैसा खर्च हो चुका है। इस पर लगभग डेढ़ करोड़ रुपए की एक नई स्कीम बनी है और यह 33 कि0मी0 लम्बी नहर है। क्या उस स्कीम पर अमल करेंगे ताकि इस नहर से उस इलाके को सिंचाई की सुविधा हो सके। अगर सरकार का इस स्कीम पर काम करने का ईरादा है तो इस पर कब तक काम शुरु करवा दिया जाएगा ?

चौधरी जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, यह जो उतावड़ नहर है यह लिफ्ट इरीगेशन की है। इसकी लम्बाई भी बहुत ज्यादा है। इनकी यह बात दुरुस्त है कि बिजली के जाने से टेल तक पानी पहुंचना बहुत मुश्किल है। जहां तक इसमें और पानी देने की बात है यह मामला तो एस0वाई0एल0 के पानी के साथ जुड़ा हुआ है। जब एस0वाई0एल0 का पानी आ जाएगा तब इसमें पूरा पानी आ जाएगा। लेकिन इन्होंने जो यह कहा कि इसकी सफाई की जानी चाहिए उसके लिये सरकार पूरी कोशिश कर रही है।

चौधरी अजमत खां : स्पीकर साहब, इस नहर का ताल्लुक एस0वाई0एल0 से बिल्कुल नहीं है। यह नहर गुड़गांव कैनाल से किरंज से निकलती है। जब यह नहर

बनाई गई थी तो इसमें 22 सौ क्यूसिक पानी गुड़गांव कैनाल से मिलता था। इसका पानी तो बढ़ा हुआ है लेकिन बिजली न आने की वजह से पानी रुकता है। जैसे मैंने पहले बताया कि इसका हैड नीचा है और टेल ऊंची है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि एक डेढ़ करोड़ रुपए की लिंक चैनल की नई स्कीम रनसिका से बनाई गई है। वहां से 68 बुर्जी तक पानी मिल जाएगा। एस0वाई0एल0 का जब पानी आएगा तो वह सोहना से आगे के एरिया को सैराब करेगा और यह नहर सोहना से पीछे के एरिया को सैराब करेगी।

चौधरी जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, जैसे मैंने अर्ज किया कि यह 22 सौ क्यूसिक की नहर है और इसमें पूरा पानी नहीं चलता है। इसमें चार सौ क्यूसिक पानी चलता है। यह लिफ्ट इरीगेशन है। लेकिन ये जो लिंक चैनल की बात कर रहे हैं कि गुड़गांव कैनाल में ऐसी चैनल बनाई जाए और 68 बुर्जी पर आकर वह चैनल मिल जाए, वह गवर्नमैंट के अंडर कंसीडेशन है। जब भी पैसा उपलब्ध होगा तो उसे कंसिडर करके उस पर काम करवायेंगे।

चौधरी आकिर हुसैन : स्पीकर साहब, चौधरी अजमत खां जी के जवाब में जैसे मन्त्री जी ने बताया तो उसके बारे में मैं जानना चाहता हूं कि जो रनसिका से प्रोपोजल है, वह मेरे हल्के से भी ताल्लुक रखती है। इस नहर में पानी तो पूरा अवेलेबल है लेकिन इसकी टेल ऊंची होने के कारण पूरा पानी नहीं चलता। तो जो रनसिका से प्रोपोजड माइनर है वह कब तक कम्पलीट हो जाएगी।

चौधरी जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने कहा कि वह एस0वाई0एल0 कैनाल के पानी के साथ जुड़ी हुई है क्योंकि गुड़गांव कैनाल 2200 क्यूसिक्स कैपेसिटी की नहर है, वह पानी तब पूरा होगा जब एस0 वाई0 एल0 कैनाल का पानी उपलब्ध होगा, तब तक यह अंडर कंसिडेशन है।

Bridge on Jhajjar Distributory

*745. **Chaudhri Om Parkash Beri :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt., to construct a bridge on Jhajjar distributory near village Gochhi in district Rohtak; and

(b) if so, the time by which the bridge as referred to in part (a) above is likely to be constructed ?

Irrigation Minister (Chaudhri Jagdish Nehra) :

(a) No.

(b) Not applicable.

चौधरी ओम प्रकाश बेरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि जिस जगह पर मैंने पुल बनाने की मांग की है, वहां पर पहले से ही पुल बना हुआ है लेकिन वह 1983 में डैमेज हो गया था। वह टूट गया था, क्या सरकार उसको बनवाएगी। वहां पर कोई नया पुल नहीं बनाना है, जो पहले से बना हुआ है वह टूट गया है, उसको कब तक बना दिया जाएगा ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो पुल टूट जाते हैं उनको बनाने के लिए क्या क्राइटेरिया है। आबादी बढ़ रही है इसलिए लोगों को अलग अलग सहूलियतें चाहिएं। इसलिए मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उस पुल को बनाने में सरकार को क्या हिच है ?

चौधरी जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने नया पुल बनाने के बारे में क्राइटेरिया पूछा है। मैं उनको बताना चाहूंगा कि जब सड़क बन जाए और इस्तेमाल की जगह छोड़ी हुई हो तो पुल बनाया जाता है। इसके अलावा माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि जो डैमेज्ड पुल हैं उनको ठीक करने का प्रावधान है या नहीं। स्पीकर साहब, जो पुल टूटे हुए हैं उनको अगले साल ठीक करने की कोशिश करेंगे। जहां तक माननीय सदस्य ने मेन सवाल पूछा है वह गलत पूछा है। इनका सवाल पूछने का मकसद दूसरा था लेकिन पूछ लिया दूसरा सवाल। इन्होंने सवाल यह पूछ लिया कि क्या झज्जर डिस्ट्रीब्यूटरी पर पुल बनाने का विचार है या नहीं। मेरे ख्याल में माननीय सदस्य यह सवाल गलत पूछ गए, इनको यह सवाल पूछना चाहिए था कि क्या झज्जर सब-ब्रांच पर जो पुल टूटा हुआ है, उसको बनाने का विचार है या नहीं।

चौधरी ओम प्रकाश बेरी : स्पीकर साहब, यह गलती से लिख दिया गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि जिला रोहतक में गांव गोछी के पास झज्जर सब ब्रांच पर जो पुल टूट गया है, क्या उस को बनाने का सरकार का विचार है ?

चौधरी जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, झज्जर सब ब्रांच और झज्जर डिस्ट्रीब्यूटरी दोनों ही गोछी गांव के पास से जाती हैं, इसलिए माननीय सदस्य क्या पूछना चाहते हैं।

चौधरी ओम प्रकाश बेरी : क्या आपको उस पुल के बारे में पता है जहां पर यह बनना है ?

चौधरी जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि झज्जर सब ब्रांच अलग है और झज्जर डिस्ट्रीब्यूटरी अलग है। आपने जो सवाल पूछा है वह झज्जर डिस्ट्रीब्यूटरी पर पुल बनाने के बारे में पूछा है। क्या आपका मतलब यह है कि जो झज्जर सब-ब्रांच जे0 एल0 एन0 के साथ साथ जाती है, उस पर पुल बनाने की बात है ? आपको यह भी पता नहीं है कि झज्जर सब ब्रांच क्या है और झज्जर डिस्ट्रीब्यूटरी क्या है।

चौधरी ओम प्रकाश बेरी : स्पीकर साहब, यह सरकार उस एरिया को पानी

देना ही नहीं चाहती । चाहे झज्जर सब-ब्रांच की बात हो, चाहे झज्जर डिस्ट्रीब्यूटरी की बात हो, यह सरकार दक्षिणी हरियाणा को नहरी पानी देना ही नहीं चाहती । इस सरकार का उस एरिया को पानी देने के बारे में एक ही जवाब होता है कि अभी एस0 वाई0 एल0 कैनाल का पानी नहीं आया, वह कम्पलीट नहीं हुई है । जब एस0 वाई0 एल0 का पानी आएगा तब उस एरिया को पूरा पानी दिया जाएगा । स्पीकर साहब, मैंने यह बात मान ली है कि सवाल पूछने में थोड़ी सी गलती हो गई । मैं अब इससे यह जानना चाहता हूं कि झज्जर सब-ब्रांच पर गोछी गांव के पास जो पुल टूटा हुआ है, उसको कब तक बना देंगे ?

चौधरी जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने अपनी गलती मान ली यह उनकी ठीक बात है । अब इन्होंने पूछ लिया कि झज्जर सब-ब्रांच पर गोछी गांव के पास जो पुल टूटा हुआ है, उसको ठीक करवाया जाना चाहिए । जे0 एल0 एन0 के पास झज्जर सब-ब्रांच पर जो पुल टूटा हुआ है, उसको अगले साल रिपेयर करवा देंगे ।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, माननीय सदस्य बेरी साहब ने जो सवाल पूछा है, वह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उटावड़ डिस्ट्रीब्यूटरी केवल माननीय सदस्य जाकिर हुसैन जी के हलीन के इलाके को ही सिंचित नहीं करती, वह पलवल हल्के के गांवों को भी सिंचित करती है ।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, यह तो पुल के बारे में सवाल है । जो आप पूछ रहे हैं वह तो पिछला सवाल था ।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, मैं यह पूछना चाहता हूं कि अस्तर चट्टा गांव जो उटावड़ डिस्ट्रीब्यूटरी पर है, उस पर कोई पुल नहीं है जिसके कारण लोगों को नहर से पार अपने खेत में जाने के लिए काफी कठिनाई हो रही है, मैं जानना चाहता हूं कि इस पुल को कब तक बना दिया जायेगा ?

चौधरी जगदीश नेहरा : अगर इस्तेमाल की जगह छोड़ी हुई है तो जरूर हम बना देंगे और इसके लिये ये हमें लिख कर भी दे दें ।

चौधरी सूरज भान काजल : अध्यक्ष महोदय, करसोला माइनर और कमालखेड़ा माइनर पर जो पुल हैं, वे टूटे हुए हैं । दूसरे, इनकी कैपेसिटी भी कम हो गई है । इसके अलावा, लाईनिंग करते समय इनके बैंड ऊपर हो गए हैं जिनसे इनकी कैपिसिटी कम हुई है । इसके अलावा, वहां पर जो गऊ घाट थे, वे भी नीचे हो गए हैं और जब पानी आता है तो वे सारे डूब जाते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन पशु घाटों को भी दुबारा बनाया जायेगा ?

चौधरी जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, जो बात इन्होंने कही, वह दुरस्त है। कई पुल डैमेज हैं और कई टूट चुके हैं और लाईनिंग करने के बाद कई पुलों की कैपेसिटी कम हो गई है। इस बारे में मैं इनको बताना चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक से हमें जो पैसा मिल रहा है, उससे हम इन पुलों को बनाएंगे। जहां तक गऊ घाटों की बात है, उनको भी ठीक कर देंगे। दूसरे, ये हमें लिख कर भी दे दें।

श्रीमती चन्द्रावती : अध्यक्ष महोदय, सारी स्टेट में काफी पुल टूट चुके हैं या वे डैमेज हो चुके हैं। अभी मंत्री महोदय ने कहा कि लिख कर दे दें। क्या यह सरकार का फर्ज नहीं है कि वह अपना सर्वे करवाये कि कहां कहां पर ऐसे पुलों को और गऊ घाटों को बनाने की आवश्यकता है ? इसका ये सर्वे करवायें और अपने आप ही ये उनको बनाएं।

चौधरी जगदीश नेहरा : हम तो अपने आप भी अगले सालों में बना देंगे। यदि विधायक लिख कर भी दे दें तो अच्छा है।

Buses from Jhajjar to Rohtak

@*760. **Shri Daryao Singh :** Will the Minister of State for Transport be pleased to state—

(a) the number of buses of Sub-depot, Jhajjar plying from Jhajjar to Rohtak; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to ply, more buses on the said route ?

परिवहन राज्य मन्त्री (श्री बलबीर पाल शाह) :

(क) छः, श्रीमान जी।

(ख) जी हां।

चौधरी बलवंत सिंह मैना : अध्यक्ष महोदय, झज्जर ही रोहतक को चारों तरफ से मिलाता है। इन्होंने बताया है कि छः बसें तो लगा दी गई हैं। फिर भी वहां पर और बसें चलाने की आवश्यकता है। दूसरे मैं जानना चाहता हूं कि क्या झज्जर से बाया रोहतक एक्सप्रेस बसें चलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

श्री बलबीरपाल शाह : अध्यक्ष महोदय, अभी हमने प्राइवेटाइजेशन किया है जिसकी वजह से कुछ और बसें किन्हीं दूसरे रूटों से सरप्लस होंगी। तो उस समय भी वहां पर और बसों की सुविधा देने की कोशिश करेंगे। अब मैं इनको बताना

@Put by Ch. Balwant Singh Maina.

चाहता हूं कि झज्जर जो रोहतक डिपो का सब डिपो है वहां रोहतक डिपो की 9 बसें चलती हैं जो 20 ट्रिप लगाती हैं । इसके अलावा दूसरे डिपोज जैसे रिवाड़ी, गुड़गांव, पानीपत व जींद के भी 15 ट्रिप हैं । इसी प्रकार से राजस्थान स्टेट ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन की भी छः बसें चलती हैं । इस प्रकार कुल मिलाकर 44 ट्रिप झज्जर वाया रोहतक के हैं । हम अगले 3-4 महीनों में छः बसें और दे देंगे जिससे 15 ट्रिप और बढ़ जाएंगे । जहां तक एक्सप्रेस सर्विस चलाने की बात है, यदि यह वायेबल हुआ तो इस पर भी विचार कर लेंगे ।

Mr. Speaker : The Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Supply of Electricity

*754. **Shri Mohan Lal Pipal** : Will the Minister for Power be pleased to state—

(a) whether there is a provision to supply electricity for eighteen hours daily in Rewari being a single crop area; and

(b) if so, whether this facility is not being provided in the Pataudi area; if not, the reasons therefor ?

बिजली मन्त्री (श्री ए० सी० चौधरी) :

(क) इस समय एक फसली क्षेत्र जिसमें रिवाड़ी भी शामिल है को लगभग 16 घण्टे बिजली आपूर्ति दी जा रही है । उपलब्धता के आधार पर अधिकतम बिजली सप्लाई करने के प्रयत्न किए जाते हैं ।

(ख) इसी तरह ऐसी ही सुविधा पटौदी क्षेत्र में भी दी जाती है ।

---

132 K. V. Sub-Station at Village Sagga & Amin

*837. **Shri Jai Singh** : Will the Minister for Power be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up 132 K. V. Sub-Station at village Sagga District Karnal and at village Amin District Kurukshetra; if so, the time by which the aforesaid sub-stations are likely to be set up ?

बिजली मन्त्री (श्री ए० सी० चौधरी) : हां, श्रीमान जी, वर्ष 1994-95 के दौरान ।

Income to Market Committee Pehowa

*779. **Sardar Jaswinder Singh** : Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) the total income accrued to the Market Committee, Pehowa during the year, 1992—93; and

(b) the total amount spent on the repair of roads by the Market Committee, Pehowa during the period as mentioned in part (a) above ?

कृषि मन्त्री (श्री हरपाल सिंह) :

(क) 1,73,77,480 रुपये।

(ख) 6.54 लाख रुपये।

Repair of Damaged Roads

*868. **Shri Amar Singh Dhanday** : Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to repair the damaged roads in Gulha division District Kaitha ; and

(b) if so, the time by which aforesaid roads are likely to be repaired ?

लोक निर्माण मन्त्री (चौधरी आनन्द सिंह डांगी) :

(क) हां श्रीमान् जी।

(ख) गुल्हा निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों पर बड़ी मरम्मत, जैसा कि खड्डे भरने तथा पैच लगाने, पहले ही कर दी गई है।

विभिन्न विषयों का उठाया जाना

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, जब से यह विधान सभा का अधिवेशन चल रहा है आज इसकी ग्यारहवीं मीटिंग है। आपने देखा होगा कि माननीय सरकारी सदस्यों ने और विपक्ष के सदस्यों ने भी बार-बार एस० वाई० एल० नहर पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है। स्पीकर सर, एस० वाई० एल० नहर के निर्माण के बारे में आज अगर पंजाब के गवर्नर साहब के एड्रैस पर पंजाब के चीफ मिनिस्टर जी का रिप्लाई देखें तो पता चलेगा कि उन्होंने ऑल सैटल्ड ईशूज को रि-ओपन कर दिया है। वे कह

रहे हैं कि पहले शेयर डिसाईड करेंगे कि रावी-व्यास में किस-किस का कितना हिस्सा है उसके बाद नहर के निर्माण की बात करेंगे। जब शेयर का फैसला हो जाएगा उसके बाद नहर के निर्माण की बात करेंगे। इस बारे में हमारा यह कहना है कि बन्स फॉर ऑल। इराडी ट्रिब्यूनल ने जो फैसला कर दिया है आज उसको रिव्यूपन क्यों किया जा रहा है। दूसरी बात उन्होंने यह भी कह दी कि जुलाई, 1985 में जितना पानी पंजाब को मिल रहा था उतना पानी तो एश्योरड है कि हमें मिलेगा ही उससे कम बून्द पानी नहीं लेंगे। स्पीकर सर, यह बहुत ही सीरियस मैटर है। एक आदमी नॉट लैस दैन दि स्टेट्स ऑफ चीफ मिनिस्टर, जिनके साथ हमारा हर मुद्दा जुड़ा हुआ है वे एस0 वाई0 एल0 नहर के निर्माण को आगे लटका रहे हैं। दूसरी तरफ जब उनसे पूछा गया कि क्या मीटिंग वाली बात सही है। (विघ्न) स्पीकर साहब, मैं तो आपकी हैल्प लेना चाहता हूं क्योंकि अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। हम तो पूछ-पूछ कर थक गए हैं। इस बारे में सरकार की भावना केवल पापुलैरिटी गेन करने वाले ब्यान देने की रही है और असत्य ब्यान दिए जाते हैं। उन्होंने कहा है कि मीटिंग की कोई ऐसी तिथि निर्धारित नहीं हुई है जब कि हमारे मुख्य मन्त्री जी ने कल सुबह कहा था कि 25 तारीख को मीटिंग हो रही है। हमें खुशी हुई थी कि चलो कोई मीटिंग तो हो रही है। इन्होंने कहा था कि चिट्ठी मिली है, बेअन्त सिंह से मेरी बात हो गई है। स्पीकर साहब, कल इसके बाद की बात है, सरदार बेअन्त सिंह जी ने हाउस में रिप्लाई देते हुए कहा है कि मुझे इस बारे में कोई चिट्ठी नहीं मिली है। स्पीकर साहब, हम और जोर डालेंगे तो हनन प्रस्ताव आ जाएगा इसलिए हम तो आपसे ही कहते हैं कि इस सम्बन्ध में कोई न कोई सीधी स्टेटमैंट आनी चाहिए कि इस बारे में हमारा रुख क्या है। स्पीकर सर, मैं फिर दोहराना चाहता हूं, इसमें हर्ज ही क्या है, हम चाहते हैं कि सरकार के हाथ मज़बूत हों चाहे ये रैजोल्यूशन ले आएं कि पंजाब सरकार इस नहर को नहीं बनाएगी। फंडिंग जब गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया कर रही है तो फिर उसको गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया ही क्यों न बनाए। दूसरी तरफ सुना जाता है कि गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया ने पिछली बार इसके लिए 20 करोड़ रुपये रखे थे जिनमें से 11 करोड़ रुपये ऐस्टेब्लिशमैंट पर खर्च हो गए और 9 करोड़ रुपये बच गए। इस बार उन्होंने इसके लिए 11 करोड़ रुपये रखे हैं। स्पीकर सर, अगर गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया ने इसके लिए 11 करोड़ रुपये का बजट रखा है तो वह 11 करोड़ रुपये तो ऐस्टेब्लिशमैंट पर ही खर्च हो जाएंगे। यह कहने से बात नहीं बनेगी कि जरुरत पड़ेगी तो पैसा और आ जाएगा। पैसे पर वोटिंग होती है और बजट पास होता है तब कहीं पैसा आता है। 11 करोड़ जो सैंट्रल गवर्नमैंट ने रखे हैं वे तो ऐस्टेब्लिशमैंट पर खर्च हो जाएंगे फिर नहर कैसे बनेगी। गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया अपना रवैया स्पष्ट करे। स्पीकर सर, इससे संशय पैदा होता है। (विघ्न) उधर फिर इसको चण्डीगढ़ के साथ जोड़ रहे हैं। हमारा स्टैंड तो यही है कि जहां तक चण्डीगढ़ का मामला है वह तो अबोहर फाजिल्का और हिन्दी स्पीकिंग ऐरिया के 107 गांवों के साथ जुड़ा हुआ है। जब तक कैपिटल के

[प्रो० सम्पत सिंह]

लिए हरियाणा को पैसा नहीं मिलता तब तक हम उसको नहीं मानेंगे और यूनिलेटरल ट्रांसफर हम नहीं मानेंगे । दूसरी तरफ पंजाब क्या कह रहा है, चण्डीगढ़ ईशू से पहले सतलुज का शेयर डिसाईड होगा । चण्डीगढ़ वाली बात को भी उसके साथ लिंक कर रहे हैं । पहले 5 स्टेट्स इसमें शेयर का दावा कर रही हैं अब छठी स्टेट और दावेदार हो रही है। (विघ्न) स्पीकर सर, यह बहुत ही सीरियस मैटर है । 11वीं मीटिंग इस सैशन की लास्ट मीटिंग है और स्टेट का जो इम्पोर्टेंट और सीरियस इशू है, इस पर हम स्ट्रैस कर रहे हैं कि रावी-व्यास का जो पानी है, उसके शेयर का जो सवाल है, उसके रि-ओपन को हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते । स्पीकर साहब, इनको अपना स्टैंड क्लीयर करना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, इस गवर्नमैंट को अपना स्टैण्ड क्लीयर करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अब पगड़ी बदल भाई की बात आती है ।

श्री अध्यक्ष : सम्पत सिंह जी आप रिपीट न करें ।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये रैजोल्यूशन लाएं कि बी० आर० ओ० इसको बनाएगा । यह कहने से काम नहीं चलेगा ।

श्री अध्यक्ष : सम्पत सिंह जी आप बैठ जाएं ।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता ने फिर से इस मामले को उठाया है । उस बारे में हमने भी अखबारों को पढ़ा है और जानने की कोशिश भी की है कि असैम्बली में अपने भाषण में बेअन्त सिंह जी ने क्या कहा है । आपने तो एक एनकेजिंग बात कही है । सरदार बेअन्त सिंह ने पहली बार कहा है कि in principle we agree to dig this canal, पंजाब के चीफ मिनिस्टर एग्री कर गए हैं कि एस० वाई० एल० को बनाएंगे । (विघ्न) जहां तक इस बात का ताल्लुक है जो सम्पत सिंह ने बड़े ही ड्रामैटिकली अन्दाज में कहने की कोशिश की है, यह सभी को पता है कि इराडी ट्रिब्यूनल ने 3-4 साल पहले फाईन्डिंग दी थी कि हरियाणा को 3.8 एम० ए० एफ० पानी दिया जाएगा । But that is not final. जब मैं इरीगेशन मिनिस्टर था तो हमने भी इसके लिए दावा किया था । देवी लाल, ओम प्रकाश चौटाला और बंसी लाल जी ने भी इसके लिए दावा किया था और कहा था कि हमें और पानी चाहिए । आज की सरकार भी इस बात पर स्टैंड करती है । अब तो बेअन्त सिंह ने भी कह दिया कि यह फैसला होना चाहिए और फाईनल होना चाहिए । इस फैसले में हमारी बातों को भी कंसीडर किया जाना चाहिए और पंजाब की बातों को भी कंसीडर किया जाना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, यह फैसला जितनी जल्दी होगा उतना ही दोनों स्टेटों का फायदा होगा । इस बारे में आज तक जितनी भी सरकारें रही हैं और इस सरकार का भी यही विचार है कि नहर को जल्दी से जल्दी खोदना चाहिए और हरियाणा प्रदेश को पानी मिलना

चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सम्मत सिंह जी और दूसरे नेता भी इस बात को मानेंगे कि अगर हम बार बार इस बात को उठाएंगे तो नुक्सान होगा। मैं तो इन्हें कहता हूं कि इस बात को इतना ड्रामाटाईज न करें और इस पर शान्ति से बात करें।

प्रो० सम्मत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा पर्सनल एक्सप्लेनेशन है। वीरेन्द्र सिंह जी ने जो ड्रामाटाईज की बात कही है, वह बिल्कुल बेबुनियाद है। एक जुलाई वाली बात पर आपने भी रैजिगनेशन दिया था और हमने भी रैजिगनेशन दिया था। उस समय पंजाब एक जुलाई, 1985 वाली कंडीशन लगा रहा था कि उससे कम एक बूंद पानी भी वह नहीं लेगा। उसकी वह कंडीशन गलत है। इसी बात पर ये हमारे साथ रैजिगनेशन देकर आए थे, मैं भी शामिल था। स्पीकर सर, वही कंडीशन आज फिर बेअन्त सिंह लगा रहे हैं जो हमें मंजूर नहीं है। (विघ्न)

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, लीडर ऑफ दी अपोजीशन ने एस० वाई० एल० के बारे में अपनी बात कही है लेकिन मुझे ज्यादा ताज्जुब चौधरी वीरेन्द्र सिंह की बात को सुन कर हुआ। उन्होंने तो इस मामले को और ज्यादा कम्पलीकेटिड कर दिया। एक तरफ तो वे कहते हैं कि पंजाब के मुख्य मंत्री ने इन प्रिंसिपल यह बात मान ली है कि वे एस० वाई० एल० कैनाल को बनाएंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, उन्होंने तो इन प्रिंसिपल इसको बनाने से कभी इंकार किया ही नहीं। उन्होंने नयी बात क्या मान ली ? मगर उनका यह कहना कि पहले पानी के हिस्से का बंटवारा हो जाए, तब हम इसको बनाएंगे। जैसा वीरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि पानी का फाईनल बंटवारा होने की बात पहले की सरकार ने भी और आज की सरकार ने भी मान ली है। अध्यक्ष महोदय, क्या पहले जो पानी का बंटवारा हुआ है, हमने उसको रि-ओपन करने की बात कही है जैसा कि आज के मुख्यमंत्री ने, आज की सरकार ने पहले ही मान लिया है ? और अगर मान ही लिया है तो पानी का बंटवारा करने से पहले ये किस तरह से कहते हैं कि कल को नहर बन जाएगी ? अध्यक्ष महोदय, ईराडी ट्रिब्यूनल ने जो फैसला किया था.....

श्री वीरेन्द्र सिंह : आन ए प्वायंट ऑफ आर्डर सर। अध्यक्ष महोदय, शायद इन्होंने मेरी बात को समझा नहीं। स्पीकर सर, पानी का बंटवारा ईराडी ट्रिब्यूनल के पास अभी भी पैंडिंग है। ईराडी ट्रिब्यूनल की पानी के बंटवारे के बारे में जो फाईंडिंग हैं, वह 3.8 एम०ए०एफ० की है। इतने पानी पर हमने भी दावा डाला हुआ है और पंजाब ने भी अपना दावा डाला हुआ है तो इस तरह से यह फाईनल तो होना ही है।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, अगर यह फाईनल होना ही है तो पंजाब के मुख्यमंत्री की यह कंडीशन तो पहले ही है कि हम इन प्रिंसिपल नहर बनाने को तैयार हैं और हम इसको तब बनाएंगे जबकि पानी का फैसला हो जाए। इसलिए अध्यक्ष महोदय, अगर इस विधान सभा की तरफ से एक गुनानीमसली प्रस्ताव पास हो जाए

[चौधरी बंसी लाल]

कि सरकार इस मामले में अपना जो भी स्टैंड लेगी तो उसके साथ पूरी विधान सभा है। सरकार भी उसका पूरा समर्थन करती है तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई नुक्सान वाली बात नहीं है। (विघ्न)

मुख्यमन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, जब भी सम्पत सिंह के पास और कोई बात नहीं होती तो वे एस0 वाई0 एल0 के मामले को लेकर खड़े हो जाते हैं। बीरेन्द्र सिंह जी ने ठीक ही कहा कि ये ड्रामे की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। तो यह बिल्कुल वैसी ही बात है जो मुनासिब नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस कैनाल की इनको तो चिन्ता कम है जब कि हमें इसकी ज्यादा चिन्ता है। इनका चार साल का राज रहा है अगर इन्होंने इस कैनाल पर एक कस्सी भी मरवायी हो तो ये हमें बता दें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक एस0 वाई0 एल0 का ताल्लुक है ..... (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, एस0 वाई0 एल0 कैनाल के साथ हरियाणा का भाग्य जुड़ा हुआ है। हरियाणा के किसान पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हैं, प्यासे हैं। हमारी 60 परसैंट जमीन पानी के बगैर बेकार पड़ी हुई है। अगर हरियाणा को पानी मिल जाए तो वह पंजाब से ज्यादा उत्पादन कर सकता है। पंजाब का पानी पाकिस्तान में जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, पंजाब हमारा बड़ा भाई है इसलिए उनको हमारे साथ ज्यादती की बात नहीं करनी चाहिए। चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने ठीक कहा है। हमने भी उनके ब्यान 2-3 दफा पढ़े हैं। उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा कि नहर नहीं बनाएंगे। उन्होंने कहा है कि नहर तो हमने बनानी है लेकिन उन्होंने "इफ" और "बट" लगाकर कह दिया कि इसके साथ चण्डीगढ़ का इशू और मुद्दे जुड़े हुए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री जब पंजाब की असैम्बली में बात करेंगे तो अपने इंट्रैस्ट की तो थोड़ी बहुत बात करेंगे। लोगों में वे जवाबदेह हैं। जब मैं हरियाणा की बात करूंगा तो जो बात होगी, उससे मुझे कुछ ज्यादा कहनी पड़ेगी। हरियाणा के इन्ट्रैस्ट का सवाल है। हरियाणा के इंट्रैस्ट को खराब मत करिए। जहां तक एस0 वाई0 एल0 का ताल्लुक है, बाकायदा इराडी ट्रिब्यूनल ने फैसला किया है। जैसा बीरेन्द्र सिंह जी ने कहा 3.5 एम0 ए0 एफ0 के बारे में हम कोर्ट में गए थे, बाद में जब ट्रिब्यूनल बैठ गया तो केन्द्र सरकार की ओर से दोनों सरकारों को कहा गया कि आप इस केस को वापस लें। पंजाब ने भी वापस ले लिया और हमने भी वापस ले लिया क्योंकि पार्लियामैंट ने ट्रिब्यूनल बैठाया था। पार्लियामैंट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी कोई चैलेन्ज नहीं कर सकता। न पंजाब कर सकता है न हरियाणा कर सकता है। अगर पंजाब को मान्य नहीं होता तो उस फैसले को चैलेन्ज करता। कानून के मुताबिक वह चैलेन्ज नहीं हो सकता। हरियाणा का 3.83 एम0 ए0 एफ0 पानी मानकर उन्होंने भारत सरकार से पैसा लिया। उस वक्त के मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला अकाली मुख्यमंत्री थे, वे नहर को 95 परसैंट बनाकर गए। पानी के फैसले को मानकर गए। पानी के मामले में कोई झमेला नहीं है, झमेला नहर बंद होने का है। लेकिन पंजाब में हालात

खराब हो गए । नहर पर जो वर्कर काम कर रहे थे वर्कर और इंजीनियर उनमें से 100 से ज्यादा लोग मौत के घाट उतार दिए । इसलिए नहीं कि नहर न बनाओ बल्कि उन्होंने तो अपने नम्बर बढ़ाने थे कि हमने इतने आदमी मार दिए। उग्रवादियों ने न कभी नहर के मामले में रुकावट डालने की कोशिश की और न चण्डीगढ़ के मामले में । उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि चण्डीगढ़ हमको दे दो तो हम कत्लो-गारत नहीं करेंगे । एस0 वाई0 एल0 कैनाल के बारे में उनके मन में कोई बात नहीं थी । उन पर तो खालिस्तान का भूत चढ़ा था । बेअंत सिंह जी ने यह कहा है कि चण्डीगढ़ का मसला भी हमारे इस मसले के साथ हल हो जाए । चण्डीगढ़ का मसला नहर के साथ नहीं जुड़ा है । फाजिल्का-अबोहर के साथ जुड़ा हुआ है । फाजिल्का और अबोहर का एरिया हरियाणा को मिलेगा । पंजाब को नहर बना के देनी चाहिए । नहर उनको बनानी होगी । 25 तारीख की मीटिंग दिल्ली में बुलाई हुई है । उसमें हम इस एस0 वाई0 एल0 के मामले को पूरे जोर से कहेंगे । प्रधानमंत्री खुद चिंतित हैं कि नहर हर हालत में बननी चाहिए । लेकिन अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि पंजाब का माहौल खराब हो गया था । एस0 वाई0 एल0 के लिए 11 करोड़ रुपया बजट में रखा है । अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि बजट में जब खर्च होता है, बाकायदा असैम्बली में पास करवाते हैं, पार्लियामैंट से पास करवाते हैं । सप्लीमैंट्री एस्टीमेट्स आते हैं । संपत सिंह जी, आप तो सरकार में रह चुके हो । सरकार में न रहा हुआ आदमी बात करे तो बात कुछ समझ में आती है । आज कोई फ्लड आ जाए, भूकंप आ जाए या कोई ऐसी आपदा आ जाए और उस पर 100 करोड़ रुपये खर्च किया जाए तो उसे बाद में पास करवाएंगे। (विघ्न)

वित्त मन्त्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : एक हजार करोड़ रुपये के सप्लीमैंटरी एस्टीमेट्स पास कराए हैं ।

चौधरी भजन लाल : अभी 11 करोड़ रुपया खर्च होगा । 495 करोड़ रुपया भारत सरकार ने पंजाब को दे रखा है । पंजाब के पास भारत सरकार का पैसा गया हुआ है । 11 करोड़ रुपया फिर भी रखा है । एक बात और कहता हूं कि अगर भारत सरकार पैसा नहीं देगी तो हरियाणा सरकार इस नहर के लिये अपने फंड्ज में से भी पैसा देगी, चाहे इस के लिये हमें दूसरे सारे काम क्यों न बन्द करने पड़ें लेकिन हमने इस नहर को तो बनाना है । दूसरे अध्यक्ष महोदय, एक बात इन्होंने और कह दी ।

श्री अध्यक्ष : यह सैंटर से रुपया किसने दिलाया, इन्होंने या आपने ? यह भी बता दो ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि इनके जमाने में इस नहर का और पानी का क्या हाल था । अगर मैं सारी बात को दोहराऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा और न ही मैं सारी बात को दोहराना चाहता हूं । भजन लाल की सरकार

[चौधरी भजन लाल]

ने इस नहर का फैसला इंदिरा जी से कराया था । जिसकी सरकार ने इस नहर का काम शुरु कराया था उसका नाम भी भजन लाल है । इस सरकार ने नहर का काम शुरु करवाया था । भजन लाल की सरकार ने 95 परसैंट इस नहर का काम पूरा करवाया है । यह सारा काम पूरा करवायेगी तो भजन लाल की सरकार ही करवायेगी । इस नहर में पानी लाकर देगी तो वह आज की सरकार ही लाकर देगी । यह इनके बस की बात नहीं है कि ये पानी लाकर दें ।

प्रो0 सम्पत सिंह : ताजमहल भी इन्होंने बनवाया था । (व्यवधान व शोर)

चौधरी भजन लाल : ताज महल तो चौधरी देवी लाल ने बनवाया होगा । अगर मैं साथ में ओम प्रकाश का नाम ले दूंगा तो वह ठीक नहीं होगा । (हंसी) अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात एक इन्होंने प्रस्ताव पास करने के बारे में कही है । अध्यक्ष महोदय, 20 फरवरी, 1986 को इसी सदन में मैंने एक प्रस्ताव रखा था और यूनानी-मसली प्रस्ताव पास करके हमने भारत सरकार को भेजा हुआ है । (व्यवधान व शोर)

एक आवाज : तब तो केवल एक ही पार्टी थी, हमने तो इस्तीफा दे दिया था ।

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, ये कहते हैं कि हमने तो इस्तीफा दे दिया था और दूसरी पार्टी हरियाणा में उस समय कोई नहीं थी । (विघ्न व शोर) ये कहते हैं कि हम तो इस्तीफा देकर चले गये थे । अध्यक्ष महोदय, ऐसा इस्तीफा तो हमने कभी देखा ही नहीं है । मैं इस बारे में कुछ कह दूंगा कि यह शर्म की बात है तो इनको दुःख हो जायेगा । ये ऐसे शर्मसार आदमी हैं । ये बड़े ही शर्म वाले आदमी हैं । इस्तीफा तो दे दिया लेकिन टी0 ए0/डी0 ए0 और तनखवाह वगैरह 1987 तक की ले गये । यह तो एक रिकार्ड की बात है । (व्यवधान व शोर—शेम-शेम की आवाजें) यह तो इनका इस्तीफा है । अध्यक्ष महोदय, सदन में मैं यह बात विश्वास के साथ कह सकता हूं और सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा के हितों की पूरी रक्षा होगी और हरियाणा के हित प्रधान मंत्री जी के हाथों में सुरक्षित हैं । किसी किस्म की हमारे साथ ज्यादती होने का सवाल ही पैदा नहीं होता । हम इस नहर को जल्दी से जल्दी बनवायेंगे । (व्यवधान व शोर).... अध्यक्ष महोदय, आप जरा इस बारे में क्लीयर कर दें । ऐसे फर्जी इस्तीफा देने वाले आदमी कहां देखने को मिलेंगे । (व्यवधान व शोर)

श्री अध्यक्ष : आपने कांस्टीच्यूएंसी अलाउन्स लिया है, टैलीफोन का भी लिया है और कम्पनसेटरी अलाउन्स भी लिया है । (शेम शेम की आवाजें—व्यवधान व शोर)

चौधरी भजन लाल : आपने तनखवाह और टैलीफोन का बिल भी लिया हुआ है । (व्यवधान व शोर)

श्री अध्यक्ष : सम्मत सिंह जी, आप बैठिये । पहले आप मेरी बात को पूरा सुन लो । आप नहीं, मैं बताऊंगा । आप बैठो । आपने कम्पनसेटरी अलाउन्स, कांस्टीच्यूएंसी अलाउन्स हल्के के नाम से लिया है । आपने टैलीफोन अलाउन्स भी लिया हुआ है और जो कूपन हैं, वे भी इस्तेमाल किये हैं । (व्यवधान व शोर) सारे इकट्ठे नहीं बोलें । एक समय में एक ही बोले ।

श्रीमती चन्द्रावती : आन ए प्वांयट आफ आर्डर । स्पीकर साहब, ऐसा था कि 1985 में शायद तीस अगस्त थी या कुछ और तारीख थी, हम सबने इस्तीफा दिया था । मैं एक बात बताती हूं कि मैंने अपना इस्तीफा दिया था और चार दिन के अन्दर गाड़ी खाली करनी थी और सामान का हिसाब किताब करना था .....

श्री अध्यक्ष : उस समय तीन का इस्तीफा मन्जूर हुआ था, चन्द्रावती जी ।

श्रीमती चन्द्रावती : मैं भी उसमें शामिल थी और मेरा इस्तीफा मन्जूर हुआ था । उस समय गजट हो चुका था कि भाढ़ड़े का चुनाव होगा लेकिन हिन्दुस्तान में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि दो साल तक चुनाव न हो । चौधरी देवी लाल ने शरद यादव से लिखवा दिया कि यह चुनाव नहीं होना चाहिए और वह चुनाव नहीं हुआ । सिर्फ मैं ही एक एम0एल0ए0 थी जिसका दो साल तक चुनाव नहीं होने दिया और न ही मैंने टी0ए0, डी0ए0 लिया । मैं आपको बताऊं कि मैंने कोठी उसी वक्त खाली कर दी और गाड़ी भी उसी वक्त भेज दी । (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : बहन जी, आपकी बात नहीं है । (शोर एवं व्यवधान)

प्रो0 सम्मत सिंह : स्पीकर साहब, अभी यहां पर इस्तीफे की बात आई । राजीव-लौंगोवाल समझौता हुआ और हम लोगों ने बाकायदा रेजिगनेशन दिया । उस समय चौधरी देवी लाल और मंगल सैन का इस्तीफा मन्जूर हो गया । (शोर एवं व्यवधान) इस्तीफे के बाद दुबारा चुनाव हो गए लेकिन बाकी जितने एम0एल0एज0 थे उनके इस्तीफे मन्जूर करने की सरकार की हिम्मत नहीं हुई । (शोर एवं व्यवधान) चुनाव के रिजल्ट देखने के बाद इनकी हिम्मत इस्तीफे मन्जूर करने की नहीं पड़ी । (शोर एवं व्यवधान) इस सरकार ने बिल्कुल इस्तीफे मन्जूर नहीं किए । इनमें हिम्मत नहीं थी और इसलिए इन्होंने ऐक्सैप्ट नहीं किए । स्पीकर साहब, हम आखिरी दिन तक इन्तजार करते रहे कि ये हमारे इस्तीफे मन्जूर कर लें लेकिन आखिरी दिन तक भी इस्तीफा मन्जूर नहीं किया । (शोर एवं व्यवधान) जब इन्होंने इस्तीफा मन्जूर नहीं किया तो इसका मतलब यह है कि हम एम0एल0ए0 थे और हम उन अलाउन्सिज के ऐन्टाइटल्ड थे । (शोर एवं व्यवधान) हम इन्कार नहीं करते कि हमने अलाउंसिज नहीं लिए । सरकार इस्तीफा मन्जूर करने से भाग गई थी । जब तक इस्तीफे मन्जूर नहीं हुए हम एम0एल0ए0 थे । (शोर एवं व्यवधान) आपकी चेयर पर जो भी बैठे हुए थे उन्होंने इस्तीफे मन्जूर नहीं किए और उस वक्त

[प्रो0 सम्पत सिंह]

हमें कांस्टीच्यूएंसी अलाउन्स मिला था। आज इस तरह की बात करने का क्या फायदा। आपकी उस वक्त हिम्मत नहीं हुई कि हमारे इस्तीफे मन्जूर करते । (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर साहब, उस वक्त ये इस्तीफा मन्जूर करते । ये कुछ तो हिम्मत दिखाते । (शोर एवं व्यवधान)

ध्यानाकर्षण सूचनाएं

श्री सतबीर सिंह कादयान : स्पीकर साहब, मेरा एक काल अटैन्शन मौशन था ।

श्री अध्यक्ष : आपने कब दिया था ?

श्री सतबीर सिंह कादयान : आज 8.30 बजे दिया था ।

श्री अध्यक्ष : यह अन्डर कंसीडेशन है ।

डा0 राम प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मेरे दो कालिंग अटैन्शन मौशन थे । पहला ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इस बारे में था कि गांवों में प्रजापति जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उनको मिट्टी उठाने में बड़ी दिक्कत आ रही है । इसलिए सरकार निर्देश दे कि उनको मिट्टी उठाने के लिए भूमि अलाट की जाए और उनके काम में कोई रुकावट न डाली जाए । जहां पर मिट्टी उठाने के लिए जगह नहीं है वहां सरकार एतदर्थ जमीन ऐक्वायर करे । उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐसा प्रावधान किया है जिसमें उनके लिए जमीन अलाट की गई । इसी तरह से हरियाणा सरकार भी उनके लिए जमीन अलाट करे । यह मेरा पहला ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। दूसरा मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है कि हरियाणा में पहले डिप्लोमा होल्डर्ज पशु चिकित्सा का काम करते थे । कई जगहों पर तो डिप्लोमा होल्डर्ज सरकारी चिकित्सालयों में इन्चार्ज भी थे लेकिन अब सरकार ने नया सिस्टम कर दिया है कि हरियाणा में केवल डिग्री होल्डर्ज ही पशु चिकित्सा का काम कर सकेंगे । मैंने यह चाहा है कि डिप्लोमा होल्डर्ज को पशु चिकित्सा का काम करने दिया जाए नहीं तो गांवों में किसानों को और उन सभी को जिनके पास पशु हैं बड़ी भारी परेशानी होगी ।

श्री अध्यक्ष : राम प्रकाश जी आप बैठिए ।

Hon'ble Members, notice of calling attention motion No. 30 11.00 बजे / given by Dr. Ram Parkash, M.L.A. regarding registration of veterinary doctors is disallowed on the following grounds :-

1. That the matters is not of recent occurrence; and
2. That the matter is not of urgent nature.

Notice of calling attention motion No. 31 given by Dr. Ram Parkash, M.L.A. regarding reservation of land for making clay pots has been received. Hon'ble Members, I have disallowed the above motion on the following grounds :—

1. That the matter is not of recent occurrence.

2. That the calling attention notice is not of urgent nature. (Noise & Interruptions)

No more discussion. Please take your seats.

प्रो० राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, मैंने पांच काल अटैन्शन मोशन दिए थे, जिन में से तीन का जवाब तो जब हम सैशन से जाने लगे तो दरवाजे पर ही पकड़ा दिया । उस बारे में तो मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि वह आपका निर्णय है । मेरे दो काल अटैन्शन मोशन विचाराधीन हैं । एक तो सूरजपुर सीमेंट फैक्ट्री से संबंधित था और दूसरा एच०एम०टी० फैक्ट्री के बारे में था जो बहुत बड़ी फैक्ट्री है, वहां से लोगों को रिट्रैन्च कर दिया । (शोर) एच०एम०टी० को किसी प्राईवेट संस्था को यह सरकार देने जा रही है । कर्मचारियों को इससे काफी भय है कि उनका क्या बनेगा । सूरजपुर सीमेंट फैक्ट्री से जबरदस्ती 200 आदमियों से रैजिग्नेशन लिया गया है । यह लोगों के साथ बड़ा ही अन्याय है । स्पीकर सर, एक तरफ तो ये पिंजौर को प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बनाने जा रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों की छंटनी करने जा रहे हैं । यह अच्छी बात नहीं है । इसलिये आप मेरे इन काल अटैन्शन मोशन्ज का फेट तो बतलाईये ।

श्री अध्यक्ष : ये आपने सुबह 9.25 पर दिये और अन्डर कंसिडेशन हैं ।

प्रो० राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, अगर आज जवाब न आया तो क्या लाभ । आज सैशन खत्म हो जाएगा तो फिर इसकी क्या इम्पौर्टेंस रहेगी ?

श्री अध्यक्ष : आगे जा सकता है ।

प्रो० राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, एक मैंने काल अटैन्शन मोशन दिया है कि महेन्द्रगढ़ के अन्दर पीने के पानी की बड़ी भारी समस्या है । पशु महामारी से मर रहे हैं । मैंने यह कल दिया था और आप इसका फेट बता दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : यह आपने कल दिया था, यह सरकार के कमैन्ट्स के लिये भेज दिया है ।

प्रो० राम बिलास शर्मा : स्पीकर साहब, आज तो सैशन समाप्त हो जाएगा । सैशन में जवाब नहीं मिला तो फिर कब मिलेगा । आपके होते तो हम इस सदन में अपनी समस्याएं आप द्वारा सरकार के सामने रख सकते हैं । (शोर)

श्री अध्यक्ष : राम बिलास जी, आप बैठिये । (शोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, मेरा भी एक काल अटैन्शन मोशन था। (शोर)

प्रो0 राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, कम से कम हमें इसका फेट तो बता दीजिये । (शोर)

श्री अध्यक्ष : राम बिलास जी, आपको कई दफा यहां पर बोलने का मौका मिला है । कल से आपको कई दफा यहां अपनी बातें कहने का मौका मिला । आपने अपनी सारी बातें कह ली हैं (शोर) अब क्या रह गया है ? (शोर)

प्रो0 राम बिलास शर्मा : स्पीकर साहब, यह तो आपकी कृपा है जो आपने यहां बोलने का मौका दिया है और देते रहते हैं । मेरा कहना यह है कि पानी की कमी के कारण पशु महामारी से मर रहे हैं और सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है । (शोर)

Mr. Speaker : You have repeated the same points several times.

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान एक अति आवश्यक महत्वपूर्ण मुद्दे पर दिलाना चाह रहा हूं कि हरियाणा में जितने भी जुडिशियल आफिसर्ज हैं, उनकी सुविधाओं को सरकार अनदेखा कर रही है । इससे उन्हें यह दिक्कत हो रही है कि वे जो भी फैसले सुनाते हैं, वे ठीक प्रकार से नहीं सुना पाते ।

Mr. Speaker : It is disallowed. (Noise & Interruptions).

श्री सतबीर सिंह कादयान : स्पीकर सर, मैंने आज एक काल अटैन्शन मोशन दिया था जो पानीपत की इंडस्ट्रीज से संबंधित है। पानीपत आज का एक मानचेस्टर है । यहां से 410 करोड़ रुपये का माल एक्सपोर्ट होता है, जिससे देश का नाम बढ़ता है । (शोर) स्पीकर साहब, धागे पर टैक्स लगाया जा रहा है । (शोर) और दूसरी सुविधाएं वहां पर सरकार की ओर से नहीं दी जा रही हैं । (शोर)

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, आप बैठिये । आपका यह काल अटैन्शन मोशन का प्वायंट नहीं बनता । आप बैठिये (शोर)

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, सदन की कार्यवाही शुरु करने से पहले मैं एक प्रस्ताव लाना चाहूंगा । जब काल अटैन्शन्ज की बात खत्म हो जाए तो उसके बाद वह प्रताव लाने के लिए मुझे समय दिया जाए ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है । काल अटैन्शन मोशन के बाद आप वह प्रस्ताव रख देना ।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, जो बात कादियान साहब ने कही है, मैं मानता हूं कि वह काल अटेन्शन की बात नहीं है । लेकिन मैं मुख्य मन्त्री जी को एक सलाह देना चाहता हूं कि वे फाइनैंस मिनिस्टर से बात करें कि जो ऊन और धागे पर एक्साइज डियूटी लगाई गई है इससे पानीपत की इंडस्टरी तबाह हो जाएगी । पानीपत से दो सौ करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान हैंडलूम का सालाना एक्सपोर्ट होता है । इस मामले को चीफ मिनिस्टर को अपने लैवल पर फाइनैंस मिनिस्टर से डिस्कस करना चाहिए ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने अगले ही दिन फाइनैंस मिनिस्टर को बाकायदा चिट्ठी लिखी और उसकी कापी मैंने लहरी सिंह जी को दिखाई है । उनका जवाब भी आ गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि हम उस पर विचार कर रहे हैं । हमने उनको यही लिखा था कि मेहरबानी करके इस पर दोबारा से विचार करें । ये तो सोए हुए थे और आज जागे हैं । मैंने तो उनको सात दिन पहले पत्र लिख दिया था ।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ : स्पीकर साहब, राज्य सभा की चुनी हुई मैम्बर श्रीमती मायावती ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ कहा है । ऐसा करके उसने सारे राष्ट्र का अपमान किया है । मैंने मांग की थी कि सदन के नेता इस बारे में प्रस्ताव ला कर उसकी निन्दा करें। यह राष्ट्र का अपमान है । वे बसपा की जनरल सैक्रेटरी हैं और दुर्भाग्य से राज्य सभा की भी मैम्बर चुनी गई हैं ।

श्री अध्यक्ष : वह आपका मोशन डिस अलाउ हो गया है ।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, मेरी एक सबमिशन है कि इस हाउस में मेरी नाम राशि के एक और बीरेन्द्र सिंह जी हैं । पहले तो वे और मैं किसी एक पार्टी में इकट्ठे नहीं थे इसलिये प्रिंट मीडिया और दूसरे मीडियाज को बड़ी सहूलियत रहती थी और लोग समझते थे कि कौन सा बीरेन्द्र कौन सी भाषा बोलता है। लेकिन अब हमारी भाषा और पार्टी मिल गई है और मैं बीरेन्द्र सिंह की जगह बीरेन्द्र सिंह बन जाता हूं । तो मुख्य मन्त्री जी ने पीछे एक बात कही थी कि कैबिनिट एक्सपैन्शन करेंगे। मैं चाहता हूं कि इनको मिनिस्टर डैजिगनेट कर दिया जाए ताकि प्रिंट मीडिया ठीक लिख सके। (हंसी)

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, इनकी बहुत सी चिट्ठियां मेरे पास आ गई हैं, ये मेरे पास आ जाएं मैं इनको दे दूंगा।

ध्यानाकर्षण सूचना—

कोल्ड स्टोरेज में बिजली की कम सप्लाई सम्बन्धी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a notice of Calling Attention Motion No. 18 given notice of by Shri Lehri

[Mr. Speaker]
Singh, M.L.A. regarding damage to potatoes due to short supply of electricity to the cold stores. I admit it. Shri Lehri Singh may read his notice and the concerned Minister may make a statement thereafter.

साथी लहरी सिंह : अध्यक्ष महोदय मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि शाहबाद से लाडवा तक के क्षेत्र के किसान आलू की फसल पैदा करते हैं। आलू की फसल को सुरक्षित रखने के लिये कोल्ड स्टोर बनाए गए हैं परन्तु खेद इस बात का है कि आलू की फसल को सुरक्षित रखने के लिये कोल्ड स्टोरों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है। इसके कारण आलू उत्पादक अत्यन्त परेशान हैं। बर्धन के सभी कोल्ड स्टोरों में किसानों/मजदूरों द्वारा कड़ी मेहनत से उगाई गई आलू की फसल बरबाद हो रही है। क्योंकि उनके हल्के के किसानों/मजदूरों की आजीविका का केवल यही साधन है। अतः सरकार रोजाना नष्ट हो रही इस फसल को, जो कि एक अत्यावश्यक पदार्थ है, सुरक्षित रखने के लिये पग उठाए तथा जनता की जरूरत को पूरा करने हेतु इस मुख्य फसल को बचाने के लिये इन कोल्ड स्टोरों को 24 घंटे बिजली दी जाए। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि सरकार सदन में अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि आलू की फसल को सुरक्षित रखने के लिये आज से ही क्या पग उठा रही है ?

Mr. Speaker : Now, I would request the Power Minister to make a statement.

वक्तव्य—

बिजली मन्त्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण सूचना सम्बन्धी

बिजली मन्त्री (श्री ए० सी० चौधरी) : इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से माननीय सदस्य ने भण्डारण किए जाने वाले आलुओं के लिये प्रयोग किये जाने वाले कोल्ड स्टोरेज की बिजली आपूर्ति से संबंधित समस्या की ओर इस सदन का ध्यान दिलाया है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रातः काल 5.30 बजे से 8 बजे तक तथा सायंकाल 5.30 बजे से 9 बजे तक पीक लोड घंटों को छोड़कर राज्य में किसी भी उद्योग पर जिसमें कोल्ड स्टोरेज भी सम्मिलित हैं, बिजली की कोई कटौती नहीं लागू है। इसके अतिरिक्त वैसे भी राज्य में कोल्ड स्टोरेज को अनिवार्य सेवा घोषित कर दिया गया है तथा इसके लिये जहां तक भी संभव हो बिजली आपूर्ति निरन्तर बनाए रखी जाती है।

परन्तु ऐसे कोल्ड स्टोरेज जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं उन कोल्ड स्टोरेज द्वारा ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। राज्य में इन क्षेत्रों

को ग्रामीण फीडरों के माध्यम से बिजली प्राप्त होती है जो कि प्रारंभिक रूप से कृषि नलकूपों को बिजली देते हैं। कुरुक्षेत्र जिला सहित राज्य के नहरी सिंचाई वाले ग्रामीण भागों को बिजली की आपूर्ति औसतन 7 घंटे प्रतिदिन दी जाती है। ट्यूबवैलों को दो ग्रुपों (समूहों) में चलाया जाता है। एक ग्रुप को बिजली आपूर्ति 11.00 बजे से 5.00 बजे प्रातः तक तथा इसके बाद 4.00 बजे शाम से 5.00 बजे शाम तक दी जाती है तथा दूसरे ग्रुप को बिजली आपूर्ति प्रातः 9.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक दी जाती है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे फीडरों से जुड़े कोल्ड स्टोरेजों को बिजली आपूर्ति ट्यूबवैलों पर लागू नियमन उपायों के अनुसार दी जाती है। ऐसे कोल्ड स्टोरों को अलग करना तथा उनको निरन्तर बिजली देना संभव नहीं है।

पिछले वर्ष की तुलना में चालू महीनों के दौरान राज्य को भाखड़ा कम्पलैक्स से बिजली आपूर्ति प्रतिदिन 40 लाख यूनिट के क्रम से कम उपलब्ध होने के कारण पर्याप्त नहीं है। यह आसपास के क्षेत्रों में पिछले मौनसून के दौरान कम वर्षा होने के कारण चालू वर्ष में पौंडेज स्तर कम होने के कारण हुआ है। रबी के मौसम के समाप्त होने के बाद इस स्थिति के सुधरने की आशा है। तभी राज्य के नहरी सिंचाई वाले क्षेत्रों के ग्रामीण फीडरों को अधिक बिजली देना संभव हो पाएगा।

साथी लहरी सिंह : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि राज्य में कोल्ड स्टोरेज को अनिवार्य सेवा घोषित कर दिया गया है तथा इसके लिए जहां तक भी सम्भव हो सकता है बिजली की आपूर्ति निरन्तर बनाए रखी जाती है। साथ ही इन्होंने यह कह दिया कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज हैं उनको हम लगातार बिजली नहीं दे सकते। यह कंट्राडिक्ट्री है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि आलू भी अर्सैंशियल कमोडिटी है इसलिये जिन कोल्ड स्टोरेज में आलू रखे जाते हैं उन कोल्ड स्टोरेज को 24 घंटे बिजली कब प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके साथ ही मैं यह जानना चाहता हूं कि चूंकि अभी गर्मी का मौसम आ गया है अगर आलू सड़ गया तो आगे किसानों को बीज नहीं मिल पाएगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल यह है कि कुरुक्षेत्र जिला नहरी सिंचित इलाका है और उसको 7 घंटे बिजली प्रतिदिन मिलती है। हमारे इलाके में कोई नहर नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि उस इलाके को 15—16 घंटे रोजाना बिजली दी जाए। जबकि अब सिर्फ 2—3 घंटे बिजली मिलती है। (विघ्न) यदि बबैन में 16 मैंगावाट का स्टेशन लग जाए तो फिर हमारे वहां पर यह बिजली की समस्या दूर हो सकती है।

श्री ए० सी० चौधरी : स्पीकर साहब, शाहबाद डिवीजन में 25 कोल्ड स्टोरेज हैं जिनमें से 22 देहाती एरिया में हैं जो एग्रीकल्चर फीडर से जुड़े हैं। बबैन में 4 कोल्ड स्टोरेज हैं और ये चारों रूरल फीडर से जुड़े हैं। अब की बार जैसा

[श्री ए० सी० चौधरी]

की बारिश पूरी न होना भाखड़ा में पानी का लैवल कम होना और उसकी वजह से जनरेशन का कम होना भी हमारे लिये पूरी बिजली उपलब्ध न करा पाने की समस्या रही। जो कोल्ड स्टोरेज देहाती एरिया में हैं, वे एग्रीकल्चर फीडर से जुड़े हुए हैं। हम उनकी समस्या का ज्यादा समाधान बिजली की कमी के कारण नहीं कर सकेंगे। इनके लिये बिजली कहीं से डाईवर्ट नहीं हो सकती। सरकार की पालिसी है कि जो भी इस तरह के कोल्ड स्टोरेज हैं उनको अपने जनरेटिंग सैटस का इस्तेमाल बिजली न होने पर करना चाहिये। हमने उनको सबसीडाइज्ड रेट पर जनरेटिंग सैटस की सुविधा मुहैय्या करवाई है। जहां तक बबैन में और स्टेशन बनाने की बात है, हम कृषि के मामले में किसानों की चिंताओं से चिंतित हैं और हमारी वचनबद्धता के कारण हमने फैसला किया है कि बबैन के 66 के० वी० स्टेशन को 4—5 महीने में कमीशन करने की कोशिश करेंगे। तब जाकर वहां पर बिजली के क्षेत्र में सुधार हो पाएगा।

साथी लहरी सिंह : एक तरफ तो मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि असैंशियल कमोडेटिज को बिजली जरूर देंगे, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो कोल्ड स्टोरेज एग्रीकल्चर फीडर से जुड़े हैं उनको हम पूरी बिजली मुहैय्या नहीं करवा सकते। अध्यक्ष महोदय कोल्ड स्टोरेज ऐसे हैं जिनका अलग से फीडर है। दूसरे मैंने बबैन में 16 मैगावाट का स्टेशन इन्सटाल करने की बात पूछी तो उसका भी कोई जवाब नहीं आया। हमारे वहां पर बिजली का प्रबंध न होने की वजह से किसानों की फसल का नुक्सान हो रहा है। मैं चाहता हूं कि क्या सरकार बिजली का प्रबंध करके किसानों की फसल को उजाड़ने से बचाने की तरफ ध्यान देगी ?

श्री ए० सी० चौधरी : मैंने बताया है कि कुछ कोल्ड स्टोरेज एग्रीकल्चर फीडर से जुड़े हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : ये कह रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज के लिये अलग से फीडर है।

श्री ए० सी० चौधरी : स्वीकर साहब, ऐसा नहीं है। वे एग्रीकल्चर फीडर से जुड़े हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बबैन में 66 के० वी० का स्टेशन चालू होने से वहां पर बिजली की स्थिति सुधरेगी। आज के दिन कोल्ड स्टोरेज में ताजी फसल कहां से आ गई, यह बात इनकी समझ में नहीं आई। (विघ्न) मैंने बताया है कि जिन लोगों के पास कोल्ड स्टोरेज हैं उनको जनरेटिंग सैटस रखने चाहियें और इसीलिए हमने उनको इन सैटस पर सबसिडी दी हुई है। इसीलिये सरकार ने सबसिडी का फार्मूला तैयार किया है। अध्यक्ष महोदय, जहां पर भी हमारी मजबूरी की वजह से किसी को भी तकलीफ होती है उसको हम इन-डायरैक्ट वे में हैल्प कर अपनी उस जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। फिलहाल मेरा सुजेशन है और बाकी जगहों पर भी कोल्ड स्टोरेज वालों के लिए प्रि-रिक्विजिट होता

है । स्पीकर सर, आप बहुत विद्वान हैं, बिजली की ट्रिपिंग होना, बिजली का अचानक चले जाना यह कोई नई बात तो है नहीं । ऐसी हालत में कोल्ड स्टोरेज के लिये स्टैंडिंग अरेन्जमैन्ट रखना पड़ता है । लेकिन अगर ये चाहें कि सरकार सारी चीजों को बिजली दे तो ऐसा संभव नहीं है । एक को ओब्लाईज किया जा सकता है, 10 को ओब्लाईज किया जा सकता है लेकिन सब को नहीं। इसलिये मैं यह कहूंगा कि 66 के0 वी0 स्टेशन के कमीशन होने तक ये इन्तजार करें । फिर भी अगर उनका कोई प्रस्ताव आएगा तो उनको बिजली देने का प्रयास करेंगे । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : लहरी सिंह जी, इन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दी है, अब आप बैठिये । (विघ्न)

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now, Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 15.

Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra) : Sir, I beg to move—

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly' indefinitely.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

Mr. Speaker : Question is—

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

The motion was carried.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 16.

Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra) : Sir, I beg to move—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

Mr. Speaker : Question is—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

The motion was carried.

संकल्प—

(i) डा० सादिक हुसैन द्वारा लिखित एवं प्रकाशित पुस्तक "तहरीक-ए-मुजाहिदीन" पर प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी ।

Mr. Speaker : Now the Chief Minister will move his motion.

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं दो प्रस्ताव लाना चाहता हूं । मैं प्रस्ताव करता हूं कि—

"यह सदन पाकिस्तान के डा० सादिक हुसैन द्वारा लिखित एवं प्रकाशित पुस्तक "तहरीक-ए-मुजाहिदीन" जिसमें हमारे महान सिख गुरुओं के प्रति अशोभनीय एवं अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया है, की सर्वसम्मति से भर्त्सना करता है ।

इस पुस्तक में हमारे महान धर्म गुरुओं के प्रति की गई अभद्र टिप्पणियों से हमारी भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है । कुछ तत्व इस प्रकार के अश्लील साहित्य के माध्यम से भारत के विभिन्न धर्मों एवं सम्प्रदाय के लोगों में रोष भड़का कर आपसी मन-मुटाव और कटुता के जहर को फैलाना चाहते हैं । हरियाणा की जनता द्वारा निर्वाचित इस सदन के सभी सदस्यगण एक मत एक स्वर में अपना यह संकल्प दोहराते हैं कि भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप और साम्प्रदायिक भाईचारे और सहिष्णुता को आंच पहुंचाने के किसी प्रकार के भी नापाक इरादों को सफल नहीं होने दिया जाएगा । भारत की धरती पर हर धर्म और सम्प्रदाय के गुरुओं और सन्त महात्माओं ने सारी दुनियां के लोगों को मानवता और भाईचारे का अमर सन्देश दिया है । भारत के सभी धर्म जाति और सम्प्रदाय के लोगों ने सदा ही एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं के प्रति आदर, आपसी प्रेम भाईचारे तथा साम्प्रदायिक सद्भाव की मिसाल कायम की है इस देश का हर नागरिक अपने इस गौरव को सदा बनाए रखेगा । सरकार

ने हरियाणा प्रदेश में इस अश्लील पुस्तक पर जो प्रतिबन्ध लगाया है, यह सदन उसका पूर्ण समर्थन करता है तथा सर्वसम्मति से भारत से अनुरोध करता है कि इस अश्लील पुस्तक पर सारे देश में तुरन्त प्रतिबन्ध लगाया जाए और भारत में जितनी भी प्रतियां आई हैं, उन्हें तत्काल जब्त किया जाए।"

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि——

"यह सदन पाकिस्तान के डा० सादिक हुसैन द्वारा लिखित एवं प्रकाशित पुस्तक "तहरीक-ए-मुजाहिदीन', जिसमें हमारे महान सिख गुरुओं के प्रति अशोभनीय एवं अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया है, सर्वसम्मति से भर्त्सना करता है ।

इस पुस्तक में हमारे महान धर्म गुरुओं के प्रति की गई अभद्र टिप्पणियों से हमारी भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है । कुछ तत्व इस प्रकार से अश्लील साहित्य के माध्यम से भारत के विभिन्न धर्मों एवं सम्प्रदाय के लोगों में रोष भड़का कर आपसी मन मुटाव और कटुता के जहर को फैलाना चाहते हैं।

हरियाणा की जनता द्वारा निर्वाचित इस सदन के सभी सदस्यगण एक मत—एक स्वर में अपना यह संकल्प दोहराते हैं कि भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप और साम्प्रदायिक भाईचारे और सहिष्णुता को आंच पहुंचाने के किसी प्रकार के भी नापाक इरादों को सफल नहीं होने दिया जाएगा।

भारत की धरती पर हर धर्म सम्प्रदाय के गुरुओं और सन्त महात्माओं ने सारी दुनिया के लोगों को मानवता और भाईचारे का अमर सन्देश दिया है। भारत के सभी धर्म, जाति और सम्प्रदाय के लोगों ने सदा ही एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं के प्रति आदर, आपसी प्रेम, भाईचारे तथा साम्प्रदायिक सद्भाव की मिसाल कायम की है। इस देश का हर नागरिक अपने इस गौरव को सदा बनाए रखेगा।

सरकार ने हरियाणा प्रदेश में इस अश्लील पुस्तक पर जो प्रतिबन्ध लगाया है, यह सदन उसका पूर्ण समर्थन करता है तथा सर्वसम्मति से भारत सरकार से अनुरोध करता है कि इस अश्लील पुस्तक पर सारे देश में तुरन्त प्रतिबन्ध लगाया जाए और भारत में जितनी भी प्रतियां आई हैं, उन्हें तत्काल जब्त किया जाए"।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है कि——

"यह सदन पाकिस्तान के डा० सादिक हुसैन द्वारा लिखित एवं प्रकाशित

[श्री अध्यक्ष]

पुस्तक "तहरीक-ए-मुजाहिदीन", जिसमें हमारे महान सिख गुरुओं के प्रति अशोभनीय एवं अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया है, की सर्वसम्मति से भर्त्सना करता है।

इस पुस्तक में हमारे महान धर्म गुरुओं के प्रति की गई अभद्र टिप्पणियों से से हमारी भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। कुछ तत्व इस प्रकार के अश्लील साहित्य के माध्यम से भारत के विभिन्न धर्मों एवं सम्प्रदाय के लोगों में रोष भड़का कर आपसी मन-मुटाव और कटुता के जहर को फैलाना चाहते हैं।

हरियाणा की जनता द्वारा निर्वाचित इस सदन के सभी सदस्यगण एक मत-एक स्वर में अपना यह संकल्प दोहराते हैं कि भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरुप और साम्प्रदायिक भाईचारे और सहिष्णुता को आंच पहुंचाने के किसी प्रकार के भी नापाक इरादों को सफल नहीं होने दिया जाएगा।

भारत की धरती पर हर धर्म और सम्प्रदाय के गुरुओं और सन्त महात्माओं ने सारी दुनिया के लोगों को मानवता और भाईचारे का अमर सन्देश दिया है। भारत के सभी धर्म जाति और सम्प्रदाय के लोगों ने सदा ही एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं के प्रति आदर, आपसी प्रेम भाईचारे तथा साम्प्रदायिक सद्भाव की मिसाल कायम की है। इस देश का हर नागरिक अपने इस गौरव को सदा बनाए रखेगा।

सरकार ने हरियाणा प्रदेश में इस अश्लील पुस्तक पर जो प्रतिबन्ध लगाया है, यह सदन उसका पूर्ण समर्थन करता है तथा सर्वसम्मति से भारत सरकार से अनुरोध करता है कि इस अश्लील पुस्तक पर सारे देश में तुरन्त प्रतिबन्ध लगाया जाए और भारत में जितनी भी प्रतियां आई हैं, उन्हें तत्काल जब्त किया जाए।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।

(ii) श्रीमती माया देवी, सदस्या, राज्य सभा द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति प्रयोग किए गए अभद्र शब्दों सम्बन्धी।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय दूसरा प्रस्ताव यह है कि—

"यह सदन श्रीमती माया देवी 'सदस्या' राज्यसभा द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के प्रति प्रयोग किए गए अभद्र शब्दों के प्रति भी भर्त्सना करता है।"

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि—

"यह सदन श्रीमती मायादेवी, सदस्या, राज्यसभा द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति प्रयोग किए गए अभद्र शब्दों के प्रति भी भर्त्सना करता है।"

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है कि—

"यह सदन श्रीमती मायादेवी, सदस्या, राज्यसभा द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति प्रयोग किए गए अभद्र शब्दों के प्रति भी भर्त्सना करता है।"

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।

समितियों की रिपोर्ट पेश करना

(i) पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की 38वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Shri Rajinder Singh Bisla, Chairman, Public Accounts Committee will present the 38th Report of the Committee on Public Accounts for the year 1993-94, on the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 1989 (Civil & Revenue Receipts).

Shri Rajinder Singh Bisla (Chairman, Committee on Public Accounts) : Sir, I beg to present the Thirty Eighth Report of the Committee on Public Accounts for the year 1993-94, on the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 1989 (Civil and Revenue Receipts).

(ii) आश्वासन समिति की 25वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Shri Mohan Lal Pippal, Chairman, Committee on Government Assurances will present the Twenty Fifth Report of the Committee on Government Assurances for the year 1993-94.

Shri Mohan Lal Pippal (Chairman, Committee on Government Assurances) : Sir, I beg to present the Twenty Fifth Report of the Committee on Government Assurances for the year 1993-94.

(iii) कमेटी आन सुबार्डिनेट लेजिस्लेशन की 25वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Shri Hari Singh Nalwa, Chairman, Committee on Subordinate Legislation, will present the Twenty Fifth Report of the Committee on Subordinate Legislation for the year 1993-94.

Shri Hari Singh Nalwa (Chairman, Committee on Subordinate Legislation) : Sir, I beg to present the Twnety Fifth Report of the Committee on Subordinate Legislation for the year 1993-94.

(iv) कमेटी आन दि वैल्फेयर आफ शिड्यूल्ड कास्ट्स एंड शिड्यूल्ड ट्राइब्ज की 19वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Shri Mani Ram Keharwala, Chairman, Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, will present the Ninteenth Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the year 1993-94.

Shri Mani Ram Keharwala (Chairman, Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes) : Sir, I beg to present the Ninteenth Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the year 1993-94.

बिल्ज/विधान कार्य—

(i) दि पंजाब लैंड रैवेन्यू (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1994

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Revenue Minister will introduce the Punjab Land Revenue (Haryana Amendment) Bill, 1994 and move the motion for its consideration.

राजस्व मन्त्री (श्री निर्मल सिंह) : स्पीकर साहब, मैं इस बिल को इंट्रोड्यूस करने तथा अपना मोशन मूव करने से पहले इस बिल के आब्जैक्ट तथा सब्जैक्ट के बारे में थोड़ा सा हाउस को बताना चाहता हूं —

दी पंजाब लैन्ड रैवेन्यू ऐक्ट 1887 की दफा 98 के अनुसार कई किस्म की सरकारी रकम की वसूली बतौर बकाया भाल गुजारी की जा सकती है । बतौर बकाया माल गुजारी का मतलब है कि बाकीदार की जायदाद कुड़की की जा सकती है और बाकीदार को 40 दिन के लिए हवालात में रखा जा सकता है। इस दफा 98 में जिन सरकारी रकमों की वसूली बतौर माल गुजारी की जा सकती है, उसकी लिस्ट बनी हुई है ।

सरकार ने यह फैसला किया है कि भूतपूर्व मुख्य मन्त्री व मन्त्रियों द्वारा 20-6-87 से 6-4-91 तक सरकारी हवाई जहाज से पब्लिक मीटिंग अड्रैस करने और प्राईवेट मकसद से सरकारी हवाई जहाज से की गई यात्राओं को प्राईवेट माना जाएगा और उन यात्राओं के लिये उनसे दस हजार रुपये प्रति घंटा के हिसाब से वसूल किया जाएगा यह भी फैसला किया गया है कि अगर प्राईवेट यात्राओं के लिये कोई टी ए/डी ए क्लेम किया गया है तो उस रकम की वसूली भी की

जाएगी। इस मकसद के लिये संबंधित मुख्यमन्त्रियों/मन्त्रियों को उनकी ओर बकाया राशि जमा कराने के लिये सरकार की ओर से कई पत्र भेजे गए लेकिन उनसे कोई वसूली न हो पाई। इसलिये आवश्यक समझा गया कि इस राशि की वसूली के लिये पंजाब लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट 1887 की दफा 98 में संशोधन किया जाए ताकि यह रकम बतौर बकाया माल गुजारी वसूल की जा सके। मकान बनाने के कर्ज और मोटर कार के कर्ज इसमें शामिल नहीं होंगे। यह संशोधन जनवरी 1980 से किया जाना माना जाएगा। इस संशोधन से भूतपूर्व मुख्यमन्त्रियों/मंत्रियों के जिम्मे जो सरकारी राशि देय बनती है उसे बतौर मालगुजारी वसूल किया जा सकेगा।

टी०ए०/डी०ए० प्राईवेट ट्रंक-काल चार्जिज सरकारी आवास में ओवर स्टे सरकार संगठन के प्रयोग, हरियाणा भवन में ठहराव, टूरिज्म कम्पलैक्सों के इस्तेमाल इत्यादि की कुल बकाया राशि 27 भूतपूर्व मन्त्रियों के जिम्मे 5,55,305 रुपये बनती है तथा सरकारी हवाई जहाज प्रयोग करने बारे 11 भूतपूर्व मुख्यमन्त्रियों/मन्त्रियों के जिम्मे 34,42,500 रुपये बकाया है।

बकाया राशि को वसूल करने के लिये यदि सिविल सूट दायर किया जाए तो यह एक लम्बी प्रक्रिया है और राज्य सरकार को प्रत्येक मामले में कोर्ट फीस देनी पड़ेगी, ऐसी राशियों को भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल करने के लिये विधेयक के अनुसार पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 की दफा 98 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है —

With these words, I introduce the Punjab Land Revenue (Haryana Amendment) Bill, 1994. I also move—

That the Punjab Land Revenue(Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Land Revenue(Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री सतबीर सिंह कादयान (नौल्था) : अध्यक्ष महोदय, सदन में जो पंजाब लैंड रेवैन्यू (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1994 पेश किया गया है, मैं उसके विरोध में खड़ा हुआ हूं क्योंकि इसके एम्ज और ऑब्जैक्ट्स पर्टिकुलर पीरियड को ध्यान में रखते हुए तय किए गए हैं। इसके ऑब्जैक्ट्स और रीजंज से साफ जाहिर है कि एक विशेष पार्टी के लोगों को तंग करने के लिए यह विधेयक लाया जा रहा है। जिस डिपार्टमैंट के पैसे बनते हैं, पहले उसका प्रोविजन कीजिए कि उनको कैसे वसूल किया जा सकता है। मोड ऑफ रिकवरी क्या होगी ? पेरेन्टल डिपार्टमैंट में इसका क्या तरीका है ?

साथी लहरी सिंह : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है । यह बिल 1980 से है और ये कह रहे हैं कि पर्टिकुलर हमारे खिलाफ लाया जा रहा है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री सतबीर सिंह कादयान : दूसरा मेरा कहना यह है कि जो फिस्कल अमैंडमैंट हैं, बित्तीय अमैंडमैंट हैं, ये अभी से लाये जा सकते हैं या आगे से लाये जा सकते हैं, इनको पिछले समय से नहीं ला सकते । यह सरकार कानून की धज्जियां उड़ाने में क्यों लगी हुई है । (**इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए**) यह सरकार इसको विधान सभा के सामने लाने से पहले सिलैक्ट कमेटी में लाती । इसके एम्ज और ऑब्जैक्ट्स को पूरे ध्यान से देखते । ऐसी कौन सी सरकार रही है जिसमें कमियां न हों । देश के संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं । मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस अमैंडमैंट का इस समय लाने का कोई औचित्य नहीं है । हम पूर्ण रूप से इस बिल का विरोध करते हैं । (शोर) यह कोई अच्छी परम्परा नहीं है । (शोर एवं व्यवधान) मैं मंत्री जी और सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस बिल को वापिस लें । अगर ये बिल वापिस नहीं लिया जाएगा तो कोर्ट में जाएगा और चैलेन्ज होगा । सरकार इसमें जरूर हारेगी । इसे सिलैक्ट कमेटी को सौंप दो ।

राजस्व मन्त्री (श्री निर्मल सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं बनाया है । इसमें बहुत से लोग हैं, मोटी रकमें हैं जो पुरानी हैं । उन्हीं को तो वसूलना है । कोर्ट में कैसे चैलेन्ज हो जाएगा ? सरकार ने पैसा दिया है वह ले रही है । तो वे पैसे तो देने ही पड़ेंगे और जब साधारण आदमी को 40 दिन तक बन्द रख सकते हैं तो मंत्रियों को क्यों नहीं ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि पंजाब लैंड रैवेन्यू (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1994 पास कर दिया जाए ।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ (हांसी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल लाया गया है, मैं तो समझता था कि सभी इसको एकमत से पास करेंगे क्योंकि सरकार चलाने वाले व्यक्ति खुद अपना बकाया नहीं देते तो जनता से रैवेन्यू वसूल करने का क्या हक बनता है ? मैं चाहूंगा कि सभी को इसको एकमत से पास करके अपना चरित्र साबित करना चाहिए (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Punjab Land Revenue (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, the House will take up the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, the Minister will move that the Bill be passed.

Revenue Minister (Shri Nirmal Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(ii) दि हरियाणा किसान पास बुक बिल, 1994

Mr. Deputy Speaker : Now, the Revenue Minister will introduce the Haryana Kisan Pass Book Bill, 1994 and also move the motion for its consideration.

राजस्व मन्त्री (श्री निर्मल सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल को इंट्रोड्यूस करने तथा उस पर विचार करने का मोशन मूव करने से पहले इस बिल के

[श्री निर्मल सिंह]

एग्ज एंड ऑब्जैक्ट्स के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग का वजूद मुख्यत: किसानों की सेवा के लिए है । किसानों को अपनी जमीन को बेहतर बनाने तथा कृषि उपज बढ़ा कर, राज्य एवं देश की प्रगति में योगदान देने के लिए बैंकों से तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से कर्जा लेने की जरूरत पड़ती है । इसके लिये उसे अपनी जमीन की मलकियत के सबूत के रूप में जमाबन्दी की कॉपी पटवारी से लेनी होती है । उसको लेने में न केवल उसे काफी समय लग जाता है, बल्कि काफी दिक्कत का सामना भी करना पड़ता है क्योंकि कई बार पटवारी अन्य काम से दूसरे गांवों में होता है और उसे मिलता नहीं । इसलिये प्रत्येक किसान के पास अपनी जमीन की मलकियत का विवरण, नक्शा, रकबा, किस्म जमीन वगैरा की तफसील होनी चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर वह उसे बैंक मैनेजर को दिखलाकर अपनी जमीन के विकास के लिए ऋण आदि सुगमता से ले सके ।

किसानों को यह सुविधा प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा किसान बुक बिल विधान सभा में लाने का निर्णय लिया है ताकि इसके पास होने के बाद प्रत्येक किसान को किसान पास बुक मिल सके जिसमें उसकी मलकियत जमीन दर्ज हो और जिससे उसे कर्जा वगैरा लेने के लिए कठिनाई का सामना न करना पड़े ।

जिस प्रकार से बैंकों में पैसा जमा करने व सुविधानुसार पैसा निकालने के लिए प्रत्येक अकाउंट होल्डर को बैंक एक पास बुक जारी करता है, इसी प्रकार से किसानों की सुविधा के लिये सरकार द्वारा "किसान पास बुक" जारी करने की योजना बनाई गई है । दि हरियाणा किसान पास बुक बिल, 1994 राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार की मंजूरी के बाद इस महान सदन के सम्मुख विचार के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है जो हरियाणा विधान सभा की मंजूरी के बाद महामहिम राष्ट्रपति महोदय तथा महामहिम राज्यपाल महोदय की औपचारिक अनुमति के बाद एक शक्तिशाली कानून की शक्ल अख्तियार कर लेगा ।

इस कानून के तहत जो पास बुक किसानों को दी जायेंगी, उनमें दिये गये इन्द्राजों को इंडियन एवीडैंस एक्ट, 1872 के अन्तर्गत सबूत के रूप में पेश करने की मान्यता होगी । किसानों की मलकियत आदि बारे जो इन्द्राज किसान पास बुक में दर्ज होंगे उन्हें सबूत के तौर पर सही माना जायेगा, जब तक कि उन्हें गलत साबित न कर दिया जाये ।

इसके अलावा इस बिल की एक और अहम बात यह है कि किसान पास बुक की लगातार रख-रखाव, तथा उन्हें अप-टू-डेट करते रहने के लिए पांच महत्वपूर्ण कार्यकर्ता सदैव कार्यशील रहेंगे :—(1) पटवारी, (2) सब-रजिस्ट्रार, (3) राजस्व अधिकारी, (4) बैंक मैनेजर तथा (5) किसान । इन पांच कार्यकर्ताओं के लिए इस कानून में कड़े उत्तरदायित्व सौंपे गये हैं । यहां तक कि यदि कोई किसान

राजस्व अधिकारी के नोटिस पर रजिस्ट्री अथवा इन्तकाल के समय अपनी पास बुक प्रस्तुत करने से इन्कार करता है या उसे प्रस्तुत करने में नाकामयाब रहता है तो उसके विरुद्ध जुडिशियल कोर्ट में शिकायत दर्ज करवा कर कानूनी कार्यवाही भी किये जाने का प्रावधान है । किसान पास बुक में कोई काट-छांट या तबदीली यदि गैर कानूनी तौर पर की जाती है तो ऐसी स्थिति में भी पास बुक होल्डर के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है । इस कानून के अन्तर्गत अधिकतम सजा 6 मास तथा तथा अधिकतम जुर्माना 500 रुपए का प्रावधान रखा गया है । इस समय राज्य में लगभग साढ़े बारह लाख लैण्ड होल्डिंगस हैं तथा लगभग इतनी ही होल्डिंगस टैनेन्टस की है और इस तरह राजस्व विभाग द्वारा लगभग 25 लाख किसान पास बुक तैयार करके वितरित की जानी होंगी । यदि खेवट खतौनी में औसतन दो हिस्सेदार हों और प्रत्येक हिस्सेदार को पास बुक दी जानी होगी तो इस प्रकार कुल पास बुकों की संख्या 50 लाख तक पहुंच सकती है ।

पास बुकों को तैयार आदि करने का कार्य एक बहुत बड़ा कार्य है जिसे शीघ्रता से सम्पन्न करने के लिए पटवारी/कानूनगो को प्रोत्साहन शुल्क दिये जाने पर भी विचार किया जा रहा है । एक पास बुक की कीमत फोटो सहित लगभग 20 रुपए तक हो सकती है । जोकि "नो प्रोफिट नो लौस" के सिद्धान्त अनुसार किसानों को दी जाएगी जिस पर आया लगभग 20 रुपए का खर्चा किसान द्वारा ही वहन किया जायेगा, क्योंकि किसान को इस पास बुक से काफी सुविधा एवं लाभ होगा और उसे पटवारी के पास फर्द लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा । इसलिए वह लगभग 20 रुपए की धनराशि बड़ी सुविधा से दे देगा ।

इन शब्दों के साथ, आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दि हरियाणा किसान पास बुक बिल, 1994 पेश करता हूं ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि—

दि हरियाणा किसान पास बुक बिल, पर तुरन्त विचार किया जाए ।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Haryana Kisan Pass Book Bill be taken into consideration at once.

प्रो० राम बिलास शर्मा (महेन्द्रगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल राजस्व मन्त्री लेकर , आए हैं यह बहुत अच्छा बिल है । मेरी एक सबमिशन है कि जो पास बुक किसान को दी जा रही है उसके अन्दर किसान को जो सुविधा मिलती है जैसे कर्ज की सुविधा है, इन्तकाल की सुविधा है इन ऐन्टरीज को हर तीन महीने के अन्दर अन्दर तहसीलदार स्तर का अधिकारी करे । यह प्रावधान इस बिल में अवश्य होना चाहिए । अगर यह प्रावधान इसमें जोड़ दिया जाएगा तो अच्छा हो जाएगा ।

श्री निर्मल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस किस्म का प्रावधान इस बिल में जोड़ा गया है और छः महीने का समय रखा गया है ।

श्री कर्ण सिंह दलाल (दलबल) : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी जो किसान बुक के बारे में बिल लाए हैं यह किसान की सुविधा के लिए है और इससे किसान को काफी सुविधा होगी । उपाध्यक्ष महोदय, अब से पहले अगर कोई किसान पटवारी से फर्द लेने जाता था तो रिकार्ड में जो फीस दी जाती थी वह बड़ी नौमिनल थी लेकिन फर्द के नाम पर पटवारी पांच सौ, एक हजार, तीन हजार और पांच हजार रुपए तक ले लिया करते थे । अब भी कहीं ऐसा न हो कि किसान बुक प्राप्त करने के लिए उससे हजारों रुपया मांगा जाए । इसमें यह होना चाहिए, जैसा कि शर्मा जी ने कहा, कि इतने समय के अन्दर किसान को पास बुक मिल जाएगी और अगर वह नहीं मिलेगी या उसमें एन्टरीज नहीं की जाएगी तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही होगी, यह इसमें होना चाहिए ।

साथी लहरी सिंह (गढ़ौर, अनुसूचित जाति) : उपाध्यक्ष महोदय, आज यह जो किसान पास बुक बिल हरियाणा सरकार ने हाउस में पेश किया है यह एक बड़ा ही ऐतिहासिक बिल है । आज जो ये भाई शोर मचा रहे हैं, ये किसानों के बहुत बड़े ठेकेदार बनते हैं । 1977 से इनका राज रहा, मगर आज तक इनके दिमाग में यह बात नहीं आई क्योंकि दिमाग तो इन लोगों का है ही नहीं । दिमाग का और इनका बैर है । जो स्वप्न सर छोटूराम जी ने देखा था और जो उन्होंने कदम उठाया था, उसको आज इस हरियाणा की सरकार ने साकार किया है । आज मैं अपनी सरकार को इस बात के लिये हार्दिक बधाई देता हूं कि इस सरकार ने हरियाणा की जनता के लिए बहुत बढ़िया कानून दिया है । आज इस कानून के लाने से जमींदार को किसी पटवारी, किसी कानूनगो के पास नहीं जाना पड़ेगा और अपनी जमीन का जो रिकार्ड है, वह किसान अपने पास ही रखेगा । बैंकों में भी उसे उस जमीन की फर्द देने नहीं जाना पड़ेगा । इसलिये मैं इस बिल को लाने के लिये एक बार फिर अपनी सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस बिल को लाकर बहुत बढ़िया काम किया है जिससे कि किसानों को राहत मिलेगी । धन्यवाद ।

चौधरी ओम प्रकाश (बेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा किसान पास बुक बिल जो इस हाउस में पेश हुआ है, सदन के विचाराधीन है । इसमें कोई शक नहीं है कि यह एक किसानों की पुरानी मांग थी । यह अच्छा कदम है जोकि सरकार ने उठाया है । लेकिन मैं इस बारे में सरकार से यह कहूंगा कि इसकी बलाज 15 के अनुसार जो रूल मेकिंग या नियम बनाने की पावर ऐग्जैकटिव को दी गई है, उसकी ओर सरकार विशेष तौर से ध्यान दे क्योंकि पटवारी लैवल तक काफी भ्रष्टाचार रैवेन्यू विभाग में होता है। सरकार इस बात का ध्यान रखे कि जो किसान पास बुक किसानों को सप्लाई की जाए उसमें रिकार्ड के मुताबिक कोई गल्ती नहीं रहनी चाहिये। क्योंकि पटवारियों के हिसाब किताब से एक किस्म का तमाशा बना हुआ है, अगर उस

पास बुक में एक बार ऐन्ट्री गल्त हो गई तो फिर दोबारा किसान को उसके पास जाना पड़ेगा, इससे करप्शन शुरू हो जाएगी । इसके लिये सरकार एक यह प्रावधान करे कि जो किसान को पास बुक दी जाएगी उसके अन्दर अगर कोई भी पटवारी गल्ती करेगा तो उस केस में सब-स्टांटिव औफैन्स के तहत उस पर मुकदमा चलाया जाएगा । इस तरह का कोई प्रावधान सरकार अवश्य करे ताकि किसान ऐक्सट्रा टेंशन से बच सके । यह मेरा कहना है, धन्यवाद ।

श्री अमर सिंह (बवानी खेड़ा, अनुसूचित जाति) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो हरियाणा किसान पास बुक बिल, 1994 सरकार ने इस हाउस में पेश किया है, यह एक बहुत ही बेहतरीन बिल है । यह बढ़िया कदम है, जो इस सरकार ने उठाया है । यह रैवेन्यू किसान पास बुक 1969 में एक दफा बनायी गयी थी और वह पास बुक, राग बुक ही बनकर रह गई थी । आज यह जो विधेयक यहां पर आया है, इसमें काफी लिमिटेशंज और ऐक्शन वगैरह इंवाल्वड हैं । इस बारे में मेरा यह सुझाव है कि एक तो इस किसान पास बुक को बैंक पास बुक्स की तरह ही ट्रीट किया जाए, इस बात को रैवेन्यू मिनिस्टर नोट कर लें । जिस तरह से बैंकों में पैसा जमा करवाने के बाद उसी वक्त ऐन्ट्रीज हो जाती हैं, उसी प्रकार इस पास बुक में भी किसानों की जमीनों का अन्दराज हो जाना चाहिये, देरी नहीं होनी चाहिये । पहले क्या होता था कि जब कोई लैन्ड ओनर मर जाता था तो सालों साल तक उस जमीन का इन्तकाल नहीं करते थे । अब इस बिल के तहत इस काम में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिये, इस बात को रैवेन्यू मिनिस्टर नोट कर लें । जब एक आदमी जमीन खरीदता है तो उसी वक्त बिना किसी देरी के उस का अन्दराज उस किसान पास बुक में हो जाना चाहिये । अगर वह अन्दराज पास बुक्स में नहीं होगा तो वह भी गड़बड़ वाली बात होगी । इसको आये दिन कौन चैक करेगा । इस के लिये सरकार को किसी न किसी अफसर की डियूटी लगानी चाहिये कि तहसील में कौन आदमी इस बात की चैकिंग करेगा । मैं समझता हूं कि महीने में कम से कम दो बार तहसीलदार या एस0डी0एम0 साहब को इस बात की जांच पड़ताल करनी चाहिये । तब तो यह काम बड़ा ही सुचारू रूप से चलेगा नहीं तो गड़बड़ होती रहेगी । अधिकारी इस बात का निरीक्षण करे कि आया किसान की पास बुक ठीक चल रही है या नहीं । ऐन्ट्रीज उसमें सही हैं या नहीं । आया वक्त पर सब ऐन्ट्रीज की गई हैं या नहीं । अगर पास बुक ठीक नहीं होगी तो पटवारी के पास बार बार जाना पड़ेगा । अब तो सिंगल चार्ज करते हैं फिर उसके बाद 10 टाइम चार्ज किया जाएगा । इसलिये इस तरह का प्रावधान इसमें बहुत जरूरी है कि अधिकारी लोग समय समय पर, महीने में कम से कम दो बार इस बात का निरीक्षण अवश्य करें कि आया पास बुक ठीक चल रही है या नहीं । मैं तो यह कहूंगा कि किसानों की पास बुकों की टाइम लिमिट रखी जाए कि कब तक ये पास बुक्स तैयार होकर किसानों के पास पहुंच जाएंगी । यह जो बिल सरकार यहां पर लाई है कि यह एक बहुत ही बेहतरीन कदम सरकार ने उठाया है । एक और सरकार ने बहुत

[श्री अमर सिंह]

अच्छा काम किया है कि अगर 20 रुपये में किसान की पास बुक तैयार हो तो इसके लिये उतनी ही प्राईस किसान से वसूल की जाएगी, यह एक बहुत अच्छा कदम है, लेकिन मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा, रैवेन्यू मिनिस्टर साहब बताएं कि इसको कब तक लागू कर देंगे और कब तक इनको बनाने का प्रावधान है । कब तक किसानों के हाथों में ये पास बुक्स चली जायेंगी । क्योंकि 25 लाख पास बुकें बननी हैं, इसके लिए समय चाहिए । इसमें पटवारी कोताही करेंगे, टाल मटोल करेंगे क्योंकि इनसे उनकी रोटी रोजी का एडीशनल धंधा बन्द हो जाएगा । इसके लिए वे काफी समय लगाएंगे इसलिए डी0सीज0 को हिदायत हो कि वे किसान बुक बनाने के लिए समय निर्धारित करें । इसके अलावा जो बात इसके एम्ज एण्ड आब्जैक्टस में दी है यह बहुत अच्छी बात है कि सर छोटू राम का स्वप्न साकार हो रहा है । ताऊ की सरकार तो यह काम कर नहीं पाई क्योंकि वह फर्जी मायनों में किसान समर्थक सरकार थी । उसे तो लैंड ग्रैबिंग सरकार कहना चाहिए । अब यह जो इस सरकार ने कदम उठाया है यह बहुत अच्छा है । मैं चाहता हूं कि इसको जल्द लागू करना चाहिए । (प्रो0 छतर सिंह चौहान की तरफ से विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, चौहान साहब को यह दिक्कत है कि ये खुद कांग्रेस में आना चाहते थे और आने में बाधा पड़ गई । इसी वजह से ये बार बार तड़प रहे हैं । ये कभी सिवानी का और कभी लोहारू का नाम लेते हैं । अब भिवानी जिले में जो इम्प्रूवमैंट हो रही है उसके बारे में भी इनको चिन्ता हो रही है । तो मैं यही बात कह कर अपना स्थान लेता हूं ।

प्रो0 सम्पत सिंह : सर, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है । अभी चौधरी अमर सिंह ने कह दिया कि चौधरी देवी लाल की सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया । वे कोशिश तो बहुत करते थे । 1977 में लहरी सिंह की पार्टी का वजन बढ़ने के बाद बढ़ता गया । चौधरी भजन लाल इनको उड़ा कर ले गए । फिर 1982 में उन्होंने कोशिश करके चौधरी अमर सिंह को बनवाया तो उसके बाद इनका भी वजन घट गया । हम क्या करें, हमारे पास से ऐसे लोग प्रवास करते जा रहे थे, हम इनको ठीक करने में लगे रहते थे इसलिए किसानों की तरफ शायद ज्यादा ध्यान न दे पाए हों ।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण

(i) प्रो0 छतर सिंह चौहान द्वारा —

प्रो0 छतर सिंह चौहान : डिप्टी स्पीकर साहब, अभी माननीय चौधरी अमर सिंह ने मेरे ऊपर आरोप लगाया था कि मैं भी कांग्रेस में आना चाहता था । मैं आपके द्वारा सदन को बताना चाहता हूं कि ये तो वह बात कर रहे हैं कि किसी

आदमी का नाक कट गया, तो उसके बाद वह कहने लगा कि नाक कटने के बाद भगवान दिखाई देता है । उसकी बात सुन कर एक किसान ने नाक कटवा लिया । जब नाक कटवाने के बाद उसे भगवान नहीं दिखा तो वह कहने लगा कि कोई भगवान दिखाई नहीं देता, यह तो अपना पंथ बनाने के लिए ऐसी बात कह रहा था । इस सदन में या तो वे कह दें वरना मैं कहता हूं कि अगर मैंने इधर से उधर जाने के लिए सोचा हो तो मैं कोई उल्लू नहीं हूं । (विघ्न)

(ii) श्री अमर सिंह द्वारा—

श्री अमर सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं और राम भजन जी अग्रवाल और धर्म पाल सिंह जी भी बैठे हैं । इन्होंने दो बातें रखी थीं । एक तो इन्होंने यह शर्त रखी कि एजूकेशन बोर्ड के चेयरमैन बीर सिंह को हटा दिया जाए और मेरे को बना दिया जाए । दूसरी शर्त यह रखी कि मेरे लड़के को एक्साइज एण्ड टैक्सेशन इंस्पैक्टर बना दिया जाए तो मैं कांग्रेस में आने के लिए तैयार हूं । आज ये अपनी शर्म उतारने की बात कर रहे हैं । अगर यह बात सही न हो तो मैं आज ही इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं । (शोर)

दि हरियाणा किसान पास बुक बिल, 1994 (पुनरारम्भ)

प्रो० छतर सिंह चौहान : डिप्टी स्पीकर साहब, चौधरी अमर सिंह जी ने मेरे 12.00 बजे ऊपर आरोप लगाया है । (शोर) मुख्य मन्त्री जी ने उस समय एक ऐसे आदमी को चेयरमैन लगाया हुआ था जिसने लूट मचा रखी थी । आप ऐसे आदमी को किसी संदूक में बन्द कर दो । मुख्य मन्त्री जी ने उस आदमी को बोर्ड का चेयरमैन लगाया हुआ था । वह मुख्य मन्त्री जी का चहेता था । (शोर)

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य चौहान साहब को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो अच्छी नहीं है । मैं किसी बात को रीपीट नहीं करूंगा और न ही दोहराना चाहता हूं । मैं उस बात को उजागर नहीं करना चाहता । किसी बात को उजागर करना अच्छा नहीं लगता । चौधरी अमर सिंह जी ने जो बात कही है, वह सही है । मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता । (शोर)

चौधरी बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी जितनी परसैंटिज सच्च बोला करते हैं, उतनी परसैंटेज सच्च आज बोली है । (शोर)

चौधरी भजन लाल : आपके वक्त में तो सच्च बोलने का नाम ही नहीं था । आपने जेष्ठ के महीने में भी गर्म कोट पहन रखा था । (हंसी)

चौधरी बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, खिसयानी बिल्ली क्या कहेगी ।

साथी लहरी सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा पर्सनल एक्सप्लेनेशन है ।

श्री उपाध्यक्ष : लहरी सिंह जी आप इन्तजार करें ।

श्री कर्ण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश के संविधान में एन्टी डिफैक्शन ला के 10वें शिड्यूल में अमैंडमैंट की गई थी । बदकिस्मती से आज सदन के अन्दर बैठे हुए कुछ विधायक इस तरीके से फलौर क्रोस करते हैं । आज सदन के अन्दर हरियाणा प्रदेश के लोग बैठे हुए हैं और प्रैस वाले बैठे हुए हैं । ये सभी देख रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं कि जिस तरीके से जो माननीय सदस्य अपनी पार्टी को छोड़ कर दूसरी पार्टी में गए हैं, क्या वह एन्टी डिफैक्शन ला के 10वें शिड्यूल के मुताबिक सही है ?

श्री उपाध्यक्ष : दलाल साहब, आप बैठ जाएं ।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला (बल्लभगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे रैवेन्यू मिनिस्टर साहब ने सदन में दि हरियाणा किसान पास बुक बिल, 1994 चर्चा के लिए पेश किया है । मेरे से पूर्व बोलने वाले सभी साथियों ने बोलते हुए आदरणीय सर छोटू राम को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें याद किया है । सर छोटू राम निसन्देह किसानों के मसीहा थे । सर छोटू राम ने अपने सारे समय में किसानों के लिए, गरीबों के लिए, हरिजनों के लिए और ग्रामीण लोगों के लिए अन्तिम समय तक संघर्ष किया । जिस तरह के कल्याणकारी निर्णय सर छोटू राम ने लिए उसी तरह के कल्याणकारी निर्णय किसानों के हितों के लिए, गरीबों के हितों के लिए और हरिजनों के हितों के लिए आज की हरियाणा सरकार चौधरी भजन लाल जी के नेतृत्व में ले रही है और लिए भी हैं । यह जो बिल हमारे साथी ने पेश किया है और जैसा लहरी सिंह जी ने कहा कि यह निश्चित ही एक ऐतिहासिक बिल है और बहुत लम्बे समय से यह किसानों की मांग थी । जो एक किसान होता है, जो जमीन का मालिक होता है उसके पास अपनी ही जमीन की ओनरशिप का कोई प्रूफ नहीं होता था । जिसके पास करोड़ों की सम्पत्ति होती है उसका सारा रिकार्ड गांव के पटवारी के बस्ते में ही बन्द रहता है । किसानों के लिए यह बहुत पीड़ा की बात थी । पिछली सरकार में भाई सम्पत सिंह जी बहुत पावरफुल मन्त्री रहे हैं । उस सरकार ने सारी स्टेट में रैवेन्यू रिकार्ड को टैम्पर विद किया । मैं मिसाल के तौर पर बताना चाहता हूं कि हमारे जिला फरीदाबाद में औरंगाबाद बहुत बड़ा गांव है । वहां पर आर्य समाज का वार्षिक उत्सव हो रहा था । तो उस में एक आदमी शराब पीकर नंगे पैर दाखिल हो गया । उसको गांव के बच्चे पत्थर मार रहे थे । हमने पूछा कि यह कौन है तो हमें बताया गया कि यह तो गांव का पटवारी है । हमें इस बात पर यकीन नहीं हुआ । बाद में असलियत का पता किया तो पता चला कि यह तो वाकई पटवारी है । उस पटवारी की हिन्दी में

दस्तखत तक करने नहीं आते थे । वह पटवारी वहां पर 5–6 गांवों में रहा और उसने सभी गांवों का रिकार्ड तहस नहस कर दिया । जब डी0सी0 को लिख कर दिया गया तो डी0सी0 साहब ने बताया कि चौधरी संपत सिंह जी के हल्के के ऐसे पटवारी 20-22 और हैं जिनको कुछ नहीं आता । इसी प्रकार से इन्होंने कुछ नायब तहसीलदार भी लगाए थे । इन सबने मिलकर सारा रैवेन्यू का, रिकार्ड तहस-नहस किया यानी उसके साथ खिलवाड़ की । इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए यह पास बुकें किसानों को दी जानी निहायत आवश्यक थीं और इसी उद्देश्य से यह बिल यहां पर लाया गया है । उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते हैं कि किसानों की जमीन से संबंधित सारा रिकार्ड पटवारी के पास होता है जिसके कारण 80 फीसदी किसानों की लिटिगेशन बिला वजह अदालत में लम्बे समय तक लटकती रहती है । यह जो बिल पेश किया गया है यह बहुत अच्छा बिल है । इस बिल के पास हो जाने से सारे देश के लिए यह एक मिसाल होगी । इस बारे में कई साथियों ने कुछ नुक्ताचीनी की है । मैं कहता हूं कि यह जो किसानों को पास बुक दी जा रही है यह उनकी एवीडेंस की वैल्यू होगी । इसके लागू होने से, उनको पास बुक मिल जाने से उनको कर्जा लेने में या किसी की जमानत देने में सुविधा रहेगी । पहले उनको कहते थे कि अपनी जमीन की फर्द लाओ और फर्द पटवारी के बस्ते में होती थी । इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण डाकुमैंट होगा और इससे किसानों के लिए बड़ी राहत की बात होगी । अब सारा रिकार्ड किसान के पास होगा । इसलिए जिस सूझबूझ के साथ मन्त्री महोदय ये बिल लाये हैं उसके लिए मैं बधाई देता हूं और साथ ही मुख्य मन्त्री महोदय को भी बधाई देता हूं । मेरी यही प्रार्थना है कि इस एक्ट को जल्दी से बना कर लागू किया जाए । धन्यवाद ।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानकारी चाहूंगा कि जो पास बुक किसान को दी जाएगी, क्या मुजारे का नाम भी उस में होगा ? कई ऐसे काश्तकार हैं जो जमीन के मालिक नहीं हैं क्या ऐसे काश्तकारों को भी किसान पास बुकें जारी की जाएंगी ? उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह सुझाव है कि उनको भी पास बुकें जारी की जानी चाहिएं ।

चौधरी भजन लाल : उनको भी पास बुकें दी जाएंगी । (विघ्न)

राजस्व मन्त्री (श्री निर्मल सिंह) : अपाध्यक्ष महोदय, मेरे कई माननीय साथियों ने कई बातें उठाई, मैं उनका धन्यवाद करता हूं । सभी सदस्यों ने इस को समर्थन प्रदान किया है और हमें इस समर्थन की उम्मीद भी थी । ऐसी बात नहीं है कि इस प्रकार की पासबुकों के बारे में मेरे से पहले जो मन्त्री रहे हैं उनको कभी ख्याल नहीं आया या इसकी कोशिश नहीं की गई । चौधरी भजन लाल जी विशेष रूप से इसमें दिलचस्पी रखते थे और उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे लिए यह चैलेंज है इसको अमली जामा पहनाओ । उपाध्यक्ष महोदय, 1970 में भी ये पास बुकें बनी थी लेकिन वे चली नहीं । उस वक्त करीब 5 लाख पास बुकें जारी की गई थीं लेकिन

[श्री निर्मल सिंह]

उन पास बुकों का लाभ किसानों को नहीं हो सका । चौधरी भजन लाल जी ने मुझे इस बारे में निर्देश दिए । हमारे योग्य अधिकारियों ने भी इस काम में बहुत मेहनत की और उनका बहुत बड़ा सहयोग इसमें रहा है । इस बिल को लाने से पहले केन्द्र सरकार से इसकी कानूनी मान्यता प्राप्त की और फिर इसको हाउस में लेकर आए हैं ताकि इस पास बुक की कानूनी वैल्यू हो । इसमें हमने सबसे पहले लोगों को आमन्त्रित किया कि वे हमें सुझाव दें । बहुत से सुझाव हमारे पास आए और उन पर विचार करने के बाद हमने ट्रेनिंग सैंटर्ज लगाये चारों कमिश्नर्ज को उसमें शामिल किया और मैं खुद भी वहां पर गया । नायब तहसीलदार तक के रैंक के अधिकारियों को हमने बुलाया था और उनसे सुझाव मांगे थे । हमारे पूरे सोच-विचार करने के बावजूद भी हमें 26 ऐसे सुझाव प्राप्त हुए जिन पर हमें विचार करना पड़ा । यह बहुत ही अहम चीज है । कितने दिनों में ये पास बुकें बन जाएंगी, इस पर भी विचार किया गया । इन पास बुकों में जमीन के मालिक के साथ मुजारे को भी शामिल किया गया है । इन पास बुकों की संख्या करीब 50 लाख होगी । (विघ्न) मुजारे को भी पास बुक जारी होगी, इसीलिए इनकी संख्या 50 लाख तक हो सकती है । स्पीडली और जल्दी से जल्दी इन पास बुकों को बनाने के लिए हमें किसान का सहयोग भी चाहिए, सभी सदस्यों और जनता का सहयोग भी चाहिए । इसके साथ ही पटवारियों के सहयोग को भी मद्देनजर रखना है । पटवारियों के सहयोग के बिना ये पास बुकें पूरी नहीं हो सकती हैं । 20 रुपये की कीमत इस पास बुक की रखी गई है इसमें से 4 रुपये पटवारी को मिलेंगे और 1 रुपया कानूनगो को भी देंगे ताकि ये पास बुकें जल्दी से जल्दी बन सकें । इन पास बुकों के कम्प्लीट होने में एक से दो साल का समय लगने की उम्मीद है । ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि इसमें सभी अपना सहयोग और कोआपरेशन दे सकें । (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, श्री अमर सिंह ने कहा कि किसान को पटवारियों से बचाने के लिए यह पास बुक है । उपाध्यक्ष महोदय, पहले किसी भी फर्द के लिए पटवारी के पास जाना पड़ता था । यह पास बुक एक लीगल डाकुमैंट होगी और किसानों को करप्शन से बचाने के लिए बनाई जाएगी । उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में सर छोटू राम की चर्चा भी आई, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए हमने कोशिश की है कि किसानों को राहत दी जाए । सर छोटू राम ने किसान जमीनों के मालिक बनाये । इन पास बुकों को कम्पलीट करने की जिम्मेदारी पटवारियों और सब-रजिस्ट्रार की होगी । 5 साल के बाद नये सिरे से इन पास बुकों को रिव्यू किया जाएगा । यही नहीं, इसमें बाकायदा बैंकों और किसानों की राय लेकर यह सब किया गया है, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि हरियाणा किसान पास बुक बिल को पास कर दिया जाए ।

डा० राम प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो पटवारी अपनी मर्जी से गिरदावरी काट लेते हैं तो क्या उनको पनिशमेंट देने

के लिए भी इसमें कोई प्रावधान रखा गया है ?

श्री निर्मल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोई ऐसा करता है तो उसको पनिशमैंट तो मिलेगी ही ।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Haryana Kisan Pass Book Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Sub-Clauses (2) and (3) of Clause 1

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Sub-clauses (2) and (3) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 2 to 15

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clauses 2 to 15 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause (1) of Clause 1

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Sub-Clause (1) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, the Revenue Minister will move that the Bill be passed.

Revenue Minister (Shri Nirmal Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried unanimously.

(iii) वि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमैंडमैंट) बिल 1994

Mr. Deputy Speaker : Now the Minister of State for Local Government will introduce the Haryana Muncipal (Amendment) Bill, 1994 and also move that the Bill be taken into consideration at once.

Minister of State for Local Government (Ch. Dharambir Gauba) : Sir, I beg to introduce the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 1994.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

प्रो० राम विलास शर्मा (महेन्द्रगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी लोकल बौडीज मिनिस्टर जी ने जो बिल सदन की पटल पर रखा है, वह नगरपालिकाओं से संबंधित है। इससे यह ध्वनि जाहिर होता है कि यह जो प्रस्ताव रखा गया है, वह नगरपालिकाओं को भंग करने के लिए रखा गया है ।

श्री उपाध्यक्ष : राम बिलास जी, आप बाद में बोल लेना ।

प्रो० राम विलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल मिनिस्टर साहब ने रखा है और इस पर चर्चा होनी चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है । आप सिर्फ बिल पर ही बोलें ।

प्रो० राम विलास शर्मा : सर, यह भी बिल से जुड़ी हुई बात है । एक तरफ तो जो पार्लियामैंट में नगरपालिकाओं के बिल में संशोधन किया गया है उस के बारे में मन्त्री जी यहां पर प्रतिपादित कराना चाहते हैं लेकिन ये उसके साथ साथ

एक प्रस्ताव और भी ले आए हैं कि सारी हरियाणा की नगरपालिकाओं को भंग किया जाए । जिन नगरपालिकाओं का अभी कार्यकाल बाकी है और जो डैमोक्रेटिक ढंग से चुनी गयी थी, उन को भी भंग करने जा रहे हैं। लोगों के कामों के लिए वे लोग चुनकर आए थे लेकिन जैसा कि अखबारों में भी यह खबरा जाहिर किया जा रहा था कि कांग्रेस को ये नगरपालिकाएं रास नहीं आ रही हैं, इसलिए सरकार उनको भंग करने के लिए विधेयक ला रही है । डिप्टी स्पीकर साहब, नगरपालिकाओं को भंग करना बहुत बड़ी ज्यादती होगी । सरकार का यह बड़ा अन्यायपूर्ण कदम है कि ये इस तरह का प्रस्ताव लेकर आए हैं, । सर, इस बिल की कोई उपयोगिता नहीं है । इसलिए हम इस बिल का विरोध करते हैं । पहले जब यह बिल आ रहा था तो कह दिया गया कि यह बात उससे जुड़ी हुई है । लेकिन आज जब कि सैशन का अन्तिम दिन है, सैशन खत्म होने को है तो इन्होंने अन्तिम चरण में यह कागज हमें और पकड़ा दिया है । डिप्टी स्पीकर साहब, यह हरियाणा की जनता से बड़ा भारी अन्याय है । सर, अगर कोई इररैगुलैरिटी की बात होती, तब तो यह बात कही जा सकती थी लेकिन नगरपालिकाएं ठीक ढंग से चल रही हैं । इनके माध्यम से लोगों को अपने अधिकारों का उपयोग करने का अवसर मिला है । डिप्टी स्पीकर साहब, इस तरह का अन्याय तो किसी भी सैशन में नहीं हुआ । इसलिए हम इसका विरोध करते हैं ।

प्रो० सम्पत सिंह (भट्टूकलां) : डिप्टी स्पीकर सर, अभी जो माननीय मन्त्री जी ने बिल पेश किया है इसमें बात जो एतराज की थी, वह तो अलग बात थी । यह ठीक है कि ऐक्ट के द्वारा पावर डीसैंट्रेलाईज करके नीचे पहुंचानी है जो जरूरी भी है । लेकिन हमारा कहना यह है कि जहां तक पावर्ज की बात है, इसमें कोई नयी बात नहीं जोड़ी गयी है, सिर्फ एक कांस्टीच्यूशन के बारे में कहा गया है । लेकिन कांस्टीच्यूशन को चेंज करने की बात को छोड़कर जहां तक पावर्ज की बात है, वह सारी धाराएं ऐसी हैं जो आलरेडी ऐग्जिस्टिंग हैं । सब कुछ ऐसा ही है जैसा कि पहले था । अगर ये इसमें पावर्ज को बढ़ा देते तो बहुत अच्छी बात रहती । इसके साथ ही हमें दूसरी बात यह कहनी है जैसे कि रामबिलास जी ने कहा है । सर, प्रिंसिपल ऐक्ट की धारा 12 को नई धारा 11 से सबस्टीच्यूट किया गया है—

"12 Duration of Municipality, etc. (1) Every Municipality unless sooner dissolved under any law for the time being in force, shall continue for five years from the date appointed for its first meeting.."

Further it is stated—

"Provided that a municipality shall be given a reasonable opportunity of being heard before its dissolution."

यानी म्यूनिसिपैलटी को भी सुना जाएगा, जब उनको डिजौल्व किया जाएगा । सर, सवाल एक म्युनिसिपल कमेटी के चुनने का नहीं है । आज तो टोटल नगरपालिकाओं को, जिनके चुनाव हो चुके हैं, को भंग कर रहे हैं । सर, इसमें यह

[प्रो० सम्पत सिंह]

रैजोल्यूशन किया हुआ है । इसमें इन्होंने कांस्टीच्यूशनल अमैंडमैंट के बारे में दिया है और इसकी वजह से ही ऐक्ट को लागू करने के लिए इस डिसोल्यूशन की जरूरत पड़ गयी है । सर, मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं । इसमें आगे साफ लिखा है कि—

"Provided further that all municipalities existing immediately before the commencement of the Constitution (Seventy-fourth Amendment) Act, 1992, shall continue till the expiration of their duration unless sooner dissolved by a resolution passed to that effect by the State Legislature."

पहले एक्ट में यह प्रोवीजन थी कि जो एग्जिस्टिंग म्यूनिसिपल कमेटीज हैं, वे पूरी टर्म तक रहेंगी । यह बात इनके अपने पुराने ऐक्ट के अन्दर है । आज जो यह बिल लाए हैं, उससे हम तो यह सोच रहे थे कि गवर्नमैंट पर पाबन्दी लगेगी और म्यूनिसिपल कमेटीज की पावर बढ़ेगी लेकिन सर, यह तो उल्टा हो गया । इन्होंने तो इसके माध्यम से चुनाव का फरमान जारी कर दिया । अब फिर कैसे ये अपनी टर्म पूरी कर पाएंगी ? सर, जो हम इस रैजोल्यूशन के जरिए म्यूनिसिपल कमेटीज को भंग करने जा रहे हैं, यह बात इस के अन्दर शामिल न करें । एक तरफ तो आप दुहाई देते हैं कि नगरपालिकाएं, पंचायतें, स्थानीय स्वशासन आदि जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं, वे सब की सब डैमोक्रेसी की फाउंडेशन हैं और दूसरी तरफ आप उनका कत्ल कर दें । आप बिल का बहाना न लें, बिल में तो बाकायदा प्रोवाइड किया हुआ है । इसलिए इस डिजोल्यूशन के प्रस्ताव को वापस लेना चाहिए । जहां तक इनकी टर्म है, एक्ट में इसकी कोई रुकावट नहीं है । मैं अपील करना चाहता हूं कि इसको प्रैस्टिज इशू बनाने की जरूरत नहीं । इसलिए डिजोल्यूशन के प्रस्ताव को वापस लें, क्योंकि यह एक किस्म का वायलेशन है ।

चौधरी बंसी लाल (तोशाम) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहली बात तो यह है कि ये दो बिल बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं । एक तो म्यूनिसिपल अमैंडमैंट बिल और दूसरा ग्राम पंचायत बिल । परसों शाम को हमको इन बिलों की कापियां मिलीं । इतने लम्बे-लम्बे बिल पढ़ने का किसके पास टाइम था कि इनकी स्टडी करे । कल अढ़ाई बजे तक तो हम यहां बैठे रहे उसके बाद थोड़े बहुत और काम भी होते हैं । इसलिए मेरा पहला सुझाव यह है कि ये बिल सिलैक्ट कमेटी को दिये जाएं । सिलैक्ट कमेटी इनके बारे में विचार करे उसके बाद ये दोनों बिल पास करने के लिए दो-तीन दिन का सैशन बुला लें । सरकार को इस ऐक्ट को रश थ्रू करने में नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा । मैम्बर्ज ने इसको अच्छी तरह से स्टडी भी नहीं किया न टाइम था । गवर्नमैंट को चाहिए था कि कम से कम 15 दिन पहले ऐसे बिल मैम्बर्ज के पास भेजती । उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को अब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो इलैक्टिड बॉडीज हैं, उनको सरकार अधिकार नहीं देना चाहती है । हर सैक्शन में, हर महत्वपूर्ण सैक्शन में लिखा हुआ है कि as prescribed by the rules रूल किसने बनाने हैं, सरकार को बनाने हैं । सरकार यह

बिल तो इसलिए लाई है कि विधान सभा से ब्लैंक चैक पर दस्तखत करवा लें, जब मर्जी हो जो रूल बना दे ।

उपाध्यक्ष महोदय, आप इस बिल की क्लाज 41 देखें । जो भी कुछ बात इनके पास है, सदन के सामने लाएं, सदन से पास कराएं । ट्रिब्यूनल एज प्रिस्क्राइब्ड बाइ दि रूल्ज, ट्रिब्यूनल एक ऐसी चीज है जिसके पास इलैक्शन पैटीशन जानी है, एज प्रिस्क्राइब्ड बाइ दि रूल्ज, उसका क्या होगा ? किस तरह से होगा ? मैं तो यह समझता हूं कि इलैक्शन पैटीशन सिविल कोर्ट को जानी चाहिए । किसी एक आफीसर को ट्रिब्यूनल मुकर्रर कर दिया तो क्या वह इंडिपैंडैंट डिसीजन ले सकेगा ? इलैक्शन पैटीशन सिविल कोर्ट को जानी चाहिए । सरकार ने एक और कमाल कर दिया । यह जो इसकी क्लाज 41 है यह प्रिंसिपल ऐक्ट की सैक्शन 275(ए) में ऐड की है जिस में सिविल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन बार कर दी और कह दिया कि "Tribunal and in such manner as may be prescribed by rules" तो ये रूल्ज तो ऐसी चीज हो गई कि यह म्युनिसिपल ऐक्ट नहीं, ये रूल्ज ऐक्ट बना दो ताकि जो कुछ सरकार लिख कर भेजे, वह सही होगा । इसमें एक यह क्लाज है कि मैम्बरों को सस्पैंड किया जाए । कोई मम्बर सस्पैंड नहीं करना चाहिए । सस्पैंशन की क्लाज इसमें से निकाल देनी चाहिए । वे पब्लिक के चुने हुए नुमाइन्दे हैं । जो सरकार की बात न मानें उनको सस्पैंड कर दो और फिर इंक्वायरी कराते रहो । आज कोई एम0एल0ए0 सस्पैंड नहीं होता, मैम्बर आफ पार्लियामैंट सस्पैंड नहीं होता।

इसी तरह से म्युनिसिपल कमेटीज के मैम्बर्ज हैं, वे सस्पैंड क्यों हों । They are also elected by the public. तो वे सस्पैंड क्यों हों । जितनी भी म्युनिसिपल कमेटीज की टैन्योर रहेगी, ये उनको दो-चार बार सस्पैंड करके उनकी टैन्योर निकाल देंगे । अगर उसने कोई ऐसा जुर्म किया है या कोई ऐसी बात की है तो एक सीनियर आफिसर नाट लैस दैन दी रैंक आफ दी डिप्टी सैक्रेट्री से इंक्वायरी करायें । प्रिलिमिनरी इन्कवायरी करायें । प्रिलिमिनरी इन्कवायरी करने में उस मैम्बर को एसोशियेट करें । उसको एसोशियेट करने के बाद फिर उसके खिलाफ ऐक्शन लें । मेरा कहने का मतलब यह है कि बाकायदा इन्कवायरी करने के बाद ऐक्शन लेकर उसकी रिमूवल कर दें । यह सस्पैंशन क्या बीमारी है । कोई दो महीने के लिये तो कोई चार महीने के लिये सस्पैंड कर दिया । प्रोवीजन तो 6 महीने का है । एक बार सस्पैंड कर दिया साल तक वह चलता रहा । फिर वह रीइस्टेट हो गया । फिर दो-चार महीने के बाद फिर उसको सस्पैंड कर दिया । पांच साल यूं ही गुजार देंगे । तो मैं यह समझता हूं कि यह जो बिल है, इसको सिलैक्ट कमेटी को दिया जाये । सिलैक्ट कमेटी इस पर विस्तार से विचार करे । म्युनिसिपैलिटीज के लोगों की, म्युनिसिपलिटीज के प्रैजीडैंट्स की, म्युनिसिपलिटीज के मैम्बर्ज की और शहर के सारे लोगों की इस बारे में राय जानें कि इस बिल में क्या प्रोवीजन होना चाहिए । किस चीज को करने से फायदा

[चौधरी बंसी लाल]

है और किसमे नुकसान है। यूं ही हैफैजर्ड तरीके से जल्दी जल्दी में इसको पास करने से पब्लिक का कोई फायदा होने वाला नहीं है। इस बिल के साथ ही यह एक प्रस्ताव भी लाया जा रहा है कि सारी म्यूनिसिपैलिटीज डिजौल्व की जा रही हैं। मैं यह समझता हूं कि इस प्रस्ताव से यह जाहिर होता है कि सरकार डैमोक्रैटिक वे में और डैमोक्रेसी में विश्वास नहीं रखती है। इस सरकार का प्रजातन्त्र में कोई विश्वास नहीं है। मेरा कहना यह है कि उनकी जितनी टैन्योर है, वह उनकी पूरी करने दो। मगर यह तो अपनी ब्रूट मैजोरिटी के सहारे म्यूनिसिपल कमेटीज को डिजौल्व करेंगे क्योंकि ये ऐसा कर सकते हैं और लगता है कि यह कर भी देंगे। जो बिल लाया है, तो वे ऐसा करेंगे भी। मगर यह प्रजातांत्रिक तरीका नहीं है। यह तो डैमोक्रेसी का क्लीयर कट मर्डर है। इसलिये मैं यह कहूंगा कि इसको पास नहीं करना चाहिए ताकि ये म्यूनिसिपल कमेटीज को डिजौल्व न कर सकें। मैं सरकार से यह कहूंगा कि यह फिराखदिली का सबूत दे और इस बिल को सिलैक्ट कमेटी को दे दें। जितने दिन के बाद ये चाहें, रिपोर्ट आने के बाद दोबारा सैशन बुला लें। हर शहर में जाकर यह देखा जाये कि वहां के लोगों की राय क्या है और लोग इस बारे में क्या चाहते हैं। तभी लोगों को इससे फायदा होगा। इन शब्दों के साथ मैं अन्त में यही कहूंगा कि इस बिल को सिलैक्ट कमेटी को सौंप दिया जाये और यह जो प्रस्ताव म्यूनिसिपल कमेटीज को डिजौल्व करने के बारे में लाये हैं, गवर्नमैंट इसको वापिस ले ले। धन्यवाद।

स्थानीय शासन मन्त्री (चौधरी धर्मबीर गाबा) : डिप्टी स्पीकर सर, पहले तो मैं यह गुजारिश करना चाहता हूं कि यहां जो कहा गया है कि कमेटीज को डिजौल्व करने के लिए यह जो रैजोल्यूशन लाया गया है, यह गलत है। अगर ये गौर से एक्ट को पढ़ते तो इनको इतना कुछ कहने की जरूरत ही न पड़ती। पहली बात तो मैं यह कह दूं .....

चौधरी बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, हम तो गौर से पढ़ सकते थे लेकिन परसों रात को साढ़े बारह बजे तो यह हमें मिला है। कब हम इसको पढ़ते, कौन सा इन्होंने हमें समय दिया है?

चौधरी धर्मबीर गाबा : उपाध्यक्ष महोदय, दूसरे लोगों ने भी तो इसको पढ़ा है। मेरी एक प्रार्थना भी सुन लीजिए। इस एक्ट की इन्फोर्समैंट होने के बाद हरेक कमेटी का इलैक्शन एक दिन ही होगा अलग-अलग दिनों में अब इलैक्शन नहीं हो सकेगा। जैसे कि रिवाज चला आ रहा है, अब वैसा नहीं होगा। अब सारे इलैक्शन एक साथ होंगे। जैसे 17 कमेटियों के इलैक्शन तो 19-4-1994 को ड्यू हो गये हैं। उसके बाद 10 कमेटियों के और भी इलैक्शन होने हैं। बाकी रह गयी 63 कमेटियां। अगर हम इनकी टैन्योर पूरी करने देते हैं, तो फिर जो 17 कमेटीज की टैन्योर पूरी हो चुकी है, केवल उनको ही डिजौल्व करें और उनको थोड़े टाईम के लिये इलैक्ट करें या फिर एक साथ सब के इलैक्शन करवायें। अब आप ही बतायें कि क्या ऐसा करना ठीक होगा। इसलिये ऐसा किया है ताकि सारी कमेटियों के एक साथ ही इलैक्शन हों।

इसीलिये यह प्रस्ताव हम लाये हैं। ये जो डैमोक्रेसी की बात करते हैं, इनको पता होना चाहिए कि अगर हम केवल 17 कमेटीज को ही डिजौल्व करते हैं तो यहां बाकियों का क्या होगा। उनका भी तो हक होगा। उनका क्या बनेगा। अब जो नये रूल्ज हैं, उनके अनुसार इलैक्शन कराएंगे। नैचुरली वे 5 साल के लिये इलैक्ट होंगे इसलिये मेरी गुजारिश यह है कि यह रैजोल्यूशन तो इसलिये लाये हैं ताकि हम इलैक्शन सारे इकट्ठे ही करा सकें। एक बात और है। एक कमेटी का इलैक्शन तो 19-4-1994 को ड्यू होगा, किसी का 14-11-1995 को होगा, किसी का 25-11-1995 को तो किसी का 26-11-1995 को ड्यू होगा। इसलिये सब के एक साथ इलैक्शन कराने के लिये यह रैजोल्यूशन लाये हैं। जो चीज आप करना चाहते हैं, जो पावर आप लोगों को देना चाहते हैं वह सब इसके अन्दर हैं। अभी यह कहा गया कि हम डैमोक्रेटिक राइट छीन रहे हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो इस एक्ट के जरिए सारी म्यूनिसिपल कमेटीज के चुनाव कराना चाहते हैं। गवर्नमैंट सुपरसीड नहीं कर सकती, गवर्नमैंट डिजौल्व कर सकती है। डिजौल्व करने का मतलब है कि विदइन छः महीने में चुनाव कराएंगे। इसलिये डिजौल्व का शब्द लाए हैं। आप यह कैसे कह रहे हैं कि हमारी नीयत ठीक नहीं है, यह सब कुछ बदनियती से किया जा रहा है। इस एक्ट के जो सैलिएन्ट फीचर्ज हैं वे मैं आपको बता देता हूं। आपने कहा कि पावर नहीं दी जा रही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस एक्ट में जितनी मैक्सीमम पावर्ज और राइट्स हम देने जा रहे हैं शायद म्यूनिसिपल कमेटीज को पहले कभी नहीं दिए गए। इनके लिए अलग से इलैक्शन कमीशन होगा, इनका अलग से फाइनैन्स कमीशन होगा। वह कमीशन म्यूनिसिपल कमेटीज और जो लोकल बौडीज हैं उनके बारे में डिसाइड करेगा कि इनको कहां से पैसा देना है। क्या इनको कंसोलिडेटिड फण्ड से पैसा देना है या कहीं और से देना है। ये कितने नए टैक्स लगा सकती हैं। आप यह नहीं कह सकते कि म्यूनिसिपल कमेटीज की पावर छीन ली है।

प्रो० सम्पत सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, इसमें साफ लिखा है, ऐसा लगता है कि इन्होंने खुद इसको नहीं पढ़ा है। ये छः पेज को देखें। इसमें आपने साफ लिखा है कि जो म्यूनिसिपल कमेटीज आलरेडी ऐग्जिस्ट करती हैं उनका क्या करना है। जितनी टर्म रह गई हैं उनको रहना है। इसका मतलब यह तो नहीं है कि चुनाव होने चाहिएं। चुनाव तो होने ही नहीं चाहिएं। दस के चुनाव हो जाएं और उसके बाद फिर चुनाव हो जाएं। जो आपका एक्ट है और जो कुछ उसके अन्दर है उसके मुताबिक आप चलें तो ठीक रहेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं म्यूनिसिपल कमेटीज की पावर्ज के बारे में कहना चाहता हूं। आपने कहा है कि कमीशन बिठा दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, म्यूनिसिपल कमेटीज हमेशा गवर्नमैंट के फण्डस पर ही डिपैण्ड करती रही हैं। जो आपका फाइनैन्स कमीशन होगा वह कोई अलग से तो फण्डज रेज नहीं करेगा। गवर्नमैंट जितने फण्डज देगी वह कमीशन आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अलग से तो कमेटीज को हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। क्या आप ऐक्साइज से अलग से देने जा रहे हैं और क्या आप सेल्ज टैक्स से अलग से उनका हिस्सा देने जा रहे हैं ? इसमें ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं किया गया

[प्रो० सम्पत सिंह]

है। आप यह बताएं कि कौन सी फाइनैंशियल पावर्ज हैं, जो आप उनको देने जा रहे हैं ?

चौधरी बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने डिसक्वालीफिकेशन आफ ए मैम्बर के बारे में यह कहा है--

"If any question arises as to whether a member of a municipality has become subject to any of the disqualifications mentioned in sub-section(1), the question shall be referred for the decision of such authority and in such manner as may be prescribed by rules."

सरकार यह कहती है कि अथारिटीज ज्यादा दिए हैं और इसके लिए ट्रिब्यूनल बना है और इलैक्शन कमीशन बनाया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैम्बर लेजिस्लेटिव असैम्बली और पार्लियामैंट के मैम्बर की डिस्क्वालीफिकेशन के लिए कानून है कि चीफ इलैक्शन कमीश्नर जो रिकमैन्डेशन करेगा वह प्रैजीडैन्ट आफ इंडिया पर बाईंडिंग होगा। लेकिन जो इस बिल में दिया हुआ है उसके अनुसार तो सरकार अथौरिटी होगी। इसमें यह आना चाहिए कि म्यूनिसिपल कमेटीज के इलैक्शन के लिए जो इलैक्शन कमीशन बनाया है, उस इलैक्शन कमीशन की जो रिकमैन्डेशन हों, it should be binding on the Governor. It should not go to the Government. It should go to the Governor as in the case of M.L.As. and M.Ps. The provision should be same, as has been done in the case of M.L.As. and M.Ps.

चौधरी अमरबीर गाबा : एक तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि यह जो ट्रिब्यूनल का सवाल मैम्बर साहेबान उठा रहे हैं, यह एक कांस्टीच्यूशनल अमैन्डमैंट है, जिसे हम लोग बदल नहीं सकते। क्योंकि इसको पार्लियामैंट के दोनों हाउसिज ने पास कर रखा है और आपकी असैम्बली ने इसको मार्च, 1993 में रेटीफाई करा। This is 74th amendment of the Constitution regarding bar of interference of any court in the matter. This is Constitutional amendment. इस बारे में मेरे भाइयों ने अमैन्डमैंट में पढ़ा होगा। यह आर्टिकल 243 जी में है। इसलिये हमें यह करना पड़ा क्योंकि यह अमैन्डमैंट कांस्टीच्यूशन के अन्दर है।

दूसरा डिस-क्वालिफिकेशन के बारे में यहां पर ऐतराज उठाया गया है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। डिस-क्वालिफाइड परसन तो वह होगा जो बाई लाज की उल्लंघना करेगा। फिर सब से बड़ी पावर तो असैम्बली की है। सरकार ऐसा नहीं कर सकती, असैम्बली कर सकती है।

प्रो० राम विलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदय, ने आर्टिकल 243 जैड एफ का जिक्र करते हुए एक तर्क दिया है कि 17 नगरपालिकाओं के चुनाव अप्रैल 1994 में ड्यू हैं और बाकी के अभी आगे हैं। तो यह उनका तर्क जरा कमजोर सा प्रतीत होता है कि बाकियों को 17 के लिये बली का बकरा बनाया जा रहा है मेरा कहना यह है कि जो 17 के चुनाव ड्यू हैं अगर उसके लिये अलग से क्लाज रख दें तो बेहतर होगा। एक साथ एक कलम से सब को भंग करने का क्या औचित्य है ?

चौधरी धर्मवीर सिंह गाबा : मैंने तो यह कहा है कि 17 की नहीं बल्कि बहुत सारी म्यूनिसिपल कमेटीज की मियाद डिफरैन्ट टाइम्ज पर खत्म हो रही है। किसी की 19-4-1994 को है, किसी की 20-4-1995 को है, किसी की 14-11-1995 को और किसी की 25-11-1995 को है, किसी की 26-11-1995 को है। हमारा यह मतलब है कि यह ऐक्ट ऐन्फोर्स होने के बाद इलैक्शन करवाने पड़ेंगे, इसलिये सभी के क्यों न एक साथ ही करवा दिये जायें। जैसे कि आपके असैम्बली के इलैक्शन होते हैं कि अगर कोई मैम्बर बाद में बाई इलैक्शन में आता है तो वह बाकी पीरियड के लिये ही होता है न कि पांच सालों के लिये। तो मेरी प्रार्थना है कि अगर हम 17 के इलैक्शन करवाते हैं तो बाकी 63 म्यूनिसिपल कमेटीज हैं उनके इलैक्शन फिर हमें बाद में करवाने पड़ेंगे। इस बारे में आप लोग फिर कहेंगे कि सरकार यह गलत कर रही है। इसी लिये हम यह रैजोल्यूशन लाये हैं कि सभी म्यूनिसिपल कमेटीज के चुनाव एक साथ ही हो जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर स्लज के बारे में भी कहा गया। स्लज जब भी तैयार किये जाते हैं तो वे ऐक्ट के अनुसार ही तैयार किये जाते हैं। यह हमारा घर का राज नहीं है कि जो जी में आया, वह कर लिया।

चौधरी बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से कलैरीफिकेशन चाहूंगा। अभी मन्त्री महोदय ने कहा कि यह जो कांस्टीच्यूशनल अमैन्डमैंट हुई है उसको आर्टिकल 243 जैड एफ के अनुसार डील किया है डिस-क्वालिफिकेशन आफ ए मैम्बर—उसमें यह कहा है कि जिस तरह से लैजिस्लेचर कानून पास करे उसी तरह से डिस-क्वालिफिकेशन की जाएगी। मेरी यह सबमिशन है कि इस कानून में यह क्लीयर कर दो, कांस्टीच्यूशन में कहीं रुकावट नहीं है कि यह म्यूनिसिपल कमेटीज के लिये जो इलैक्शन कमिश्नर होगा इसकी रिकमन्डेशन गवर्नर साहब पर बाईंडिंग होगी। चाहे सरकार को भाए या न भाए। क्यों सरकार इस को पोलिटिकल ईशू बनाने पर उतारू है। ऐसा करके इन के गले से तो बला टलती है, सरकार के ऊपर से एक जिम्मेवारी हटती है। एक इंडीपैंडैन्ट बॉडी जो है, वह सिफारिश करेगी और अपनी फांइडिंग देगी। तो ये और अथौरिटी प्रेसकाइब क्यों करना चाहते हैं?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल, चौधरी सम्पत सिंह और श्री राम बिलास शर्मा ने इस बिल के बारे में कुछ आपत्ति की। या तो इन्होंने इस पूरे बिल को पढ़ा नहीं। इस बिल का बहुत गहराई से अध्ययन किया गया है। आज से नहीं बल्कि मैं बताता हूं कि श्री राजीव गांधी जी ने सारे देश के म्यूनिसिपल कमिश्नर्ज, म्यूनिसिपल कमेटियों के प्रैजीडैन्ट्स और काउंसलर्ज को बुलाया। उन्होंने उनके साथ अलग अलग से विचार किया था। उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि यह पावर नीचे तक दी जाए और सारे विकास की योजनाएं नीचे से बन कर आएं। उसी बात को ध्यान में रख कर बाद में यह बिल आया। पंचायती राज का बिल भी उस समय आया था। उस समय मैं केन्द्र में मन्त्री था और वह बिल मैंने लोक सभा

[चौधरी भजन लाल]

में पेश किया था। लोक सभा में तो पंचायती राज और नगरपालिकाओं वाले दोनों बिल पास हो गए थे लेकिन राज्यसभा में दो वोट से हार गए थे। इसलिए यह बिल दोबारा आया है। एक एक बात के ब्यौरे में जा कर यह बिल तैयार किया गया है। बाकायदा कमीशन बनेगा ताकि सारे देश में एक जैसी चुनाव प्रणाली हो। इसमें बाकायदा एक तिहाई महिलाओं को स्थान देना है। अगर हम आज बिल पास कर दें और महिलाओं के लिए जगह न हो तो बिल का कोई मायना नहीं रह जाएगा। इसलिए यह बिल ला रहे हैं कि बैकवर्ड, हरिजन और महिलाएं इसमें आ सकती हैं और उनके लिए दस साल तक बाकायदा रिजर्वेशन रहेगी। हमने साथ में यह भी किया है कि अगर कोई भी म्यूनिसिपल कमेटी गलत काम करती है और उस जगह से उसे तोड़ा जाता है तो उसका छः महीने के बाद अवश्य चुनाव करवाना पड़ेगा। बंसी लाल जी, आप तो कमेटियों के दस दस साल तक चुनाव नहीं करवाते थे। यहां पर बता साहब बैठे हैं इनके पिता रोहतक म्यूनिसिपल कमेटी के प्रैजीडैन्ट थे। आपने बगैर सोचे उस कमेटी को दो मिनट में तोड़ दिया था। इसलिए हम इसमें यह प्रोवीजन करने जा रहे हैं कि आप जैसा अगर फिर से आ गया तो गड़बड़ न कर सके। यह हमने इसलिये किया है कि लोगों का प्रजातन्त्र में पूरा विश्वास हो और लोगों की पूरी भागीदारी इसमें हो। यह बहुत शानदार बिल है। मैं निवेदन करूंगा कि इन दोनों बिलों को सर्व सम्मति से पास किया जाए।

चौधरी बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्लैरीफिकेशन का जवाब न मन्त्री जी ने दिया है और न मुख्य मंत्री जी ने दिया है। मैंने यह जानना चाहा था कि किसी मैम्बर को डिस-क्वालिफाई करने के लिए जो प्रिंसीपल एक एम0पी0 और एम0एल0ए0 पर लागू होता है वह प्रिंसीपल म्यूनिसिपल कमेटी के लिये लागू करने के लिए क्या दिक्कत है ?

चौधरी भजन लाल : उसके लिए हम रूल बनाएंगे।

चौधरी बंसी लाल : कांस्टीच्यूशन में यह है कि एक पार्लियामैंट का मैम्बर इस तरह से डिस-क्वालीफाई किया जाएगा, राष्ट्रपति के हुक्म से।

चौधरी भजन लाल : हम रूल बनाएंगे और इस बात पर पूरा विचार किया जाएगा। जो ठीक बात होगी उसे करेंगे।

चौधरी बंसी लाल : अगर बिल में ही प्रोवीजन नहीं होगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। एक एम0पी0 और एम0एल0ए0 को डिस क्वालीफाई करने के लिए कांस्टीच्यूशन की आर्टिकल 102 में प्रोवीजन है तो वही सिद्धांत म्यूनिसिपल एक्ट में लागू करने में क्या दिक्कत है ?

चौधरी भजन लाल : एक्ट भारत सरकार ने पास किया है। हम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। हां रूल स्टेट गवर्नमैंट बना सकती है। हम रूल्ज में करेंगे।

चौधरी बंसी लाल : मुख्य मंत्री जी यह बता दें कि जो कांस्टीच्यूशन में अमैंडमैंट हुई है, इसमें कहां पाबन्दी लगाई गई है कि इसको म्यूनिसिपल एक्ट में इनसर्ट नहीं कर सकते ?

चौधरी भजन लाल : हम मूल बात को नहीं बदल सकते ।

डा० राम प्रकाश (थानेसर) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस बिल की सराहना करता हूं लेकिन एक दो बात की तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । वह यह है कि प्लानिंग कमेटी के पास ज्यादा पावर्ज हैं जब वह कुछ पैसे देने का प्रावधान करेगी तभी म्यूनिसिपल कमेटी या पंचायत कोई काम कर सकेगी । लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की कम्पोजीशन है, उसमें कहीं कोई शिड्यूल्ड कास्टस या बैकवर्ड क्लासिज की रिप्रैजेन्टेशन की बात नहीं है । मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि उसकी उसमें रिप्रैजेन्टेशन की बात की जाए । इसके अलावा एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसे शिड्यूल्ड कास्टस के लिए आबादी के लिहाज से रिप्रैजेन्टेशन की बात कही है, वहां म्यूनिसिपल कमेटियों में केवल एक या दो नुमायंदे बैकवर्ड क्लासिज के रखने का प्रावधान किया गया है । जब मंडल कमीशन रिपोर्ट को मान लिया गया है। तो मैं यह समझता हूं कि पंचायत और म्यूनिसिपल कमेटी में पिछड़े वर्ग को रिप्रैजेन्टेशन ज्यादा दी जानी चाहिए । मैं यही एक दो सुझाव देना चाहता था ।

चौधरी धर्मबीर गाबा : डिप्टी स्पीकर साहब, इनमें से बन थर्ड सीटें तो आलरेडी लेडीज को चली जाएंगी और आबादी के लिहाज से 20 परसैंट सीटें शिड्यूल्ड कास्टस के लिए जाएंगी । म्यूनिसिपल कौंसिल के अन्दर दो सीटें बैकवर्ड क्लासिज को चली जाएंगी । वह 21 मैम्बर्ज की असैम्बली होगी तो आप अंदाजा लगा लें कि जनरल के लिए कितनी सीटें होंगी, उनके लिए कितनी सीटें बचेंगी । आप यह भी अंदाजा लगा लें कि उसमें हम कितनी रिजर्वेशन कर सकते हैं । जहां तक फाईनैंस का ताल्लुक है, इस बारे में मैंने पहले भी अर्ज किया था कि फाईनैंस कमिशन होगा जो प्लानिंग कमेटी को पैसे देगा । स्टेट के फण्डज में से कितना पैसा उसको लेना है, कितना पैसा मैनूप्लेट कर सकता है, कितने टैक्सिज लगा सकता है और उसके अपने मौजूदा रिसोर्सिज क्या हैं यह सारा फाईनैंस कमिशन डिसाइड करेगा । फाइनैंस कमिशन की जितनी भी सिफारिशें होंगी वे सारी स्टेट गवर्नमैंट पर लागू होंगी इसलिए प्लानिंग कमेटी को कोई घाटा नहीं रहेगा ।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Haryana Vidhan Sabha LIBRARY Accession No.

वाक आउट

चौधरी बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बिल के बारे में कुछ और बातें कहनी हैं इसलिए इसको पास करने से पहले मुझे बोलने का समय दिया जाए। (शोर) अगर आपका यही नजरिया है कि मुझे बोलने के लिए टाईम नहीं दिया जाएगा तो हम एज ए प्रोटैस्ट सदन से वाक आउट करते हैं। (शोर)

(इस समय हरियाणा विकास पार्टी के उपस्थित माननीय सदस्य सदन से वाक-आउट कर गए)

प्रो० राम बिलास शर्मा : डिप्टी स्पीकर साहब, इस बिल को पास करने की इतनी जल्दी क्या है। आप हमें इस बिल पर बोलने के लिए समय दें। (शोर) अगर आप मुझे बोलने के लिए समय नहीं देते तो मैं एज ए प्रोटैस्ट सदन से वाक आउट करता हूं। (शोर)

(इस समय माननीय सदस्य सदन से वाकआउट कर गए)

दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमैंडमैंट) बिल, 1994 (पुनरारम्भ)

चौधरी धर्मबीर गाबा : स्पीकर साहब, इस बिल पर मैं एक अमैंडमैंट मूव करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या हाउस सहमत है कि अमैंडमैंट मूव कर दी जाये?

आवाजें : ठीक है जी, मूव कर दी जायें।

श्री उपाध्यक्ष : अब मन्त्री जी अपनी अमैंडमैंट मूव कर दें।

Minister of State for Local Government (Ch. Dharambir Gauba) : Sir, I beg to move—

> That in the Haryana Municipal(Amendment) Bill, 1994 for the words "NagarPanchayat" wherever occurring, the words "Municipal Committee" shall be substituted."

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

> That in the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 1994 for the words 'Nagar Panchayat" wherever occurring, the words "Municipal Committee" shall be substituted."

Mr. Deputy Speaker : Question is—

> That in the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 1994 for the words "Nagar Panchayat" wherever occurring, the words "Municipal Committee' shall be substituted."

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clauses 2 to 43

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clauses 2 to 43 as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now, the Minister of State for Local Government will move that the Bill, as amended, be passed.

Minister of State for Local Government (Ch. Dharambir Gauba) : Sir, I beg to move—

That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Bill, as amended, be passed.

The motion was carried.

(iv) दि हरियाणा पंचायती राज बिल, 1994

Mr. Deputy Speaker : Now, the Development and Panchayats Minister will introduce the Haryana Panchayati Raj Bill, 1994 and also move that the Bill be taken into consideration at once.

Development and Panchayats Minister (Rao Bansi Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana Panchayati Raj Bill, 1994.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Panchayati Raj Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Haryana Panchayati Raj Bill be taken into consideration at once.

चौधरी बंसी लाल (तोशाम) : उपाध्यक्ष महोदय, ये दोनों बिल ही हमें परसों रात को मिले हैं। इनको हमें पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। जब हम इसको पढ़ ही नहीं पाये तो बिना पढ़े हम क्या सुझाव देंगे। इस में मेरा सुझाव है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए जो इस पर अच्छी तरह से विचार कर सके। लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में स्पष्टीकरण किया जाना जरूरी है। हम महिलाओं के, बैकवर्ड जातियों के या हरिजन भाईयों के आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन इसके तरीके ऐसे अख्तियार किए जाने चाहिएं जिससे लोग यह महसूस न करें कि हरिजन हमारे सिर पर बैठ गया महिला हमारे सिर पर बैठ गई। अब ये जो वार्ड बंदी करेंगे तो जो एक बार आरक्षण में आ जाएगा वह तो 10 साल तक आरक्षण में रह जायेगा। मेरा प्रस्ताव यह है कि सरपंच का चुनाव इन्डीपेंडटली हर साल रोटेशन करके कर लिया जाये। एक बार हरिजन बन जाए, एक बार महिला बन जाए और एक दो बार जनरल या दूसरा कोई बन जाए। एक बात इसमें शराब के बारे में है कि ग्राम पंचायत यदि एक बार कोई प्रस्ताव पास कर दे कि हमारे यहां पर शराब का ठेका नहीं होना चाहिए तो फिर उसकी ओवर राईडिंग की पावर जो एक्साइज एण्ड टैक्सेशन कमीशनर को दी गई, वह न हो बल्कि जो पंचायत प्रस्ताव एक बार पास कर देती है, उसको माना जाये। ओवर राईडिंग पावर्ज एक्साईज एण्ड टैक्सेशन कमिश्नर को देने का मतलब यह होगा कि

13.00 बजे

एक्साईज एण्ड टैक्सेशन कमिश्नर को तो ठेके खोलने ही हैं, वह तो ठेके से मुकरेगा ही नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, ताज्जुब की बात तो यह है आज सवेरे इस बिल पर अमैंडमैंट देने के लिये स्पीकर साहब के आफिस में गए तो प्रोफैसर छतर सिंह चौहान जी को बताया गया कि बिल पर अमैंडमैंट कंसिडरेशन के लिये 48 घंटे पहले आनी चाहिये। अभी तो बिल हमें मिले हुए भी 48 घंटे नहीं हुए हैं फिर 48 घंटे पहले हम अमैंडमैंट कैसे दे सकते थे। बिल हमें मिले हुए अभी 36 घंटे हुए हैं और अमैंडमैंट आप कहते हैं कि 48 घंटे पहले आनी चाहिए। आपके बिल से क्या हमें सुगन्धि आ गई थी कि इस में यह होगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपको हमारी अमैंडमैंट एडमिट करके उस पर विचार करना चाहिए। हाउस में उसको कंसिडरेशन के लिये लाना चाहिए ताकि उस पर डिबेट हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, एक चीज यह है कि इसमें जो सस्पैंशन की क्लाज है वह बिल्कुल हटाई जानी चाहिए। आज हरियाणा

में भारी तादाद में पंच और सरपंच सस्पैंडिड हैं । रूलिंग पार्टी का एम0एल0ए0 हो, मिनिस्टर हो, मुख्य मन्त्री जी खुद हों अगर वे इनको अौन्लाईज न करें, इनकी लाईन को फोलो न करें तो पंच सरपंच को सस्पैंड कर देते हैं । आज हर पंच सरपंच हाईकोर्ट में खड़ा है। फिर डिप्टी कमिश्नर को पावर दी गई है, पंचों सरपंचों को सस्पैंड करने की । यह पावर बिल्कुल विदड्रा कर लेनी चाहिए। डिप्टी कमिश्नर या डायरैक्टर, किसी को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि उनको सस्पैंड कर दे जैसे कि पार्लियामैंट के मैम्बर के लिए या असैम्बली के मैम्बर के लिए डैमोक्रैटिक प्रोसीजर है । वही डैमोक्रेटिक प्रोसीजर पंचो सरपंचों या उप-सरपंचों के लिये भी लागू होना चाहिए । यह न हो कि डिप्टी कमिश्नर के ध्यान में आया बैठे-बैठे सस्पैंड कर दे, पता नहीं कितने दिन तक सस्पैंड रहे । कोई पंच या सरपंच आराम से पंची या सरपंची नहीं कर सकता जब तक कि वह रूलिंग पार्टी के एम0 एल0 ए0, एम0 पी0 या सरकार की लाईन को फोलो न करे । इसलिये कम से कम जब आप एक प्रजातान्त्रिक ढंग से डैमोक्रेटिक प्रोसीजर से जिस कान्स्टीच्यूशन के तहत काम कर रहे हैं उसकी स्प्रिट को तो वायलेट न करें । उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल उस कान्स्टीच्यूशन की स्प्रिट को वायलेट करने का बिल है । इसमें ऐसा होना चाहिए कि सस्पैंशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। परोपर इन्क्वायरी हो । परोपर इन्क्वायरी में सीनियर आफिसर नाट बिलो दी रैंक औफ डिप्टी सैक्रेटरी उसकी प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी करे। उस प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी में भी उस पंच को या सरपंच को एसोशिएट करे उसके बाद ही उसके खिलाफ ऐक्शन होना चाहिए, उससे पहले नहीं। आज तो चाहे बी0 डी0 ओ 0 नाराज हो जाए चाहे एस0 डी0 ओ0 नाराज हो जाए, डिप्टी कमिश्नर नाराज हो जाए या हल्के का एम0 एल0 ए0 नाराज हो जाए तो समझो पंच या सरपंच सस्पैंड हो गया । यह तो कोई डैमोक्रेटिक प्रोसीजर नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, यह डिसक्वालिफिकेशन का पैरा भी इसी तरह का है । इसमें भी मेरी सबमिशन यह है कि यह पैरा भी उसी लाईन पर होना चाहिए जिस लाईन पर पार्लियामैंट के मैम्बर या असैम्बली के मैम्बर के बारे में है ताकि किसी पंच या सरपंच को आसानी से सरकार डिसक्वालिफाई न कर सके और वह अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निभा सके । (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, इस एक्ट में एक नया प्रोवीजन, नई चीज आई है कि पंचों के चुनाव के लिए वार्ड बनेंगे और कोशिश यह की जाएगी कि बराबर की संख्या के वार्ड बनें इसकी प्रोवीजन के मुताबिक कहीं भी 6 से कम मैम्बर्ज नहीं होंगे और 20 मैम्बर्ज से ज्यादा नहीं होंगे । अगर एक गांव की आबादी 15 हजार है और उसके 20 मैम्बर्ज होंगे एक गांव की आबादी 500 है तो 500 की आबादी में अगर कम से कम 6 मैम्बर लगाते हों तो 80–85 आदमियों पर एक मम्बर होगा जिस गांव की 15 हज़ार की आबादी है उसमें अगर 20 मम्बर्ज हैं तो कितने मैम्बर्ज पर एक मैम्बर होगा इसमें यह जो लकूना है उसको कैसे पूरा करोगे । दूसरी बात यह है कि इसमें

[चौधरी बंसी लाल]

सरकार एक अख्तियार ले रही है कि पंचायत कांस्टीच्यूट करने के लिये सरकार को 500 की आबादी से भी रिलैक्सेशन का अधिकार होगा । हमें इसमें कोई एतराज नहीं वह अधिकार सरकार ले और रिलैक्सेशन दे दे । लेकिन इसमें एक प्रोविजन कर दे कि सरकार 4, 5, या 10% या इतने परसैन्ट तक की लैक्सिटी दे सकती है । उससे आगे आर्बिट्रेरी पावर्ज सरकार के पास न हो । वरना कहीं पर तो एक सौ की आबादी पर कर देंगे और कहीं पर चार सौ पर भी नहीं करेंगे । तो सरकार की इसमें पावर लिमिटिड हो । इसमें कोई परसैन्टेज तय कर दें कि 500 से इतने परसैन्टेज तक रिलैक्सेशन सरकार दे सकती है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इलैक्शन कमीशन के बारे में इन्होंने लिखा है, इस बारे में ये खुलासे के तौर पर बताएं । इसके साथ नई पंचायतों के चुनाव कब होंगे यह भी बताएं और पैट्रन के बारे में भी बताएं । अगर मैं मुख्यमन्त्री जी को कहूंगा कि कर्नाटक और तामिलनाडू के बिल भी हमें पढ़ने को दें तो ये कहेंगे कि मैंने पढ़ लिया है । तो उपाध्यक्ष महोदय, ये हमें बता दें कि वहां पर क्या क्या प्रोविजन है । एक बात मेरे सुनने में आई है, पता नहीं ठीक है कि नहीं । वह यह है कि कर्नाटक ने जो बिल पास किया है उसमें हर पंचायत समिति को एक लाख रुपए की ग्रान्ट मिलेगी over and above the usual financial aid to the Committee. तो क्या मुख्यमन्त्री जी भी हरियाणा में एक लाख रुपए की ग्रान्ट देंगे । इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, हरेक पंचायत एक अदालत का काम करती है और इन्होंने उसे बार्ड बना दिया । इसको बनाने के बाद रैवेन्यू एस्टेट की बात है । एक रैवेन्यू एस्टेट में नौर्मली एक पंचायत बनाते हैं । उसमें एरिए का झगड़ा पड़ेगा । बगैर रैवेन्यू एस्टेट के भी बना सकते हैं । अगर एक गांव में 4—5 पंचायतें बन गई तो उनकी जुरिसडिक्शन कैसे होगी, इस चीज के ऊपर भी झगड़ा पड़ेगा । यह टोटली डिफैक्टिव है । इससे तो झगड़ा ही होगा और लोगों के पास हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट में जाने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा । This is not in consonance with the spirit of the Constitution of India. सारी पावर सरकार ले ले और यह कह दे कि यह चीज भी रूल से बनेगी । इलैक्शन कमीशन भी रूल से बनेगा और ट्रिब्यूनल भी रूल से बनेगा । इलैक्शन पैटीशन के बारे में तो इन्होंने प्रोवीजन किया है, कि सिविल कोर्ट को जाएगी वह तो खैर अच्छी बात है लेकिन मैं यह कहूंगा कि इसमें एग्जीक्यूटिव का कम से कम दखल होना चाहिए । अगर इसमें एग्जीक्यूटिव का इन्टरफीयर होगा तो पंचायत की मिट्टी खराब होगी जैसे कि आज है ।

एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ऐसी इन्डीपैन्डैंट बॉडी बनाए जिसके ऊपर कोई पोलिटिकल दखल न हो । पंचायत के पैसे का मिसयूज न

हो। अगर एक सरपंच और बी0 डी0 ओ0 या इनका एस0 डी0 एम0 आपस में बात कर लें तो वे कहीं पर भी पैसे को खर्च कर सकते हैं। पैसा गांव की भलाई के अलावा किसी दूसरी चीज पर खर्च न हो। इसके लिए सरकार को इंडीपैंडैंट बौडी बनानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी एक अमैंडमैंट थी जिसमें हमने कहा था कि एक्साईज एंड टैक्सेशन कमिशनर को ओवर राईडिंग पावर्ज न दी जाए। यह अमैंडमैंट हमारी कंसिडेशन के लिये हाउस में लाई जाए क्योंकि 48 घंटे पहले तो हमें बिल ही नहीं मिला। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जैसे पंचायत समिति के मैम्बर और जिला परिषद के मैम्बर के इलैक्शन भी डायरैक्ट होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, ये इलैक्शन डायरैक्ट न होकर इन-डायरैक्ट हों तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर यह इलैक्शन डायरैक्ट होगा तो तो लोग इलैक्शन में ही खड़े रहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : बंसी लाल जी, आपकी अमैंडमैंट आई हुई है और वह रैलेवैंट क्लाज के समय कंसिडर होगी।

चौधरी बंसी लाल : धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, अगली बात यह है कि अगर एम0 एल0 ऐज० को पंचायत समिति में रखा गया है तो फिर उनको जिला परिषद में भी रखा जाना चाहिए। पहली बार म्यूनिसिपल एक्ट में यह रखा गया था कि एम0 एल0 ए0 का वोट होगा जबकि इसमें यह रखा है कि एम0 एल0 ए0 का वोट नहीं होगा। मैं तो समझता हूं कि ऐट-पार डील हो। उपाध्यक्ष महोदय जब हर चीज में यह किया हुआ है तो फिर जिला परिषद में भी उसको मैम्बर होना चाहिए। अगर आप चाहें तो एम0 एल0 ए0 को जिला परिषद में वोटिंग राईट न दें परन्तु उसको उसका एक्स ऑफिशियो मैम्बर अवश्य रखें। उपाध्यक्ष महोदय, जिला परिषद में एम0 एल0 ए0 मैम्बर जरूर होना चाहिए। इसके अलावा एक बात और मैं आपके जरिए मुख्यमन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि अगर यह बिल सिलैक्ट कमेटी को दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा जब यह कमेटी इस पर पांच दस दिन विचार कर ले तो उसके बाद आप फिर एक या दो दिन का सैशन बुला लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा।

श्री वीरेन्द्र सिंह (नारनौंद) : डिप्टी स्पीकर सर, यह जो पंचायती राज पर बिल आया है, मैं इसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। इसमें डिसक्वालीफिकेशन के बारे में लिखा है कि वह व्यक्ति पंच, सरपंच, ब्लाक समिति का चेयरमैन या वाईस चेयरमैन नहीं बन सकता जिसके कि दो से ज्यादा बच्चे होंगे। इसमें यह भी है कि इस ऐक्ट की कमैंसमैंट के एक साल के पश्चात जिसके दो से ज्यादा बच्चे होंगे तो वह डिसक्वालीफाई समझा जाएगा यानी जब अगला चुनाव होगा तो अगर उस समय किसी के दो से फालतू बच्चे होंगे तो वह व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकेगा।

[श्री वीरेन्द्र सिंह]

मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि अभी थोड़ी देर पहले जो मंत्री जी ने म्यूनिसिपल कमेटीज का अमैंडमैंट बिल पेश किया है तो क्या उसमें भी इस तरह का कोई प्रावधान रखा गया है ?

आवाजें : इसी तरह का प्रावधान रखा गया है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : अगर इस तरह का प्रावधान रखा गया है तो फिर मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा । लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इस प्रदेश में मुस्लिम काफी कम संख्या में हैं । कई ऐसे गांव हैं जहां पर कि ये मुस्लिम बैकवर्ड भाईयों के बराबर हैं इसलिए अगर उनको भी इसमें रिजर्वेशन दे दें बहुत अच्छा रहेगा ।

श्री सतबीर सिंह कादयान (नौल्था) : डिप्टी स्पीकर साहब, जो यह पंचायती राज बिल, 1994 पेश किया गया है लोगों को इस बिल के पेश होने से पहले बहुत आशा थी कि चुने हुए प्रतिनिधियों को और ज्यादा अधिकार मिलेंगे तथा वे सरकार के चंगुल से मुक्त रहेंगे । लेकिन इस बिल में ऐसी कोई भी बात देखने को नहीं मिली । यह बिल वैसा ही है जैसे कि पुरानी शराब नयी बोतल में डालकर हमारे सामने पेश कर दी हो । जो कोशिश सरकार की इसके बारे में होनी चाहिए थी वह नहीं हुई । सर, जो यह बिल आया है इससे ज्यादा अधिकार तो गोवा जैसी छोटी स्टेट ने अपने यहां के बिल में दिए है। इसी तरह से राजस्थान में भी पंचायतों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं । उनके अन्डर देहात के प्राईमरी स्कूल भी आते हैं और जो छोटे-छोटे औफिस हैं उन पर भी पंचायतों का कंट्रोल है । लेकिन हमारे प्रदेश में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है । सरपंच को जब चाहे सस्पैन्ड कर सकते हैं, कोई मंत्री नाराज हो जाए तो उसको सस्पैंशन का सामना करना पड़ेगा । बिल पेश करते समय माननीय मंत्री महोदय ने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि वे स्वयं तो कांस्टीच्यूएंसी अलाउंस लेते हैं । मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सरपंचों को भत्ता देंगे । जो कोई आफिसर सरपंच के पास जाता है जैसे डिप्टी कमिश्नर जाता है, एस0 डी0 एम0 जाता है, मिनिस्टर जाता है, सरकारी फंक्शन होते हैं उनको तो बी0 डी0 ओ0 मैनुपुलेशन से कर लेता है । सरपंच के पास थानेदार आता है, दूसरे गैस्ट आते हैं उसके लिए उसको एलाउंस कहिए, भत्ता कहिए वह उसे मिलना चाहिए । उसको पंचायत के कामों के लिए बाहर भी जाना पड़ता है उसके लिए टी0 ए0 का प्रबंध होना चाहिए । इसके अलावा मैं जानना चाहूंगा कि एक पंचायत को कांस्टीच्यूट करने के लिए आप पापुलेशन की कितनी सीमा रखना चाहते हैं, इसमें यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 20 हजार के ऊपर पंचायत होगी या 30, 40 हजार या एक लाख के ऊपर होगी । पंचायत के मैंबर्ज की सीमा आपने रख दी लेकिन मैंबर के बंटवारे में छोटे गांव और बड़े गांव कैसे तय करेंगे ? इससे तो यह सरकार की मर्जी रहेगी । छः मैंबर्ज से बीस मैंबर्ज तक गांव की पंचायत कैसे बनेगी ?

आबादी के क्या नार्म्ज रखे हैं ? जैसे आपने 500 की आबादी पर पंचायत को माना और छः मैम्बर हो गए । चौधरी बंसी लाल जी ने कहा कि एक पंच पर लगभग 80-82 मैम्बर (वोटर) हो गए । यदि किसी गांव की आबादी 20 हजार हो तो उसका मैम्बर एक हजार वोटरों से बनेगा । इसमें जो रिप्रेजैन्टेशन इमप्रपोर्शनेट आप देना चाहते हैं जैसे ब्लॉक समिति के मैम्बर के लिए दस हजार, जिला परिषद के लिए चालीस हजार संख्या आपने रखी लेकिन मैम्बर पंचायत की जो बात आपने रखनी थी उसे उस प्रपोर्शनेट में आप इस बिल में नहीं रख पाए । हम भी इस बिल को पूरी तरह से नहीं पढ़ पाए । परसों रात को साढ़े ग्यारह बजे हमारे कमरे के बाहर कोई इसको रख गया । हम तो सो गए थे, कल थोड़ा-बहुत हमने पढ़ा । इस बारे में मेरे कुछ सुझाव और हैं जैसे इसकी क्लाज 1 की सब क्लाज 3 है, यह कब ऐप्लीकेबल होगा यह क्लीयर नहीं है आप इसकी डेट तय करिए As soon as the Governor gives his assent, the Bill will become an Act. जब बिल एक्ट हो जाएगा तो उसी टाईम इलैक्शन होने चाहिएं या इसको डेट बाउंड करिए कि 15 जुलाई को इलैक्शन करवाएंगे या 15 मई को करवाएंगे । आपने इसमें यह नहीं किया । यह भी गवर्नमैंट ने अपने हाथ में रख लिया कि हम जब डायरैक्शन देंगे तभी चुनाव होंगे । क्लाज 1 (3) में साफ लिखा हुआ है कि 'it shall come into force on such date as the State Government may, by notification, in the official gazette, appoint' : कानून आप बना रहे हैं, एक प्रक्रिया को आप लागू करने जा रहे हैं तो आप इसका इलैक्शन करवाइए, जिस तरह से आपने म्यूनिसिपल कमेटी के इलैक्शन करवाए थे, उसी तरह से इसमें भी चुनाव करवाइए ताकि इस एक्ट के तहत सबको प्रचलन और प्रक्रिया का हिस्सा मिल सके । क्लाज, 29(1) के बारे में बताना चाहूंगा (विघ्न) उसमें लिखा है कि ग्राम पंचायत के अधिकार के अंदर छोटे पैटी आफिसर जिनको कहा गया है वे होंगे । जैसे पीयन, बेलदार, चौकीदार, कांस्टेबल और इरीगेशन डिपार्टमैंट के जे० ई० वगैरह हैं । पंचायत इनके खिलाफ लिखकर भेज सकती है । परन्तु सिर्फ एक पटवारी को ही 15 दिन का नोटिस देकर आप डायरैक्शन इशू कर सकते हैं कि आप जवाब दो । उसके अलावा मिनी बैंक का मैनेजर है और गांव में कितने आफिस हैं सबको आप टाइम बाउंड नोटिस दें । उनके खिलाफ भी वही प्रक्रिया एडाप्ट की जाए जो एक पटवारी के खिलाफ करने जा रहे हैं । उसके खिलाफ लिखकर भेज सकते हो तो क्यों नहीं इन अधिकारियों के खिलाफ लिखकर भेज सकेंगे । इसके अलावा जैसे क्लाज 31 के बारे में चौधरी बंसीलाल जी ने बताया, मैं भी इस बात के हक में हूं । यह हक चौधरी देवी लाल जी ने किया था कि जो पंचायत गांव में शराब का ठेका न खुलाना चाहे वह एक अप्रैल से 30 सितम्बर तक अपना रैजोल्यूशन भेज सकती है कि हमें शराब का ठेका अपने यहां नहीं खुलवाना है । इसमें लिख दिया कि ठीक है ठेका नहीं खुलेगा । लेकिन साथ यह लिख दिया कि डिप्टी कमिश्नर यह लिखकर दे कि दो साल तक वहां कोई इलीसिट लिकर नहीं बिकेगी, कोई और दूसरा नहीं बेच सकेगा । इसकी कौन तसल्ली कर सकता है ?

[श्री सतबीर सिंह कादयान]

क्या मौजूदा गवर्नमैंट इस बात से आज भी कंविंस है कि जहां ठेका नहीं है क्या वहां शराब नहीं बिकती । पंचायत की जो भावना है और उसे पंचायत के द्वारा सरपंच ने पेश कर दिया उसको मानना चाहिए । इसमें आपने जो प्रोवाइजो लगा दिया है उस प्रोवाइजो को इसमें से हटा दो बाकी इसमें सब ठीक-ठाक है । इसमें जो प्रोवाइजो दिया गया है, वह इस प्रकार है :—

"Provided that if the Excise and Taxation Commissioner is of the opinion for reasons to be recorded in writing that within such local area illicit distillation or smuggling of alcohol has been carried on or connived at, within two years preceding the date of the passing of such resolution in such local area, such resolution shall not be binding upon him, unless the Government orders that it shall be so binding."

मेरा कहना यह है कि इस प्रोवाइजो को आप इसमें से हटा दो तो ठीक रहेगा । इससे उनकी स्वायत्ता बनेगी और लोगों को ज्यादा अधिकार मिलेंगे । क्लाज 91 के के अन्दर प्रोवीजन है कि पंचायत सीमतिड टैक्स लगा सकती हैं । जैसे वह चूल्हा टैक्स लगा सकती है या कहीं पर फेरी वालों पर भी टैक्स लगा सकती हैं । लेकिन जिस गांव के अन्दर इंडस्ट्रीज लग गयी हैं, कारखाने लग गये हैं और फैक्ट्रीज लग गयी हैं, उनके ऊपर टैक्स लगाने का इसमें कोई प्रोवीजन नहीं किया गया है । प्रदूषण तो वे गांव के लोग सहें, उनके धुएं को वे लोग सहें लेकिन इन यूनिट्स को उन पंचायतों के परव्यू में भी नहीं किया गया ताकि वे उनसे टैक्स वसूल कर सकें । इसके अलावा क्लाज 54 में प्रौपर्टी को टैम्पर करने पर पैनल्टी का प्रावधान किया हुआ है । इस बिल के हिसाब से 500 रुपये तक सरपंच पैनल्टी लगा सकता है । यह अधिकार उसको दिया गया है । इससे ज्यादा का अधिकारी उसको होना चाहिये । अगर कोई कीमती जमीन है, उस पर कोई कब्जा करता है तो अगर उस पर केवल 500 रुपये की पैनल्टी लगा दें तो इससे बात बनने वाली नहीं है । दूसरे उस सरपंच को कोर्ट की तरह से सम्मन करने की पावर्ज होनी चाहिये । कम से कम इतना तो होना ही चाहिये ताकि वह किसी को भी सम्मन करके अपनी बात कह कर उसको कन्विन्स कर सके । ऐसा इसमें कोई प्रोवीजन नहीं है कि सरपंच किसी को भी बुला सके और डैमेज या लौस के बारे में बता सके । इतना अधिकार तो उसको होना ही चाहिये । इतनी पावर तो सरपंच को दो ताकि वह किसी को भी गांव में बुला सके वरना कोई उसकी बात को सुनेगा नहीं । वह घर बैठे ही कह देगा कि मैं नहीं आ सकता, लगा ले 500 रुपया जुर्माना । इससे फालतू कुछ कर नहीं सकता । तो मेरा कहना यह है कि उसकी पावर को बढ़ाओ । यह 500 रुपये की पावर तो कुछ भी नहीं है । एक इसमें क्लाज 118 में यह लिखा है, कि एम0एल0ए0 जिला परिषद का मैम्बर नहीं होगा । ब्लाक समिति का तो वह मैम्बर होगा लेकिन जिला परिषद का मैम्बर वह नहीं होगा । ठीक है कि एम0एल0ए0 को ज्यादा राजनीति में नहीं जाना चाहिये लेकिन एम0एल0ए0 का जिसका हल्का है, जिसका एरिया पड़ता है या जिसका भूभाग इसमें पड़ता है, उसको जिला परिषद में बैठने का और

अपने हल्के की मांग रखने का अधिकार तो होना ही चाहिये । इस बारे में इसमें कुछ नहीं है । इसमें सिर्फ एम० पी० का लिखा हुआ है । इसमें जो प्रोवीजन है, वह इस प्रकार से है :—

"the members of the House of people whose constituency lie within the district or part thereof, ex-officio member ; and"

तो मेरा कहना यह है कि अगर इसमें एम० एल० ए० को भी शामिल कर लिया जाये तो कोई बुरी बात नहीं है । यह जो इन्होंने इस एक्ट से जल्दी में बिल लाने की कोशिश की है, उसमें कोई लाभ होने वाला नहीं है । इस बारे में मेरा कहना यह है कि दोबारा से सैशन बुलाकर इस बारे में विस्तार से बहस होनी चाहिये । लम्बी बहस हो । तब इस बारे में हम और भी अच्छे-अच्छे सुझाव देंगे । अभी तक तो हम इसे अच्छी तरह से पढ़ भी नहीं पाये हैं । इसलिये इस बिल को सिलैक्ट कमेटी को भेज दिया जाये ताकि इस पर सही तौर पर अमल हो सके । नहीं तो क्या होगा, बार-बार आपको इसमें अमैंडमैंट्स करनी पड़ेंगी । इसके कान्सीक्वैंसिज आपको भुगतने पड़ेंगे । धन्यवाद ।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ (हांसी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल यहां पर लाया गया है, यह पंचायतों की पावर्ज को बढ़ाने के लिये राजीव गांधी जी के सुझावों के अनुसार लाया गया है । राजीव गांधी जी ने उस वक्त सारी बातों पर सोच-विचार करके इसको पार्लियामैंट से पास करवाया था । लोक सभा ने इसको पास कर दिया । राज्य सभा ने भी इसको पास कर दिया । हमने इस बिल को पढ़ा है । यह बिल बहुत अच्छा बिल है । इस बारे में मैं एक ही सुझाव देना चाहूंगा । जिस तरह से आपने नगर पालिकाओं के एक ही दिन चुनाव कराने का निर्णय लिया है और उसके लिये आप रैजोल्यूशन इस विधान सभा में लाये हैं, उसी तरह से हमारे यहां पर पंचायतों के चुनाव भी एक ही दिन कराने चाहियें । अगर आप एक दिन ही पंचायतों के चुनाव करायेंगे तो यह अच्छा रहेगा और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा । मेरा यही आपको सुझाव है । धन्यवाद ।

चौधरी ओम प्रकाश बेरी (बेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, दि हरियाणा पंचायती राज बिल, 1994 पर इस सदन में चर्चा चल रही है । पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बिल में 218 क्लाज और दो शिड्यूल हैं और इस तरह से यह काफी लम्बा बिल है । कल रात नौ बजे यह हमें मिला है । इसको पढ़ने के लिए काफी समय चाहिए । इतने कम समय में इसको पढ़ना नामुमकिन था । मैं सरकार से कहूंगा कि इसको प्रैस्टिज का इशू न बनाए क्योंकि इसके साथ पूरे हरियाणा की जनता का भविष्य जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके लिए दुबारा सैशन बुलाया जाए जिससे कि हम लोग इस पर पूरी तरह से बहस कर सकें और इसको अच्छी तरह से पढ़ सकें । दूसरी बात यह की जा सकती है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए और उस कमेटी की रिपोर्ट एक महीने के अन्दर देने को कहा जाए । उसके बाद इस पर पूरी बहस हो । लेकिन मेरे ख्याल से सरकार अडिग है कि इसके

[चौधरी ओम प्रकाश बेरी]

लिए न तो दुबारा सैशन बुलाया जाए और न इसको सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने क्लाज 31 के बारे में एक अमैंडमैंट भेजी है। दूसरी बात यह है कि मैंने क्लाज 118 को पढ़ा है और उसमें एम0पी0 को एक्स ओफिशियो मैम्बर बनाने का प्रावधान किया है। उपाध्यक्ष महोदय, एम0एल0ए0 डायरैक्ट तौर पर अपने हल्के के लिए उत्तरदायी होता है। लोगों के प्रति, जो उसके एरिया के हैं जिम्मेदारियां होती हैं। इसमें जहां मैम्बर्ज आफ दि हाउस आफ पीपल हैं उसके आगे यह ऐड होना चाहिए मैम्बर आफ दि लेजिस्लेटिव असैम्बली जो उस हल्के का है वह भी ऐक्स ओफिशियो मैम्बर बनाया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात क्लाज 31 के बारे में कहना चाहता हूं। इसमें जो सब-क्लाज 3 है उसके नीचे एक प्रोवाइजो है। उसके बारे में मैं बता देता हूं। इसमें प्रोहिबीशन यानी मद्य निषेध के बारे में कहा गया है। यह सरकार ऊपर से तो कहती है कि मद्य निषेध होना चाहिए लेकिन वास्तव में यह नहीं चाहती कि प्रदेश के अन्दर मद्य निषेध हो। सरकार जहां चाहेगी, अपनी मन मर्जी से ऐक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर पर दबाव डालकर और लोगों की इच्छा के खिलाफ ठेके खोल सकती है। इस किस्म का प्रोवीजन इस बिल के अन्दर नहीं होना चाहिए। यह जो प्रोवाइजो दिया गया है इसको विदड्रा करना चाहिए। यह क्यों दिया गया है, वह मैं बताना चाहता हूं। इसमें लिखा है—

> "Provided that if the Excise and Taxation Commissioner is of the opinion for reasons to be recorded in writing that within such local area illicit distillation or smuggling of alcohol has been carried on or connived at within two years preceding the date of passing of such resolution in such local area....."

इन्होंने इसमें कह दिया है कि पिछले दो साल में इलीसिट डिस्टीलेशन या अलकोहल की समगलिंग हो रही है तो पंचायत के रेजोल्यूशन की वाइंडिंग नहीं होगी। कल को यह बात आ जाएगी कि वहां के दो चार आदमी समगलिंग में इंवाल्व हैं इसलिए वहां पर शराब का ठेका खुल जाना चाहिए। वहां पर दो चार आदमी इलीसिट डिस्टीलेशन में इंवाल्व हैं इसलिए यहां पर शराब का ठेका खुलना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि ठेका खोलने की बजाए आपको उन दो चार आदमियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए। कुछ गिनती के लोगों की वजह से सारे गांव को दंडित क्यों किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, कल को यह बात आ जाएगी कि कुछ लोग अफीम का धन्धा करते हैं इसलिए अफीम भी बिकनी चाहिए या दो चार लोग स्मैक का इस्तेमाल करते हैं इसलिए स्मैक का बिजनैस भी शुरू होना चाहिए। स्मैक का भी ठेका होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, यह गलत परिपाटी है। उपाध्यक्ष महोदय, हम सब लोग महात्मा गांधी का आदर करते हैं। उन्होंने पूर्ण शराबबन्दी के लिए कहा और इसीलिए कांस्टीट्यूशन में आर्टिकल 47 ऐड किया गया जिसके अनुसार पूरे देश में शराबबन्दी होगी, पूरी तरह से प्रोहिबीशन की जाएगी। कहा यह गया था कि यह सरकार आहिस्ता-आहिस्ता प्रोहिबीशन करेगी लेकिन हो इसके उलट रहा

है। एक तरफ तो सरकार प्रोहिबीशन की बात करती है और दूसरी तरफ शराब बेचने का प्रोवाइजो ऐड किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो क्लाज 31 में प्रोवाइजो है, यह डिलीट होना चाहिए वरना पंचायत द्वारा रेजोल्यूशन पास करने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि इस के अनुसार उस रेजोल्यूशन को ऐक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर वापिस कर सकता है और कैन्सिल कर सकता है।

इसी तरह मैं आगे यह कहना चाहता हूं कि ब्यूरोक्रेसी को बड़ी भारी पावर्ज दी जा रही हैं। जिस तरह से क्लाज 24, 25 और 27 हैं उनके मुताबिक ग्राम पंचायतों को ऐनक्रोचमैंट के बारे में या कहीं गन्दगी वगैरह हो रही हो, के बारे में एक्शन लेने का अधिकार दिया गया है। और भी इस तरह के बहुत से अधिकार दिये गये हैं। इनकी अपील जो लाई करेगी वह डायरैक्टर पंचायत के पास ही लाई करेगी, यह बहुत गल्त प्रोवीजन है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत के फैसले की अपील सिविल कोर्टस में होनी चाहिये ताकि इंसाफ ठीक ढंग से होता रहे। अगर डायरैक्टर पंचायत को ये पावर्ज दे दी गई तो उनके ऊपर दबाव पड़ने पर फिर इंटरफियरैंस होगा। इसलिये ब्यूरोक्रेसी को इतनी बड़ी पावर्ज नहीं दी जानी चाहियें। अगर इसको वे सिविल कोर्ट में न भेजना चाहें तो फिर हर जिला स्तर पर या स्टेट लैवल पर एक ट्रिब्यूनल गठित किया जाए ताकि अपीलें वहां पर जाएं और इन्साफ सही तरीके से हो। जो ट्रिब्यूनल गठित हो उसका चेयरमैन हाई कोर्ट का जज हो और डायरैक्टर पंचायत को भी चाहे उसमें शामिल कर लें। लोकल बाडीज का, पंचायत का, म्यूनिसिपल कमेटी का एक ट्रिब्यूनल आप बना दें तो उसमें डायरैक्टर लोकल बाडीज को भी शामिल कर लें और साथ में उसमें दो आदमी पब्लिक के भी शामिल हो जाएं ताकि पूरी तहकीकात करने के बाद पूरा इन्साफ लोगों को दिलवाया जा सके। अकेले ब्यूरोक्रेसी पर निर्भर करना मेरे ख्याल में यह सरकार का तरीका ठीक नहीं है और इस पर दोबारा सरकार को विचार करना चाहिये।

इसी तरह से क्लाज 51 जो है वह सस्पैन्शन आफ दा मैम्बर पंचायत के सम्बन्ध में है, यह बिल्कुल गल्त बात है।

सस्पैन्शन की बजाये मेरे विचार में रिमूवल की जो क्लाज है, वह रहनी चाहिये और मौरल टरपीच्यूड के आधार पर रिमूवल हो। सस्पैन्शन का कायदा न तो असैम्बली में है, न ही लोक सभा में है और न ही राज्यसभा में है। एक तरफ तो आप यह चाहते हैं कि पूरे देश में एक अच्छा पंचायती राज बने और दूसरी तरफ हम इलैक्टिड मैम्बर्ज को सस्पैन्ड करने के अख्तियारात दे रहे हैं। यह बिल्कुल गल्त प्रथा होगी। सस्पैन्ड करने की बजाये पूरी तरह से इंक्वायरी करके, उसके बाद उसकी रिमूवल का प्रोवीजन होना चाहिये। सस्पैन्शन का कोई प्रोवीजन नहीं होना चाहियें। ग्राम पंचायत का मैम्बर एक इलैक्टिड मैम्बर है, वह कोई गवर्नमैंट एम्पलाई तो है नहीं कि उठाकर उसको सस्पैन्ड कर दिया। लोगों के ऊपर इसका उत्तरदायित्व है।

[चौधरी ओम प्रकाश बेरी]

इस कारण से वह जो सस्पैन्शन की क्लाज है वह कतई तौर पर डिलीट होनी चाहिये। ये जो दो तीन सुझाव मैंने यहां पर दिये हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार इन सुझावों पर बड़ी अच्छी तरह से विचार करेगी और इसको अमली जामा पहनाया जाना भी चाहिये।

प्रो० राम बिलास शर्मा (महेन्द्रगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस हाउस में जो प्रस्ताव आया है, उस पर अपने विचार रखना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो मुख्य मन्त्री महोदय ने नगरपालिका के बिल पर बोलते हुए साफ कह दिया था कि यह राजीव गांधी जी की इच्छा थी। कांग्रेस सरकार इसको औपचारिकता के तौर पर, रस्म अदायगी के लिये पंचायत राज बिल लाकर करना चाहती है क्योंकि इसको केन्द्र ने पास कर दिया है। जो नगरपालिकाओं का बिल था, उसके बारे में अभी शाबा साहब ने कहा कि हमारे पास कोई और चारा नहीं था। हम इसी तरह से इस पंचायती राज बिल के बारे में यहां पर रस्म अदायगी करना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, एक राजनैतिक प्रचार यह हो रहा है कि कांग्रेस गांव में रहने वाले आदमी को और ज्यादा अधिकार देना चाहती है ताकि वह सुख सुविधा से रह सके। उसकी सुख-सुविधाओं को सरकार और बढ़ाना चाहती है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप भी गांव खटोली के रहने वाले हैं और हम भी गांव के रहने वाले हैं और राजनीति में भी कई वर्षों से हैं। किस तरह का प्रावधान राव बंसी सिंह जी यहां पर लेकर के आए हैं ? मेरे ख्याल में जैसे केन्द्र ने इसको भेजा है, उसी तरह से उन्होंने यहां पर रख दिया। एक ही काम उन्होंने इस बारे में अच्छा किया है वह यह है कि पंचायत गठित करने के लिए पहले जो 2000 की संख्या थी, उसको घटाकर 500 कर दिया है। हरियाणा के गांव के अन्दर एक आतंक, अफरा-तफरी मची हुई है कि जो छोटी पंचायतें हैं उनको तोड़ दिया जाएगा और पांच-पांच, छः छः पंचायतों को लेकर के एक बड़ी पंचायत बना दी जाएगी। इसका जो उद्देश्य इन्होंने बताया है, उसमें उन्होंने कहा है कि ऐसे प्रावधान तो पहले भी थे परन्तु क्योंकि चार चार पंचायतों को भंग कर दिया जाता है, समय पर चुनाव न होना इस कारण से यह बिल यहां पर लाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, कई बातें बहनों के लिये भी कही जाती रही हैं, इसमें 30 परसैन्ट रिजर्वेशन उनके लिये रखा है। ठीक है रिजर्वेशन होनी चाहिये लेकिन बहनों का जो समाज में अनुपात है, वह 50 परसैन्ट है। यदि उनको खुश करने की बात है तो यह 50 परसैन्ट होनी चाहिये। इस मामले में हम व्यवहारिक नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, आज कितनी पंचायतें ऐसी हैं जिनमें महिला पंच हों। उनको किस तरह से बनाया जाता है कि फलाने की घर वाली दस्तखत करना जानती है, उसको मैम्बर बना दो। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से उन बेचारियों के घर खराब करने वाली बात है। मैं चाहता हूं कि बहिनों की रिजर्वेशन होनी चाहिए और उनका मान सम्मान

बढ़ना चाहिए । इनको पंचायतों और गांवों के विकास में भागीदार होना चाहिए । सैद्धांतिक रूप में यह बात बहुत अच्छी लगती है लेकिन आज जितनी पंचायतें हैं उनमें कितनी महिलाएं सरपंच हैं । जो कहीं चुन कर आ भी गईं तो फिर उनमें से कितनी ठीक ढंग से काम करने जा रही हैं । एक इसमें यह बात कह दी गई कि जिसके दो से ज्यादा बच्चे होंगे वह अगले साल के बाद पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता । यह जनसंख्या को रोकने के लिए बहुत अच्छी बात लगती है और जो कम बच्चे पैदा करते हैं उनको प्रोत्साहन मिल जाएगा । लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा करके ये एक पूरी पीढ़ी को पंचायत के चुनाव से वंचित करने की साजिश है । हम लोग जो गांवों में पैदा हुए तो हम अपने माता पिता के 8-9 भाई बहिन हैं । कुछ लोग होंगे जो दो दो भाई बहिन हैं । परन्तु हरियाणा के अन्दर 50 साल का कोई आदमी ऐसा नहीं हो सकता जिसके दो बच्चों से ज्यादा बच्चे नहीं हैं । इस तरह से मेरे भाई इलियास जी और अजमत खां जैसे तो मेवात में पंच या सरपंच का भी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे । तो ये कैसा प्रावधान ला रहे हैं । किस तरह से हवाई बातें कर रहे हैं । मैं मानता हूं कि राजीव गांधी जी महिलाओं को रिप्रजैंटेशन देना चाहते थे और आबादी पर रोक लगाना चाहते थे लेकिन जब कोई कानून बनता है तो आस पास की व्यवहारिक बातों को देख कर बनाना चाहिए ।

चौधरी अजमत खां : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है । मेरे दोस्त ने एक बात कही है कि इसका दर्द मेवात वालों को लगेगा । मैं कहता हूं कि हमारे से पहले यह दर्द इनको लगेगा । हम और आप देहात से निकल कर आए हैं । वहां पर ज्यादा बच्चे होते हैं । मेरे भाई यह न सोचें कि ज्यादा बच्चे केवल मेवात के मुसलमान ही पैदा करते हैं, बच्चे आपने भी पैदा किए हैं ।

प्रो० राम विलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो प्रकृति का नियम है । भाई अजमत खां ने तसलीम किया है कि मेवात में हिन्दुओं से ज्यादा बच्चे मुसलमान पैदा करते हैं । (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहब ने भी यह बात सुनी होगी (हंसी) ये मेरी बात से सहमति जाहिर करते हैं कि इसलाम इस बात की इजाजत देता है लेकिन हमारे यहां रामायण इस बात की इजाजत नहीं देती कि बच्चे ज्यादा पैदा करो । तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इस पंचायती राज बिल पर बात कहना चाहता हूं कि ये जो कुछ अव्यवहारिक क्लाजें इसमें जोड़ दी हैं, इनका बड़ा भारी प्रचार हो रहा है और बड़ी भारी सरकारी तन्त्र से बसरत करवाई गई है । इसमें यह हुआ है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया । अखबारों और टी० वी० पर प्रचार हो रहा है कि पंचायतों को अधिकार मिलेंगे । लेकिन इसमें एक भी क्लाज इस तरह की नहीं जोड़ पाए । अधिकार देने का मतलब होता है पंचायतों को आर्थिक अधिकार देना । इसमें एक बात जरूर है कि ऐज प्रोवाइडिड रिप्रैजैंटेशन टू शिड्यूल्ड कास्टस, ऐज प्रोवाइडिड रिप्रैजैंटेशन टू वोमन आदि आदि । थ्री टायर सिस्टम केवल कागजों में दिखा दिया है । थ्री टायर सिस्टम में पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद

[श्री० राम बिलास शर्मा]

होती हैं । इसमें केवल एक बात अतिरिक्त है कि इसमें महिलाओं की रिजर्वेशन है । जो व्यवहारिक पक्ष है उसको ध्यान में रखा है । बैकवर्ड क्लास का एक नुमायंदा हर पंचायत में होगा यह बहुत अच्छी बात है । गांव की आबादी के हिसाब से हरिजन जाति का भी नुमायंदा होगा यह भी अच्छी बात है । उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि सरकार ने कहा था कि हम पंचायतों को अधिकार देना चाहते हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि यदि सरकार पंचायतों को कोई अधिकार देना चाहती है तो जिले के जो फण्डज हैं, प्रदेश के जो फण्डज हैं उनमें से पंचायतों को कुछ पैसा देने के लिए स्टैच्यूटरी प्रोविजन करते । जिन पंचायतों के पास पंचायती फार्म नहीं हैं, जिन पंचायतों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और जिन पंचायतों के पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है ऐसी पंचायतों को जिला परिषद या जिला के अमलगामेट फण्ड से निश्चित रूप से यह प्रावधान करते कि इतनी राशि उन पंचायतों को दी जाएगी । अगर सरकार इस तरह का कोई प्रावधान करती तो गांव का हर आदमी यह समझता कि सरकार पंचायतों को कुछ अधिकार दे रही है । उपाध्यक्ष महोदय, आज कांग्रेस पार्टी की सरकार की मैजोरिटी है इसलिए यह बिल पास हो जाएगा । इनको यह बिल पास करना है क्योंकि इनकी भी अपनी मजबूरी है । लेकिन इस बिल के पास होने से कम्पलीकेशंज बढ़ जाएंगी, गांवों में झगड़े बढ़ेंगे । जो सरकारी तंत्र है बी० डी० ओ० और डी० सी० वगैरह, पंचायतों के चुने हुए नुमायंदो को उनके रहमोकरम पर छोड़ दिया गया है ।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन्टरवीन करना चाहूंगा क्योंकि कुछ माननीय सदस्यों ने इस बिल के बारे में थोड़ी सी आपत्ति जाहिर की है । उपाध्यक्ष महोदय, या तो उन माननीय सदस्यों ने इस बिल को अच्छी तरह से पढ़ा नहीं या वे इसकी तह में नहीं गए । उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल बहुत ही शानदार बिल है और देश में सबसे पहले हरियाणा प्रदेश इसको लागू करने जा रहा है । आज हमारे बीच में राजीव गांधी जी नहीं हैं । उन्होंने इस बारे में बहुत गहराई से अध्ययन किया था और उन्होंने इसके बारे में नार्दन इंडिया और साउथ में सम्मेलन किए थे । उन्होंने पंचायतों के मैम्बर्ज, पंचायत समितियों के चेयरमैनों, जिला परिषदों, म्यूनिसिपल कमेटियों, महिलाओं और हरिजनों के अलग अलग सम्मेलन करके उनकी एक एक बात को सुन करके बाकायदा उनकी कमेटी बनाई और उनके जो जो सुझाव आए उन सुझावों पर बहुत गहराई के साथ विचार किया गया । उपाध्यक्ष महोदय, उस समय मैं आपकी मेहरबानी से कृषि मंत्री था और इत्तफाक से यह महकमा मेरे पास था और इस बिल को पार्लियामैंट में पेश करने का मौका मुझे ही मिला था । उस समय पार्लियामैंट में सभी मैम्बर्ज साहेबान ने चाहे वे अपोजिशन के थे इसकी बड़ी तारीफ की थी । पार्लियामैंट में यह बिल पास हो गया लेकिन राज्य सभा में यह बिल दो वोटों से हार गया क्योंकि राज्य सभा में हमारी पार्टी की मैजोरिटी नहीं थी । इस बिल की बड़ी भारी प्रसंशा हुई । उसके बाद दूसरी सरकारें

आई, उन सरकारों ने भी इस बिल को चेंज नहीं किया । जैसा हमने बनाया था वही बिल है । यह लोक सभा और राज्य सभा दोनों ने पास कर दिया है और हमारे से इसकी रैटीफिकेशन पहले ही हो चुकी है । इसमें कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं है । यह बहुत ही शानदार बिल है । इसकी सभी महानुभावों को तारीफ करनी चाहिए । चौधरी बंसी लाल जी इस बिल के बारे में बोले थे अब वे हाउस में नहीं बैठे हैं । अगर हाउस में होते तो मैं उनको उनकी बातों का जवाब देता । उन्होंने एक बात यह कह दी कि सरपंचों को सस्पैंड कर देते हैं और कह दिया कि बहुत से सरपंच सस्पैंड किए हुए हैं । आज की सरकार कोई गलत काम नहीं करती । यदि किसी सरपंच की शिकायत होती है तो पहले उसकी जांच की जाती है, उसकी इन्क्वायरी की जाती है । अगर इन्क्वायरी में कोई सरपंच दोषी पाया जाए तो उसको सस्पैंड किया जाता है । यदि बिना इन्क्वायरी किए किसी सरपंच को सस्पैंड कर दें तो ऊपर हाई कोर्ट बैठी है और हाई कोर्ट एक सैकिंड में स्टे दे देती है जिससे सरकार की बदनामी होती है । सरकार ऐसा कोई गलत काम नहीं करती जिससे उसकी बदनामी हो । (विघ्न)

प्रो० छतर सिंह चौहान : आन ए प्वायंट आफ आर्डर । मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि ये सरपंच या पंच की सस्पेंशन किस प्रकार से रोकेंगे ।

चौधरी भजन लाल : बाकायदा इन्क्वायरी करके हम कोई अगला कदम उठाएंगे । अगर कहीं पर किसी संस्था को सुपरसीड करेंगे तो वहां पर अगले छः महीनों में फिर चुनाव करवा देंगे ।

प्रो० छतर सिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि सरपंच या पंच कोई नौकर नहीं है । वह भी हमारी ही तरह जनता का चुना हुआ नुमाइंदा है । जिस तरह से एम० एल० ए० या एम० पी० जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको कोई नहीं हटा सकता उसी प्रकार से इनको भी नहीं हटाना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है ।

चौधरी भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत को ज्यादा से ज्यादा अधिकार देने के लिए यह नया कानून बना रहे हैं ताकि पंचायतों को विकास के अधिक अधिकार दिए जा सकें । सारी विकास की योजनाएं बजाए चण्डीगढ़ में बनने के वे खुद बनाएं और उस पर काम करें । गांव की जो तकलीफ होती है, उसको गांव के पंच सरपंच अधिक जानते हैं । इसीलिए उनको ज्यादा अधिकार देने का प्रावधान इस बिल में किया गया है । उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर एक बात कह दी कि कर्नाटक, तमिलनाडू जैसी पावर पंचायतों को होनी चाहिए । मैं बताना चाहता हूं कि सारे देश के अन्दर एक जैसा कानून बनने जा रहा है कहीं भी कम या ज्यादा नहीं होने जा रहा । शर्मा जी ने एक बात कह दी कि जिनके दो बच्चों से ज्यादा होंगे वे चुनाव नहीं लड़

[चौधरी भजन लाल]

सकेंगे । इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से यह कानून लागू होगा उसके एक साल बाद से जिस व्यक्ति के दो से ज्यादा बच्चे पैदा होंगे तब वह चुनाव नहीं लड़ सकेगा । इसलिए इस कानून के लागू होने तक आप चाहे जितने मर्जी बच्चे पैदा कर लें ।

श्री० राम बिलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, पता नहीं सी०एम० साहब कहां से पढ़ कर बता रहे हैं । हो सकता है कि इनके पास दूसरा बिल हो लेकिन हमारे पास जो बिल है उसमें (ङ) में लिखा है कि ऐसे व्यक्तियों जिनके, यह अधिनियम लागू होने की तिथि से एक वर्ष के पश्चात् दो जीवित बच्चों से अधिक हों को प्रत्येक स्तर की पंचायत के चुनाव के लिए अयोग्य घोषित करना । अब पता नहीं सी०एम० साहब कहां से पढ़ रहे हैं ।

चौधरी भजन लाल : कब से, एक साल बाद । यानि कानून के लागू होने के एक साल बाद जिस व्यक्ति के बच्चे पैदा होंगे और दो से ज्यादा बच्चे जीवित होंगे उस पर पाबंदी होगी । इस समय के बच्चों पर यह पाबंदी नहीं है । (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) दूसरे ये 500 की आबादी की बात करते हैं । अध्यक्ष महोदय, जो पंचायतें बनी हुई हैं उनमें कुछ पंचायतें 500 की आबादी पर बनी हुई हैं, हमने उन पंचायतों को ज्यों का त्यों रखा है । अगर ऐसा न रखते तो सारी पंचायतें जो ऐसी हैं वे टूट जाती, उसकी इन्होंने तारीफ की उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया । जहां तक पैसे का ताल्लुक है, उसके लिए पंचायतों को बाकायदा ग्रान्ट मिलेगी । फाईनैंस कमिशन देख कर फैसला करेगा और उसके मुताबिक बाकायदा उसको ग्रान्ट मिलेगी ताकि पंचायतें ठीक तरीके से काम कर सकें । महिलाओं की भागीदारी के बारे में इन्होंने कह दिया कि 50% होनी चाहिए, महिलाएं 30% क्यों । पहले 30% तो होने दीजिए (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात इन्होंने यह कह दी कि मैम्बर्ज कैसे होंगे। इसमें कम से कम 6 मैम्बर्ज और अधिक से अधिक 20 मैम्बर्ज होंगे । चौधरी बंसी लाल जी ने कहा कि सरपंचों के चुनाव डायरैक्ट नहीं होने चाहिएं । अगर चुनाव डायरैक्ट नहीं होंगे तो स्पीकर साहब, मुश्किल होगी । एक सरपंच अगर पंचों में से बनता है और किसी पंचायत के सात मैम्बर्ज हैं तो एक सरपंच बन जाने से छः मैम्बर्ज रह गए । उन छः मैम्बरों में से जिस दिन 4 एक तरफ हो गए उसी दिन सरपंच बदलेगा और कोई काम होने का सवाल ही नहीं । इसलिए जब तक सरपंच टिकाऊ नहीं होगा वह काम क्या करेगा । इसलिए सरपंच के डायरैक्ट चुनाव का प्रावधान हमने किया है । जो वार्ड बनेंगे बाकायदा पूरे गांव में बनेंगे और जो पंच बनेंगे पूरे गांव की आबादी के बनेंगे । उसी तरह से वार्ड बनेंगे जैसे जिला परिषद के हैं, नहीं तो क्या होता है कि पंचायत समिति का मैम्बर सारे हल्के से वोट ले कर बनता है और एक एम०एल०ए० से ज्यादा उसका खर्च हो जाता है । आबादी के हिसाब से 4 हजार की आबादी पर

मैम्बर बनेगा और कोई प्रोब्लम नहीं होगी तथा खर्चा भी थोड़ा होगा । इसके साथ ही सारे इलाके को नुमाइन्दगी मिलेगी । नहीं तो क्या होता है कि एक गांव के तो 6 मैम्बर्ज बन जाते हैं और 10 गांवों से एक भी मैम्बर नहीं बन पाता है । इसलिए वार्ड बनाए गए हैं ताकि नुमाइंदगी का मौका सभी को मिले । जो वार्ड बनाए गए हैं उनसे खर्च भी कम होगा । अध्यक्ष महोदय, यह बात बिल्कुल वजनदार है कि पंचायत समितिज की मीटिंग में एम0 एल0 ए0 बाकायदा बैठेगा और उसको वोट देने का अधिकार होगा लेकिन जिला परिषद में उसको अधिकार नहीं होगा । अध्यक्ष महोदय, हम इस बारे में अभी इस बात की अमैंडमैंट ला रहे हैं कि एम0 एल0 ए0 जिला परिषद का भी मैम्बर माना जाएगा और वह जिला परिषद की मीटिंग में जाएगा । एम0 एल0 ए0 और एम0 पी0 जिला परिषदों और पंचायत समितियों में दोनों जगहों पर तसव्वर किए जाएंगे, यह अमैंडमैंट भी अभी आपके सामने हम ला रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, जो मोटी-मोटी बात थी उसका जवाब मैंने दे दिया है । यह बिल बहुत ही सुन्दर बना है सभी महानुभावों को इसकी इज्जत और कद्र करनी चाहिए ताकि 80 फीसदी आबादी जो गांवों में बसती है उनको अधिकार दिया जा सके । इससे गांवों का विकास होगा । जब गांवों का विकास होगा तभी देश का विकास होगा । हम चाहते हैं कि गांवों का विकास पंचायतों के द्वारा हो ताकि हमारा देश और भी आगे बढ़ सके । अध्यक्ष महोदय, इतनी ही बात मैं कहना चाहता हूं । जो मोटी-मोटी बात मैंने कहनी थी वह कह दी है ।

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Panchayati Raj Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

विकास तथा पंचायत मन्त्री (राव बंसी सिंह) : स्पीकर साहब, मैं कुछ क्लाजिज पर अमैंडमैंटस प्रस्तुत करने की इजाजत चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : क्या हाउस सहमत है कि अमैंडमैंटस प्रस्तुत कर दी जाएं ।

आवाजें : ठीक है जी, कर दें ।

श्री अध्यक्ष : अब मन्त्री जी अमैंडमैंटस प्रस्तुत करेंगे ।

Development and Panchayats Minister (Rao Bansi Singh) : Sir, I beg to present—

1. That in the Haryana Panchayati Raj Bill, 1994 (hereinafter called the said Bill), in sub-clause (xxxiii) of clause 2 for the words "Nagar Panchayat", the words Municipal Committee' shall be substituted.

2. That in clause 12 of the said Bill, for the words "shall peform", the words "shall exercise and perform" shall be substituted.

3. That the sub-clause (6) of clause 18 of the said Bill, for the words "Block Development Officer", the words "Block Development and Panchayat Officer" shall be substituted.

[Rao Bansi Singh]

4. That in item (a) of sub-clause (1) of Clause 51 of the said Bill, for the words" Director", the words "Director or Deputy Commissioner concerned" shall be substituted.

5. That in sub-clause (4) of clause 59 of the said Bill, for the words "The offices of Chairman in the Panchayat Samitis" the words "The offices of Chairman in the Panchayat Samitis in a district" shall be substituted.

6. That in sub-clause (2) of clause 63 of the said Bill for the words and sign "Government", the words and sign "competent authority" shall be substituted.

7. That in the proposed clause 118(1)(c), after the words "House of People" and before the words, "whose constituency", the words "Haryana Legislative Assembly" be inserted.

8. That in sub-clause (2) of clause 120 of the said Bill, for the word "towards", the words "to wards" shall be substituted.

9. That in sub-clause (2) of clause 123 of the said Bill for the figures "118", the figures "121" shall be substituted.

10. That in item (a) of sub-clause (1) of clause 160 of the said Bill, for the words "involves him", the word "involve" shall be substituted.

11. That in sub-clause (2)of clause 203 of the said Bill, the words and figures "and powers under section 51 of this Act" occurring in the end shall be omitted.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Sub-Clauses (2) & (3) of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That sub-clauses (2) & (3) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2

Mr. Speaker : I have received a notice of amendment to this clause from Development and Panchayat Minister. He may please move the amendment.

Development and Panchayat Minister (Rao Bansi Singh) : Sir, I beg to move—

That in Sub-clause (xxxiii) of clause 2 of the Haryana Panchayati Rai Bill, 1994 (hereinafter called the said Bill), for the words "Nagar Panchayat", the words "Municipal Committee" shall be substituted.

Mr. Speaker : Motion moved—

That in sub-clause (xxxiii) of clause 2 of the Haryana Panchayati Raj Bill, 1994 (hereinafter called the said Bill), for the words "Nagar Panchayat", the words "Municipal Committee" shall be substituted.

Mr. Speaker : Question is—

That in sub-clause (xxxiii) of clause 2 of the Haryana Panchayati Raj Bill, 1994 (hereinafter called the said Bill), for the words "Nagar Panchayat", the words "Municipal Committee" shall be substituted.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That clause 2, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 3 to 11

Mr. Speaker : Question is—

That clauses 3 to 11 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 12

Mr. Speaker : I have received a notice of amendment to this clause from Development and Panchayat Minister. He may please move the amendment.

Development and Panchayat Minister (Rao Bansi Singh) : Sir, I beg to move—

That in clause 12 of the said Bill, for the words "shall perform", the words "shall exercise and perform" shall be substituted.

Mr. Speaker : Motion moved—

That in clause 12 of the said Bill, for the words "shall perform," the words "shall exercise and perform" shall be substituted.

Mr. Speaker : Question is—

That in clause 12 of the said Bill, for the words "shall perform", the words "shall exercise and perform" shall be substituted.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That clause 12, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 13 to 17

Mr. Speaker : Question is—

That clauses 13 to 17 stand Part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 18

Mr. Speaker : I have received a notice of amendment to this clause from Development and Panchayat Minister. He may please move the amendment.

Development and Panchayat Minister (Rao Bansi Singh) : Sir, I beg to move—

That in sub-clause (6) of clause 18 of the said Bill for the words "Block Development Officer", the words "Block Development and Panchayat Officer" shall be substituted.

Mr. Speaker : Motion moved—

That in sub-clause (6) of clause 18 of the said Bill for the words "Block Development Officer", the words "Block Development and Panchayat Officer" shall be substituted.

Mr. Speaker : Question is—

That in sub-clause (6) of clause 18 of the said Bill for the words "Block Development Officer", the words "Block Development and Panchayat Officer" shall be substituted.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That clause 18, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 19 and 20

Mr. Speaker : Question is—

That clauses 19 and 20 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 21 to 30

Mr. Speaker : Question is—

That clauses 21 to 30 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 31

Mr. Speaker : I have received a notice of amendment to this clause from Sarvshri Bansi Lal, Chhattar Singh Chauhan, Karan Singh Dalal and Om Parkash Beri, members from the Opposition Benches. Now, Shri Chhattar Singh Chauhan may move the amendment.

Prof. Chhattar Singh Chauhan : Sir, I beg to move—

(1) That in the proposed clause 31, the sub-clause (3) and proviso thereunder be deleted.

(2) That the proviso in clause 31 giving over riding powers to the Excise and Taxation Officer be deleted.

Mr. Speaker : Motion moved—

(1) That in the proposed clause 31, the sub-clause (3) and proviso thereunder be deleted.

(2) That the proviso in clause 31 giving over riding powers to the Excise and Taxation Officer be deleted.

Mr. Speaker : Question is—

(1) That in the proposed clause 31, the sub-clause (3) and proviso thereunder be deleted.

(2) That the proviso in clause 31 giving over riding powers to the Excise and Taxation Officer be deleted.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That clause 31 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 32 to 50

Mr. Speaker : Question is—

That clauses 32 to 50 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 51

Mr. Speaker : I have received a notice of amendment to this clause from Sarvshri Bansi Lal and Chhattar Singh Chauhan, members from the Opposition Benches. Now, Shri Chhattar Singh Chauhan may move the amendment.

Prof. Chhattar Singh Chauhan : Sir, I beg to move—

That in the proposed clause 51, the sub-clauses (1) (2) and proviso thereunder be deleted.

Mr. Speaker : Motion moved—

That in the proposed clause 51, the sub-clauses (1), (2) and proviso thereunder be deleted.

Mr. Speaker : Question is—

That in the proposed clause 51, the sub-clauses (1), (2) and proviso thereunder be deleted.

The motion was lost.

Mr. Speaker : I have also received a notice of amendment to this clause from Development and Panchayat Minister. He may please move the amendment.

Development and Panchayat Minister (Rao Bansi Singh) : Sir, I beg to move—

That in item (a) of sub-clause (1) of clause 51 of the said Bill, for the word "Director", the words "Director or Deputy Commissioner concerned" shall be substituted.

Mr. Speaker : Motion moved—

That in item (a) of sub-clause (1) of clause 51 of the said Bill, for the word "Director", the words "Director or Deputy Commissioner concerned" shall be substituted.

Mr. Speaker : Question is—

That in item (a) of sub-clause (1) of clause 51 of the said Bill, for the word "Director", the words "Director or Deputy Commissioner concerned" shall be substituted.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That clause 51, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 52 to 58

Mr. Speaker : Question is—

That clauses 52 to 58 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 59

Mr. Speaker : I have received a notice of amendment to this clause from the Development and Panchayat Minister. He may please move the amendment—

Development and Panchayat Minister (Rao Bansi Singh) : Sir, I beg to move—

That in sub-clause (4) of clause 59 of the said Bill, for the words "The offices of Chairman in the Panchayat Samitis", the words "The offices of Chairman in the Panchayat Samitis in a district" shall be substituted.

Mr. Speaker : Motion moved—

That in sub-clause (4) of clause 59 of the said Bill, for the words "The offices of Chairman in the Panchayat Samitis", the words "The offices of Chairman in the Panchayat Samitis in a district" shall be substituted.

Mr. Speaker : Question is—

That in sub-clause (4) of clause 59 of the said Bill, for the words "The offices of Chairman in the Panchayat Samitis", the words "The offices of Chairman in the Panchayat Samitis in a district.." shall be substituted.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That clause 59, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 60 to 62

Mr. Speaker : Question is—

That clauses 60 to 62 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 63

Mr. Speaker : I have received a notice of amendment to this clause from Development and Panchayat Minister. He may please move the amendment.

Development and Panchayat Minister (Rao Bansi Singh) : Sir, I beg to move—

That in sub-clause (2) of clause 63 of the said Bill, for the words and sign "Government", the words and sign "Competent authority" shall be substituted.

Mr. Speaker : Motion moved—

That in sub-clause (2) of clause 63 of the said Bill, for the words and sign "Government", the words and sign "Competent authority" shall be substituted.

Mr. Speaker : Question is—

That in sub-clause (2) of clause 63 of the said Bill, for the words and sign "Government", the words and sign "Competent authority" shall be substituted.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That clause 63, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 64 to 117

Mr. Speaker : Question is—

That clauses 64 to 117 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 118

Mr. Speaker : I have received a notice of amendment to this clause from Development and Panchayat Minister. He may please move the amendment.

Development and Panchayat Minister (Rao Bansi Singh) : Sir, I beg to move—

That in the proposed clause 118 (1)(c), after the words "House of people" and before the words "whose constituency", the words "Haryana Legislative Assembly" be inserted.

Mr. Speaker : Motion moved—

That in the proposed clause 118(1)(c), after the words "House of people" and before the words "whose constituency", the words "Haryana Legislative Assembly" be inserted.

Mr. Speaker : Question is—

That in the proposed clause 118(1)(c), after the words "House of people", and before the words "whose constituency", the words "Haryana Legislative Assembly"be inserted.

The motion was carried.

Mr Speaker : Question is—

That clause 118, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 119

Mr. Speaker : Question is—

That clause 119 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 120

Mr. Speaker : I have received a notice of amendm nt to this clause from Development and Panchayat Minister. He may pleas move the amendment.

Development and Panchayat Minister (Rao Bansi Singh) : Sir, I beg to move—

That in sub-clause (2) of clause 120 of the said Bill for the word "towards", the words "to wards" shall be substituted.

Mr. Speaker : Motion moved—

That in sub-clause (2), of clause 120 of the said Bill, for the word "towards", the words "to wards" shall be substituted.

Mr. Speaker : Question is—

That in sub-clause (2) of clause 120 of the said Bill, for the word "towards", the words "to wards" shall be substituted.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That clause 120, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 121 & 122

Mr. Speaker : Question is—

That clauses 121 & 122 stand part of the Bill.

The motion as carried.

Clause 123

Mr. Speaker : I have received a notice of amendment to this clause from Development and Panchayats Minister. He may please move the amendment.

Development and Panchayat Minister (Rao Bansi Singh) : Sir, I beg to move—

That in sub-clause (2) of clause 123 of the said Bill, for the figures "118" the figures "121" shall be substituted.

Mr. Speaker : Motion moved—

That in sub-clause (2) of clause 123 of the said Bill for the figures "118" the figures "121" shall be substituted.

Mr. Speaker : Question is—

That in sub-clause (2) of clause 123 of the said Bill for the figures "118" the figures "121" shall be substituted.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That clause 123, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 124 to 159

Mr. Speaker : Question is—

That clauses 124 to 159 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 160

Mr. Speaker : I have received a notice of amendment to this clause from Development and Panchayats Minister. He may please move the amendment.

Development and Panchayat Minister (Rao Bansi Singh) : Sir, I beg to move—

That in item (a) of sub-clause (1) of clause 160 of the said Bill, for the words "involves him", the word "involve" shall be substituted.

Mr. Speaker : Motion moved—

That in item (a) of sub-clause (1) of clause 160 of the said Bill, for the words "involves him", the word "involve" shall be substituted.

Mr. Speaker : Question is—

That in item (a) of sub-clause (1) of clause 160 of the said Bill, for the words "involves him", the word "involve" shall be substituted.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That clause 160, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 161 to 202

Mr. Speaker : Question is—

That clauses 161 to 202 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 203

Mr. Speaker : I have received a notice of amendment to this clause from Development and Panchayat Minister. He may please move the amendment.

Development and Panchayat Minister (Rao Bansi Singh) : Sir, I beg to move—

That in sub-clause (2) of clause 203 of the said Bill, the words and figures "and powers under section 51 of this Act" occurring in the end shall be omitted.

Mr. Speaker : Motion moved—

That in sub-clause (2) of clause 203 of the said Bill, the words and figures "and powers under section 51 of this Act" occurring in the end shall be omitted.

Mr. Speaker : Question is—

That in sub-clause (2) of clause 203 of the said Bill, the words and figures "and powers under section 51 of this Act" occurring in the end shall be omitted.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That clause 203, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 204 to 218

Mr. Speaker : Question is —

That clauses 204 to 218 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule I

Mr. Speaker : Question is—

That the Schedule I be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Schedule II

Mr. Speaker : Question is—

That the Schedule II be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Sub–Clause (1) of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-clause (1) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the Development and Panchayat Minister will move that the Bill, as amended, be passed.

Development and Panchayat Minister (Rao Bansi Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill, as amended, be passed.

चौधरी बीरेन्द्र सिंह (उचाना कलां) : स्पीकर साहब, जब मुख्यमन्त्री जी बोल रहे थे, तब मैं इंटरवीन करना चाहता था लेकिन आपने मुझे समय नहीं दिया। मैं मुख्यमन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस तरह से पंचायती राज बिल में अमैंडमैंट की गयी है कि अगर किसी व्यक्ति के दो से ज्यादा बच्चे हैं तो वह यह इलैक्शन नहीं लड़ सकेगा। क्या यह औरतों पर भी ऐप्लीकेबल है ?

चौधरी भजन लाल : यह सभी पर ऐप्लीकेबल है।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, जो पंचायती राज विधेयक माननीय मंत्री जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करने और मंत्री जी को बधाई देने के लिए खड़ा हुआ हूं। दरअसल प्रजातंत्र के ढांचे में तीन मुख्य एजैन्सीज हैं जिससे कि तंत्र चलता है। एक देश की सरकार, एक प्रान्त की और एक जिला स्तर की सरकार, यानी पी0एम0, सी0एम0 और डी0एम0। इस देश का पी0एम0 प्रजा के द्वारा और और एम0पी0 द्वारा चुना गया हो, इस राज्य का सी0एम0 प्रजा द्वारा और एम0एल0एज0 द्वारा चुना गया हो। जो जिले का डी0एम0 है वो आई0ए0एस0 आफिसर होता है। सब वह नीति, सब वह कार्यक्रम जो जनता की आवाज बनकर संसद या विधान सभा में गूंजते हैं और वे किसी न किसी रूप में सरकार की नीति बनकर जब नीचे जाते हैं तो जो डी0एम0 है, वहां जाकर उसका सरकारीकरण हो जाता है। सरकारी तंत्र में वह बात फंस जाती है। यही बात हमारे स्वर्गीय नेता राजीव गांधी जी ने कई बार पब्लिक में दोहराई है कि मैं एक रुपया भेजता हूं दिल्ली से, और चलते-चलते सिर्फ 15 पैसे उस आदमी तक पहुंचते हैं जो गांव में बैठा है। यही एक चिंता थी उनके मन में। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : यहां तो ज्यादा पहुंचते होंगे। वह सब स्टेट्स की बात थोड़े है। यहां का मतलब हरियाणा से है। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : यहां क्या आपके पास कोई आंकड़े हैं। (विघ्न) अध्यक्ष जी, यह बात देश के उस समय के प्रधानमंत्री ने कही। तो मैं नहीं समझता कि वह बात झूठी होगी। यह बात आपकी ठीक हो सकती है कि कहीं 15 की बजाय 6 पैसे पहुंचते होंगे और कहीं बीस पहुंचते होंगे। लेकिन जो सिस्टम था, उस सिस्टम में यह बात पाई गई कि जो सबसे छोटी इकाई पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद है, उसको वही अधिकार हों। जो कांस्टीच्यूशनल अमैंडमैंट 73 है, जिसको पार्लियामैंट ने पारित किया है, उसकी क्लॉज 243(जी) मैं पढ़कर सुनाता हूं। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि इस सैंवंटी-थर्ड अमैंडमैंट लाने की मन्शा क्या थी—

"Subject to the provision of the Constitution, the Legislature of the State may by law endow the Panchayat with such powers and authority as may be necessary to enable them to function them as institution of self Government and such law may contain provisions for the devolution of powers and

responsibility upon Panchayats at the appropriate level subject to such conditions as may be specified therein with respect to—

(i) The preparation of plan for economic development and social justice ;

(ii) The implementation of the scheme for economic development and social justice as may be entrusted to them including those in relation to the matters listed in the 11th Schedule."

सर, इसमें दो ही बातें सामने आयी हैं । सामाजिक न्याय देने के लिये ग्रामों में विकास तभी सम्भव है जब ग्रामीण लोगों द्वारा खुद बैठकर यह फैसला किया जाये कि उनकी प्रायारिटीज क्या हों, उनकी प्राथमिकताएं क्या हों । इस हिसाब से 29 आईटम्ज ऐसी छांटी गयी हैं जिनको इलैवन्थ शिडयूल में रखा गया है । इनके बारे में यह कहा गया है कि जिला परिषदें, पंचायत समितियां और गांव की पंचायतें इन कार्यों को पूरा करेंगी । स्पीकर साहब, मैं इस एक्ट के बारे में एक बात कहना चाहता हूं । हमारी बदकिस्मती यह है कि कोई भी सदस्य लैजिस्लेटिव बिजनैस को सीरियसली नहीं लेता । मैंने कल भी इस बारे में कहा था कि इस काम को गम्भीरता से लेना चाहिये और इस बारे में विचार करना चाहिये । हम इसके ऊपर चर्चा करना जरूरी नहीं समझते । लोग भाषण देना और सुनना जरूरी नहीं समझते । हर आदमी आज यह चाहता है कि वह जल्दी से जल्दी अपने घर को भाग जाये । मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यह जो कानून लाया गया है, यह पंचायतों को ताकतवर बनाने के लिये लाया गया है । आज से 25 साल पहले हरियाणा में भी जिला परिषदें थीं लेकिन वे तोड़ दी गयी थीं । चौधरी बंसी लाल के समय में इनको तोड़ दिया गया था । आपको पता है बंसी लाल जी का अपना काम करने का स्टाईल था । जितने भी प्रजातांत्रिक ढांचे हैं, उनमें इलैक्शन न हों, वे यह चाहते थे । वे चाहते थे कि कभी इलैक्शन नहीं होने चाहियें । म्युनिसिपल कमेटीज के इलैक्शन नहीं होने चाहियें, मार्किट कमेटीज के इलैक्शन नहीं होने चाहियें । मार्किट कमेटी के इलैक्शन्ज तो हमारे मौजूदा मुख्य मंत्री ने भी नहीं करवाये हैं । पहले कोआप्रेटिव सोसाइटीज के या कोआप्रेटिव इंस्टीच्यूशन्ज के इलैक्शन्ज भी नहीं होते थे । इसी प्रकार से जिला परिषदों को भी भंग कर दिया गया था । जिला परिषदों को भंग करने के पीछे एक कारण था जो आज भी मौजूद है । मैं इस सदन में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं जो एक कड़वी सच्चाई है । चाहे कोई भी एम0एल0ए0 हो, कोई यह नहीं चाहता कि उसकी कांस्टीच्यूएंसी में या उसके जिले में कोई उसके बराबर का आदमी अधिकार वाला हो और वह अपने अधिकार का प्रयोग करे । यही वजह थी कि इन जिला परिषदों को भंग किया गया था । महाराष्ट्र में जिला परिषदों को 60-60 और 70-70 करोड़ रुपये का बजट दिया जाता है । मैं ऐसी दर्जनों मिसालें दे सकता हूं । महाराष्ट्र के अन्दर राजनीति में ऐसा कई बार हुआ है कि लोग एम0एल0ए0 या मंत्री बनना पसन्द नहीं करते । वे एम0एल0ए0 या मिनिस्टरी को छोड़ कर जिला परिषद का चेयरमैन बनना पसन्द करते हैं । तो मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं कि हमारे यहां पर इस चीज की सख्त जरूरत है । हम लोग अपनी ताकत को छोड़ना नहीं चाहते । हमारे यहां पर अच्छे विधायक हों, आज इस

[चौधरी बीरेन्द्र सिंह]

बात की जरूरत है । आज अगर आप अच्छा मन्त्री और अच्छा मुख्य मन्त्री हरियाणा को देना चाहते हैं तो आपको नर्सरी पैदा करनी पड़ेगी । आज एक वकील वकालत पास करते ही यह सोचता है कि एम0 एल0 ए0 कैसे बनूं, प्रोपर्टी डीलर अगर दस बीस लाख रुपया कमा लेता है तो वह यह सोचता है कि एम0 एल0 ए0 कैसे बनूं । किसी के पास भी अगर आज पैसा आ जाता है तो वह एम0 एल0 ए0 बनने के सपने देखने लगता है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह गुजारिश करना चाहता हूं कि इसमें चैप्टर जो इन्ट्रोड्यूस किया गया है यह एक बड़ी हैल्दी ट्रैडीशन होगी कि जिला परिषदों को फिर से रिवाइव किया जा रहा है । लेकिन इस एक्ट से जाहिर होता है कि जिला परिषदों की पावर्ज सुपरवाइजरी पावर रखी गई हैं । चालीस हजार की पापुलेशन से जिला परिषद का मैम्बर बन सकेगा और वह अपने को एक मिनि एम0 एल0 ए0 से कम नहीं समझेगा लेकिन अगर एक्ट में आप उसको पावर नहीं देंगे तो उसको निराशा होगी । क्लाज 137 में जो कुछ लिखा है, उससे जाहिर होता है कि इसकी कोई पावर नहीं है । आप क्लाज 147 और 148 पढ़ें । इनमें साफ लिखा है कि जिला परिषद को अपना काम चलाने के लिए अपने रिसोर्सिज पैदा करने पड़ेंगे । वे अपने तरीके से टैक्स लगाएंगी, अपने तरीके से कलैक्ट करेंगी और अपने तरीके से खर्च करेंगी लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है । अध्यक्ष महोदय, इसमें दो कमीशन मुकर्रर करने की बात कही गई है । एक फाइनैंस कमीशन और दूसरा इलैक्शन कमीशन । फाइनैंस कमीशन फाइनैंस जुटाने के लिए और इलैक्शन कमीशन इलैक्शन कराने के लिए । स्पीकर साहब, फाइनैंस कमीशन की कंसैप्ट क्या होनी चाहिए । कंसैप्ट यह है कि स्टेट के जितने टोटल रिसोर्सिज हैं, जो हम खुद जनरेट करें या हमें भारत सरकार से मिलें उनको इकट्ठा करके यह फैसला करें कि इतने परसैन्ट जिला परिषदों को और पंचायत समितियों को दिए जाएं । यह फाइनैंस कमीशन का मेन काम होना चाहिए । इसके साथ ही साथ फाइनैंस कमीशन यह भी सुझाए कि किस तरीके से लोकल अदायरे अपनी फाइनैंशियल पोजीशन को स्ट्रैथन कर सकते हैं और जब इनकी फाइनैंशियल पोजीशन मजबूत होगी तभी इनमें मजबूती आएगी । अगर इन लोकल अदायरों को स्टेट गवर्नमैंट की तरफ या केन्द्र सरकार की तरफ मुंह उठाकर देखना पड़ेगा, तो यह कोई अच्छी बात नहीं होगी और वे काम नहीं कर सकेंगे । अध्यक्ष महोदय, जहां तक डिजोल्यूशन एंड सुपरसैशन का सम्बन्ध है, मैं इन भाइयों के विचारों से सहमत हूं कि एक मन्त्री को, मुख्य मन्त्री को हटाया जा सकता है लेकिन एक एम0 एल0 ए0 या एम0 पी0 को नहीं हटाया जा सकता । एक मन्त्री है और अगर उसने कोई गल्ती की है, तो उसका अस्तीफा मांगा जा सकता है । मुख्य मन्त्री ने कोई गड़बड़ की है, तो मुख्य मन्त्री का अस्तीफा हो सकता है । लेकिन एक एम0 एल0 ए0 को नहीं हटाया जा सकता । यह ठीक है कि 73वीं अमैंडमैंट में यह लिखा गया है कि जो असैम्बलीज हैं, वे अपने तौर पर फैसला करें कि कैसे-कैसे उनको क्या करना है लेकिन मेरा अनुरोध है कि डैमोक्रेटिक इंस्टीच्यूशंज जैसे पार्लियामैंट है, उसके

एम०पी० को कोई नहीं हटा सकता, कोई डिसमिस नहीं कर सकता और वह डिसक्वालीफाई नहीं हो सकता। इसी तरह से एम०एल०ए० है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसी तरह से जिला परिषद और ब्लॉक समिति के मम्बर जिनको लोगों ने चुनकर भेजा है, किसी सरकारी तन्त्र को यह हक नहीं होना चाहिए कि लोगों द्वारा चुने हुए नुमाइन्दों को डिसक्वालीफाई कर दे या उनको डिसमिस कर दिया जाए। यह तो हो सकता है कि अगर म्युनिसिपल कमेटी का चेयरमैन कोई गड़बड़ करता है तो उसकी चेयरमैनी जा सकती है, सरपंच गड़बड़ करता है तो उसकी सरपंची जा सकती है। लेकिन यह नहीं होना चाहिये कि जिस आदमी को लोगों ने चुनकर भेजा है, उनको पांच साल से पहले किसी भी प्रावधान के नीचे हटाया जा सके। यह मेरी गुजारिश है कि इसके ऊपर सरकार को अवश्य गौर करना चाहिये। मैं यह समझता हूं कि आने वाले समय में, हरियाणा के अन्दर हम एक नर्सरी कायम कर सकेंगे ताकि राजनीतिक लोग नीचे के स्तर से काम कर के लोगों से जुड़कर ऊपर आने की चेष्टा करेंगे, न कि स्काई लैब की तरह ऊपर से लोगों पर थोपे जाएं। यह एक व्यवस्था है जिस से हम लोगों को साथ लेकर चल सकते हैं। बस, मैं इतना कहता हुआ स्वीकर सर, आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill as amended be passed.

The motion was carried.

सरकारी संकल्प—

नगरपालिकाओं का विघटन करने सम्बन्धी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a notice of Official Resolution. Now the Minister of State for Local Government may move the resolution.

Minister of State for Local Government (Chaudhary Dharambir Gauba) : Sir, I beg to move—

Whereas in pursuance of the provisions of Article 243 ZF of the Constitution of India this Assembly considers it desirable to dissolve the municipalities as given in the Annexure hereto in public interest.

And whereas the dissolution of said municipalities has become necessary in public interest to give effect to the said provisions of the Constitution of India.

Now, therefore, In exercise of the powers conferred by the proviso to article 243 ZF of the Constitution of India, this Assembly hereby resolves that the municipalities as given in the Annexure hereto shall stand dissolved forthwith.

Mr. Speaker : Motion moved—

Whereas in pursuance of the provisions of article 243 ZF of the Constitution of India, this Assembly considers it desireable to dissolve the municipalities as given in the Annexure hereto in public interest.

And whereas the dissolution of said municipalities has become necessary in public interest to give effect to the said provisions of the Constitution of India.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to article 243 ZF of the Constitution of India, this Assembly hereby resolves that the municipalities as given in the Annexure hereto shall stand dissolved forthwith.

प्रो० राम बिलास शर्मा (महेन्द्रगढ़) : स्पीकर सर, यह जो म्युनिसिपल कमेटीज के बारे में गावा साहब रैजोल्यूशन लाये हैं, मैं भी इस बारे में कुछ कहना चाहूंगा। स्पीकर सर, आज ही यह बिल यहां पर लाया गया है और आज ही इनको म्युनिस्पिल कमेटीज को भंग करने का रेजोल्यूशन भी लाना पड़ा, कितनी अन-डैमोक्रेटिक बात है, स्पीकर सर। नगरपालिकाओं की किस तरह से बुचरिंग हो रही है। जिन नगर-पालिकाओं के अभी तीन-तीन साल बाकी रहते हैं उनको भी तोड़ा जा रहा है। इस रैजोल्यूशन के माध्यम से कितना बड़ा अन्यायपूर्ण कदम म्युनिसिपल कमेटीज के साथ उठाया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिये। इनको यह प्रस्ताव एक दम वापिस लेना चाहिये।

प्रो० सम्पत सिंह (भट्टू कलां) : स्पीकर साहब, यह रैजोल्यूशन वाली बात हम पहले ही कह चुके हैं कि सरकार को यह रैजोल्यूशन नहीं लाना चाहिये था। ठीक है सरकार के पास मैजोरिटी है और सरकार इस मैजोरिटी के होते हुए जो चाहे यहां पर इस असैम्बली से पास करवा सकती है लेकिन ऐसे राईट्स का सरकार को मिस-यूज नहीं करना चाहिये। आज एक बहुत बड़ी ये लोग बात कर रहे हैं जो इस रजोल्यूशन के द्वारा करने जा रहे हैं। अतः हमारा यह व्यू है कि इनको इतनी संख्या में म्युनिसिपल कमेटीज को डिजोल्व नहीं करना चाहिये। इससे लोगों के मन में यह भावना होगी कि आज तो बिल मूव हुआ है और आज ही डिजोल्व कर रहे हैं। इससे हमेशा के लिये म्युनिसिपल कमेटीज के ऊपर डैजोल्यूशन का साया सदा के लिये छाया रहेगा। हमेशा ही उनके दिमाग में यह रहेगा कि असैम्बली में जिसकी मैजोरिटी होगी, वे जब मर्जी चाहें, इस तरह का स्टैप उठाकर कमेटीज को डिजाल्व करा देंगे। इसलिये यह परम्परा बिल्कुल गलत है।

वाक आउट

प्रो० सम्पत सिंह : अगर सरकार फिर भी इस पर बाजिद है कि हमने तो यह कार्यवाही करनी ही है और इन्हें डिजाल्व करना ही है तो हम सब अपोजीशन के भाई ऐज ए प्रोटैस्ट वाक आऊट करते हैं। **(इस समय जनता पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी के सभी उपस्थित सदस्य सदन से वाक-आउट कर गये)।**

सरकारी संकल्प (पुनरारम्भ)

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, अपोजीशन के भाइयों ने बहुत क्रिटिसिजम किया है और अब ये वाक-आउट करके जा रहे हैं । जब सरकार अगली म्युनिसिपल कमेटीज के चुनाव अगले 6 महीनों में करवाने जा रही है तो इनको क्या तकलीफ है ? अब 6 महीनों के बाद जब चुनाव होंगे तो इनको मालूम पड़ जाएगा कि सरकार में दम-खम है या इनमें है ।

Mr. Speaker : Question is—

That whereas in pursuance of the provisions of Article 243 ZF of the Constitution of India this Assembly considers it desirable to dissolve the municipalities as given in the Annexure hereto in public interest.

And whereas the dissolution of said municipalities has become necessary in public interest to give effect to the said provisions of the Constitution of India.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to Article 243 ZF of the Constitution of India, this Assembly hereby resolves that the municipalities as given in the Annexure hereto shall stand dissolved forthwith.

The motion was carried.

नियम 84 के अधीन प्रस्ताव—

(i) हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की वर्ष 1991-92 की प्रशासनिक रिपोर्ट ।

(ii) हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की वर्ष 1992-93 की 26वीं ऐनुअल स्टेटमैंट आफ अकाउंट्स ।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received two notices of motion under Rule 84 from Shri Ram Bilas Sharma and Smt. Chandravati, M.L.As. Shri Ram Bilas Sharma may read these notices.

Prof. Ram Bilas Sharma : Sir, I beg to move—

(I) That the Administrative Report of the Haryana State Electricity Board for year 1991-92, which was laid on the table of the House on the 8th March 1994 ;

(II) That the 26th Annual Statement of Accounts of the Haryana State Electricity Board for the year 1992-93, which was laid on the table of the House on the 8th March, 1994,

be discussed.

Mr. Speaker : Motion moved—

(i) That the Administrative Report of the Haryana State Electricity Board for the year 1991-92, which was laid on the Table of the House on the 8th March, 1994 ; and

(ii) That the 26th Annual Statement of Accounts of the Haryana State Electricity Board for the year 1992-93, which was laid on the Table of the House on the 8th March, 1994,

be discussed.

प्रो० राम बिलास शर्मा (महेन्द्रगढ़) : स्पीकर साहब, यह बिजली बोर्ड की 1991-92 की एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट है। इसके बारे में मैं ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट बहुत इम्पोर्टेन्ट डाकुमैंट होता है। इसको देखने के बाद पता लगा है कि इसका कोई आडिट नहीं कराया गया है। अगर आडिट कराया गया है तो उसकी स्टेटमैंट इस रिपोर्ट के साथ जोड़ी नहीं गई है। स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश के लोगों का जीवन बिजली के कारण ही चलता है, इसलिए बिजली बोर्ड के बारे में जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए और इस रिपोर्ट के साथ आडिट की स्टेटमैंट लगाई जानी चाहिए। इस रिपोर्ट को पढ़ने से तो ऐसा लगता है कि रसम अदायगी की गई है। **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)** उपाध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट के पेज 17 पर प्लांट लोड फैक्टर के बारे में बताया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार फरीदाबाद थर्मल पावर प्लांट का 1991-92 का पी०एल०एफ० 56.35 परसैंट है और 1990-91 का पी०एल०एफ० 47.80 परसैंट है। इसी तरह से पानीपत थर्मल पावर प्लांट का पी०एल०एफ० 43.07 परसैंट है और इससे पिछले साल का 30.26 परसैंट था। डिप्टी स्पीकर साहब, जो नैशनल एवरेज है उससे यह काफी कम है। इसके अलावा इस रिपोर्ट के पेज 35 पर कौस्ट औफ जनरेशन के बारे में बताया गया है। वर्ष 1991-92 में कौस्ट औफ जनरेशन एक रुपया 61 पैसे प्रति यूनिट दर्शाई गई है। यह एवरेज फरीदाबाद थर्मल प्लांट की है। जो पानीपत थर्मल प्लांट की कौस्ट औफ जनरेशन की एवरेज दर्शाई गई है, वह 95.94 पैसा प्रति यूनिट है। मैं समझता हूं कि एक ही राज्य में एक ही मशीनरी में कौस्ट औफ जनरेशन में यह अन्तर कुछ नैचुरल नहीं लगता। जो 1990-91 की कौस्ट औफ जनरेशन है, वह 99.49 पैसा प्रति-यूनिट है। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर साहब, इस रिपोर्ट में जो स्टेटमैंट है, उसमें सब-स्टेशंज की सूची दी है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि इसका जो आडिट कराया गया, उसकी स्टेटमैंट इसके साथ जरूर लगानी चाहिए थी। उससे यह पता लग सकता था कि साल का कितना खर्चा हुआ। इस बारे में इस रिपोर्ट में कुछ नहीं है। इस बारे में ए०सी० चौधरी साहब बताएंगे। इसके अलावा बिजली बोर्ड की जो 1992-93 की 26वीं रिपोर्ट दी गई है, डिप्टी स्पीकर साहब आप भी इसको देख लें, इसको पढ़ना कितना मुश्किल है। यह साइक्लोस्टाइल करवा करके हमें दी गई है। कोई पेज कहीं पर जोड़ा है और कोई पेज कहीं पर जोड़ा है। इस रिपोर्ट को चश्मा लगाने के बाद भी नहीं पढ़ा जा सकता। ए०सी० चौधरी साहब इसको देख लें।

बिजली मन्त्री (श्री ए०सी० चौधरी) : डिप्टी स्पीकर साहब, माननीय सदस्य प्रो० राम बिलास शर्मा जी ने बिजली बोर्ड की रिपोर्ट के बारे में कुछ आपत्ति की है। डिप्टी स्पीकर साहब, सिद्धांत मेरी बात से सभी माननीय सदस्य ऐग्री करेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट होती है उसका आडिट नहीं होता। आडिट तो फाईनैंस का

होता है । एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट की तो सकूटनी होती है । जहां तक फाईनैंस के आडिट का ताल्लुक है, उसका बाकायदा आडिट होता है । इसके अलावा यदि कोई प्लांट छोटा है या पुराना है, या किसी प्लांट में कोयला सब-स्टैन्डर्ड फीड हो गया या कोई प्लांट अंडर रिपेयर है तो सारा टोटल मिला कर उसका पी0 एल0 एफ0 नोट किया जाता है । पानीपत और फरीदाबाद थर्मल पावर प्लांटस की कौस्ट ऑफ जनरेशन की डिसपैरिटी एकली चार या पांच पैसे पड़ती है । फरीदाबाद थर्मल पावर प्लांट की कौस्ट ऑफ जनरेशन एक रुपया 87 पैसे प्रति यूनिट है और पानीपत थर्मल पावर प्लांट की कोस्ट ऑफ जनरेशन एक रुपया 83 पैसे प्रति यूनिट है । उसका कारण यह है कि पानीपत में चार यूनिट 110-110 मैगावाट के हैं । फरीदाबाद के तीनों प्लांट 55-55 के0 वी0 के, पानीपत की अपेक्षा छोटे हैं । उनकी कैपेसिटी के हिसाब से बाई एण्ड लार्ज कोई कमी नहीं है जिससे हम यह कह सकें कि एड-मिनिस्ट्रेटिव कमी हो सकती है या कोई टैक्नीकल फाल्ट हो सकता है । Bye product of different types of machines and quality of raw material is the only reason. साथ ही शर्मा जी ने एक बात कही कि यह रिपोर्ट पढ़ी नहीं जा रही । मैं बताना चाहूंगा कि यह रिपोर्ट कम्प्यूटराइज्ड है । यह इनकी ठीक बात है कि इन फिगर्ज को पढ़ने में दिक्कत आ रही है । इस बारे में मेरी इनसे प्रार्थना है कि यदि ये किसी फिगर्ज के बारे में जानना चाहें तो ये जान लें । बाकायदा मैं अच्छी टाईप की हुई कापी दूंगा और साथ ही विभाग को हिदायत दूंगा कि आयंदा ऐसी गलती न दोहराई जाये ।

डा0 राम प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि 47 और 82 की फिगर्ज में यह इतना भारी अन्तर क्यों है ।

श्री ए0 सी0 चौधरी : पहली बात तो यह है कि फरीदाबाद की यूनिट 55 के0 वी0 की है जबकि पानीपत प्लांट की इससे कहीं ज्यादा के0 वी0 की है । दूसरी बात यह है कि ये यूनिटें काफी पुरानी हो चुकी हैं । तीसरी बात मैं यह बताना चाहता हूं कि पी0 एल0 एफ0 बढ़ाने के लिए बदरपुर की एक 210 मैगावाट की यूनिट लेटैस्ट है, वह 90 से 95 परसैंट बिजली जनरेट करती है । दूसरे इन यूनिट्स में कोई मैनुअल प्रौब्लम नहीं है ।

श्रीमती चन्द्रावती (लोहारू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहती हूं कि ए0 जी0 की जो रिपोर्ट है, इसमें अरबों रुपयों का खर्चा दिखाया गया है लेकिन इसका कोई रिकार्ड अच्छी तरह से नहीं रखा गया । इसको आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं पर तो अन्डरस्टेटिड है, कहीं पर ओवर स्टेटिड है और कहीं पर गलत लिखा गया है । आप पेज 92 को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि जहां पावर परचेज की गयी है, उसकी इस रिपोर्ट में लाखों में फिगर्ज दी गई हैं । इसमें एक जगह 32,325.05 लाख रुपये की एन0 पी0 टी0 सी0 (सिंगरौली) से बिजली खरीदी गई । आप आगे देखेंगे कि इसमें 17.10 लाख रुपये अन्डरस्टेटिड हैं, इसका पहले कोई प्रोविजन नहीं किया

[श्रीमती चन्द्रावती]

गया । इसी तरह से पावर जनरेशन की बात है । इन्होंने जो सैन्ट्रल कोल फील्ड्ज का पैसा देना था उसमें भी 3761.36 लाख रुपये अन्डरस्टेटिड दिखाए हैं । मेरे कहने का मतलब यह है कि इन्होंने इसमें कोई हिसाब ही नहीं रखा । मैं समझती हूं कि ऐसे कर्मचारियों को बेहद सजा दी जानी चाहिए और जो वहां पर चीफ इन्जीनियर, एस0 ई0 या एक्सीयंज हैं, उनकी विशेष जांच करके सजा दी जानी चाहिए । आज बिजली कारखाने को चाहिए, किसानों को चाहिए और अपनी बात आप तक पहुचाने के लिए भी बिजली की हमें आवश्यकता है । इन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से जो गड़बड़ होती है, उससे बिजली बोर्ड को नुक्सान होता है । इसलिए ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये । इसी प्रकार से चाहे परचेज की बात है, चाहे पावर जनरेशन की बात है या तेल खरीदने की बात है । ये सारी बातें इसीलिए हैं । On page 93, it has been stated—

(ii) "Rs. 428.14 lakhs on account of interest liability @ 8.50%
....."

यह पैसा ऐसा है जो अकाउंट फार ही नहीं किया गया । (विघ्न) इसी तरह से 2372.44 लाख रुपये ग्रीन अकाउंट ग्रॉफ डिफरैंसिज आफ ग्रापेशन एंड मैंटीनैंस चार्जिज की कोई भी लायबलिटी प्रोवाईड नहीं की गई है, यह है भाग जैनेरेशन ग्रॉफ ऐनर्जी इन्द्रप्रस्थ का है । जिसके लिए कोई लायबिलटी प्रोवाईड नहीं की गई है। इसी तरह से टैस्ट चैक में पाया गया कि 6025.69 लाख रुपये की लायबिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई । (विघ्न) ऐसा इसलिए है क्योंकि महकमे रिपोर्ट नहीं देते हैं । यह रिपोर्ट 1992-93 की है, 1993-94 की रिपोर्ट क्यों नहीं दी । किसी भी महकमे या बोर्ड की रिपोर्ट दी नहीं जाती । उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो समझती हूं कि आपको सरकार को गाईड करना चाहिए या उनको सुजैशन देना चाहिए कि ये रिपोर्टस टाईम पर आएं । जो रिपोर्टस आती हैं वे भी जल्दी में आती हैं, उनको पढ़ने के लिए समय ही नहीं होता । इसी तरह से कन्जयूमर्ज की बात है । पेज 98 पर देखिये, इसमें डिफाल्टर्ज की संख्या हजारों और लाखों में है । जो अमाउंट उन्होंने डिफाल्ट किया है, उसकी संख्या भी बहुत बड़ी है। डिफाल्टर्ज में गवर्नमैंट के भी कन्जयूमर्ज हैं और प्राईवेट भी हैं जिन्होंने 3 साल से लेकर 6 साल तक बिल नहीं दिए । जो गवर्नमैंट कन्जयूमर्ज हैं, उनकी संख्या 210 है और अमाउंट 27.88 लाख है। इसी तरह से प्राईवेट का इससे भी ज्यादा है । कन्जयूमर्ज 7952 हैं और अमाउंट 471.68 लाख रुपये है । इसी प्रकार से अगर आप कुल मिला कर देखें तो गवर्नमैंट कंजयूमर्ज हो जाते हैं 1163 और पैसा 343.16 लाख है। इसी तरह से प्राईवेट कन्जयूमर्ज हैं, 71707 इनका रुपया होता है, 1864.23 लाख । ये ऐसे डिफाल्टर्ज हैं जिनके कनैक्शन्ज डिसकनैक्ट हो चुके हैं । कनैक्टिड कंज्यूमर्ज गवर्नमैंट के 7176 हैं । इनकी ह्यूज अमाउंट जो पे नहीं की गई, वह 32,690.31 लाख रुपये है । प्राईवेट की 5968.87 लाख रुपये है । (विघ्न) 790.91 लाख रुपये की राशि ऐसी है जो

टाईम बारड हो चुकी है, इसे आप ले ही नहीं सकते। जिस आफिसर/आफिशियल की लापरवाही से यह टाईम बारड हुई है उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। "रीजन्ज फार माईनस बैलैंसिज वर नाट आन रिकार्डज" यह पेज 100 पर है। इसमें यह भी कहा गया है कि सण्डरी डैटर्ज फार सेल आफ इलैक्ट्रिकल प्लांट मैन्यूफैक्चर्ड बाई दि बोर्ड तथा और भी कई चीजें हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप को थैफ्ट के बारे में भी बताती हूं। पेज 102 पर 31.28 लाख रुपए का मैटीरियल चोरी हुआ दिखाया गया है, जिसका कोई हिसाब-किताब नहीं है, कोई लायबिलटी नहीं है और शारटेज आफ मैटीरियल 53.55 लाख रुपए का दिखाया गया है। इसमें किसी की भी कोई जिम्मेवारी नहीं दिखाई गई है। इसमें जो जिम्मेवारी है, अगर उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जाए तो मैं समझती हूं कि बिजली की कोई कमी नहीं रहेगी। उपाध्यक्ष महोदय, आज जो बिजली की कमी प्रदेश में है, वह मैन मेड ट्रैजडी है। मैनमेड का मतलब यह है कि यह सब आफिसर्ज की कमी है। यह जो 106 पेज पर जनरल आबजर्वेशन है उसको मैं आपको पढ़कर सुना देती हूं। इसमें नान-मैन्टेनैंस, इम-प्रोपर मैन्टेनैंस और अन्डर स्टेटिड वगैरह लिखा है। उपाध्यक्ष महोदय, 107 पेज पर अनैक्सचर है, उसमें कोई सूचना नहीं दी है, कोई भी रिकार्ड नहीं रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऊर्जा मंत्री जी से यह दरख्वास्त करूंगी कि इस तरह की लायबिलिटी उनके ऊपर रखनी चाहिए जिससे कि बिजली की सारी कमी सुधर जाए। बड़े-बड़े आफिसर्ज जैसे कि चीफ इन्जीनियर की, एस0ई0 की या एक्सीयन की प्रोपर्टी को भी देखना चाहिए और इसके साथ यह भी देखना चाहिए कि इन्होंने क्या-क्या गलतियां कर रखी हैं। जैसे इसमें भी बता रखी हैं, उसके लिए भी उनकी जिम्मेवारी फिक्स करनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, अब मुख्य मंत्री जी भी सदन में आ गए हैं इसलिए मैं फिर से कहूंगी, जैसे मैंने पहले कहा है कि अगर वैसे होगा तो जो हमारे सारे थर्मल पावर प्लांटस हैं, ये सभी सुचारू रूप से चलेंगे।

श्री ए0 सी0 चौधरी : डिप्टी स्पीकर साहब, माननीय बहन जी ने रिपोर्ट की पेरयूजल के बाद कुछ अपनी आबजर्वेशन दी है, जिसमें उन्होंने एक अन्डरस्टेटिड का भी जिक्र किया है। अन्डरस्टेटिड का मतलब मैं बहन जी को बताना चाहता हूं, अन्डरस्टेटिड को ये शायद प्रोपर कन्स्ट्रयू नहीं कर सकीं या इन्होंने मिस-कन्स्ट्रयू कर लिया है। अन्डरस्टेटिड का मतलब यह है कि यह जो फिगर दी है, इसकी टोटल इन्फर्मेशन नहीं दी गई है यानि यह स्टेटमैंट अधूरी है।

श्रीमती चन्द्रावती : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से यह कहना चाहती हूं कि इसमें जानबूझ कर बातों को छिपाया गया है।

श्री ए0 सी0 चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें छिपाने की बात तो तब हो, जब कोई प्राईवेट सौदे हों। इसमें एन0 टी0 पी0 सी0 के मामले के बारे में रिपोर्ट के पेज नं0 92 पर लिखा है "It was understated by Rs. 17.10 lakhs on account of the power purchased from N.T.P.C. (Singrolli)." अब सिंगरौली से पावर की परचेज के

[श्री ए० सी० चौधरी]

पैसों के मामले में उस वक्त के बिल में कोई चीज ऐसी लिखी है जो हमने डिस्प्यूट किया है। तो उसे हम तब तक आडिट के सामने नहीं रखेंगे जब तक दूसरी पार्टी को हम मनवा न लें। इसलिए यह अन्डरस्टेटिड या अन-ऐलौबोरेटिड है। बहन जी ने कह दिया कि 1163 कंज्यूमर्ज के जिम्मे बिजली के पैसे बकाया हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह इतनी बड़ी स्टेट है और इस बारे में अभी दो दिन पहले सैपरेट क्वेश्चन आया था। उसमें मैंने इस बारे में टोटल डिटेल दी थी कि कुल मिला कर के जो इन्डस्ट्रिलिस्टस हैं, वे लैस दैन 100 हैं। उस हिसाब से मैंने सारा ब्यौरा दिया कि वे लोग कोर्ट में जा चुके हैं। जब तक कोर्ट कोई भी फैसला नहीं कर देती है तब तक बिजली बोर्ड या हरियाणा सरकार इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा इन्होंने सन्डरी डैटर्ज के बारे में भी कहा है। सन्डरी डैटर्ज में करोड़ों रुपए की परचेजिंग होती है। जिसमें केबल देने वाले भी हैं, कंडक्टर, सप्लाई करने वाले भी हैं, पोल सप्लाई करने वाले भी हैं, फयूज देने वाले भी हैं, ट्रांसफार्मर स्पलायर हैं, ट्रान्सफार्मर आयल स्पलायर हैं उसके लिए स्पेयर पार्टस के स्पलायर हैं। पूरी स्टेट को मेन इन-ग्रीडीयन्टस देने के लिए 100 सन्डरी डैटर्ज कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मेरा ख्याल है कि बहन जी का खदसा बे-बुनियाद है। (विघ्न)

तीसरी बात बहन जी कहती हैं कि बिजली की चोरी होती है। चोरी की वजह से जितने पैसे का नुकसान हुआ है उसकी हमने जिम्मेवारी फिक्स की है। उपाध्यक्ष महोदय, यह आपकी नौलेज में भी है कि बाई-एंड-लार्ज, दो मेजर थैफट हो रही हैं।

श्रीमती चन्द्रावती : उपाध्यक्ष महोदय, मैटीरियल की चोरी की बात है, बिजली की चोरी की बात नहीं है।

श्री ए० सी० चौधरी : मैं मैटीरियल की ही बात कह रहा हूं कि ट्रांसफार्मर को काटा और उसमें से पीतल या तांबा निकाल कर ले गए। इसके साथ ही राजस्थान की तरफ से भी उस एरिये में शिकायत है कि पूरी की पूरी लाईन काट दी जाती है और तारों को गाड़ियों में डालकर ले जाते हैं। तो ऐसी थैफट के लिए प्रौपर हमारे पास अपनी सिक्योरिटी भी है तथा गवर्नमैंट द्वारा भी मदद दी जा रही है। ऐसी बात नहीं है, चोरियां भी होती हैं लेकिन सामान बरामद भी होता है इसलिए मैं समझता हूं कि बहन जी को इसके बारे में ज्यादा चिन्ता नहीं होनी चाहिए। यह बात जरूर है कि यह हम सबकी सांझी जिम्मेदारी है कि स्टेट को किसी प्रकार का कोई लौस न हो। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए ताकि किसी भी किस्म का घाटा स्टेट को न हो। बाकी जहां तक चोरियों का ताल्लुक है उसको हम भी देखते हैं और आप भी देखते हैं। हम सबकी यह जिम्मेदारी है कि बिजली की चोरी न होने पाए। क्योंकि अगर बिजली की चोरी होती है तो इससे बिजली बोर्ड का घाटा बढ़ता है। बहन जी ने यह भी कहा कि बिजली बोर्ड की रिपोर्ट कई कई साल के बाद

आती है तथा यह बड़ा इररैगुलर सिस्टम है और इसको रैगुलर बनाया जाना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं बहन जी को बताना चाहूंगा और आप भी यह जानते हैं कि जब तक आडिट नहीं होगा फिगर्ज कम्पाईल नहीं होंगी, पूरा अकाउंट नहीं होगा तब तक रिपोर्ट नहीं छप सकती। मुख्य मंत्री जी ने भी इसी बात पर पिछली बार चिन्ता व्यक्त की थी और उन्होंने विभागों को कहा था कि रिपोर्ट जल्दी आनी चाहिए। सर, मैं यही कहूंगा कि जब हम पिछली बार सिटिंग में थे, तब सात साल पुरानी रिपोर्ट थी किन्तु अब तो दो साल ही पुरानी रिपोर्ट है। इसका मतलब पहले से प्रोग्रैस तो है। वैसे भी इसके बारे में जब मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दे ही दिया है, तब मैं इसके लिए ज्यादा नहीं कहूंगा।

श्रीमती चन्द्रावती : डिप्टी स्पीकर साहब, इनमें टाईम इसलिए लगता है क्योंकि रिपोर्ट तैयार ही नहीं करते। यह प्रशासन के लिए कोई अच्छी बात नहीं है।

(iii) हरियाणा स्टेट स्माल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटिड की वर्ष 1991-92 की 25वीं एनुअल रिपोर्ट

Mr. Deputy Speaker : Hon'ble Members, I have received a notice of motion under Rule 84 from Smt. Chandravati, M.L.A. which reads as under :—

"That the 25th Annual Report of the Haryana State Small Industries and Export Corporation Limited for he year 1991-92, which was laid on the Table of the House on the 28th February, 1994, be discussed."

She may move her motion.

Smt. Chandravati : Sir, I beg to move—

That the 25th Annual Report of the Haryana State Small Industries and Export Corporation Limited for the year 1991-92, which was laid on the Table of the House on the 28th February, 1994, be discussed.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the 25th Annual Report of the Haryana State Small Industries and Export Corporation Limited for the year 1991-92, which was laid on the Table of the House on the 28th February, 1994 be discussed.

श्रीमती चन्द्रावती (लोहारु) : डिप्टी स्पीकर साहब, बात यह है कि इस रिपोर्ट में चार्टर्ड एकाउंटैंट के बारे में गलत बताया गया है। सर, इस किताब में जो है, मैं उसी में से बता रही हूं। मैं इसमें अपनी तरफ से कोई बात नहीं जोड़ रही हूं। (विघ्न) इसमें पेज 12 पर लिखा है—

"Against manufacturer's garment exporter quota, the Corporation has made export worth Rs. 74.75 lacs....."

लेकिन इसके लिए उन्होंने कहा है कि कोई मैनुफैक्चरिंग रिकार्ड नहीं है जो रा-मैटीरियल की कंजम्पशन दिखा सके। कोई भी बैरीफिकेशन के लिए चीज नहीं मिली। इन्होंने

[श्रीमती चन्द्रावती]

कहा है कि गारमैंट्स लाकर ऐक्सपोर्ट किए हैं। मैं इसी में से पढ़ कर बता रही हूं। आप पेज 12 पर 1988-89 के क्लेम के बारे में देखें। It reads as under—

"This claim lodged for US $ 7,590.20 on account of theft of goods in transit of export made by M/s NEW ERA STEEL CO. to M/s OHIO STATE FAIR USA during the year 1988-89. The claim has been settled for US $ 935.70, balance seems to be doubtful of recovery.....".

इसका आप देखिए सिर्फ 935.70 डालर में सैटल हुआ है, बाकी डाउटफुल है। इस तरह से किसी की जिम्मेदारी ठहरानी चाहिए। जो लोग रिटायर हो गए हैं, रैवेन्यू रिकवरी की तरह उनसे भी लिया जा सकता है। क0 सं0 44 पर लिखा है :—

"Damaged stock at Emporia valuing Rs. 3.37 lacs.."

इसका भी यह होगा कि डैमेज हो गया। कुछ सामान डैमेज न होने पर भी इनके कर्मचारी आपस में बांट लेते हैं और उसको डैमेज दिखा देते हैं। सामान या तो ये अपने दोस्तों को प्रैजेन्ट कर देते हैं या उन्हें कम कीमत पर दे देते हैं। फिर इसमें पेज 14 पर है। फिक्सड असैटस का कोई रिकार्ड नहीं है, न उनकी आईडैन्टीफिकेशन की है, न फिजिकल वैरीफिकेशन किया गया है। एम्पलाईज को जो बिना इंट्रैस्ट के पैसा दिया है, वह हाउस बिल्डिंग के लिए भी नहीं दिया, न ही व्हीकल खरीदने के लिए दिया है। इसका मतलब तो यह हुआ कि उनको दान दे दिया है वह पैसा वापस नहीं आया है। उनमें से कुछ एंम्पलाईज रिटायर हो चुके हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह जानना चाहती हूं कि यह जो एक्सपोर्ट के लिए कार्पोरेशन बनी है, इसमें कितनी एक्सपोर्ट हुई है, कितनी इन्वैस्टमैंट है और उस इन्वैस्टमैंट का ब्याज कितना है। अगर सही माने में एक्सपोर्ट हो तो बहुत अच्छी बात है, हमारे पास बाहर से पैसा आएगा। लेकिन मैं यह जानना चाहती हूं कि सचमुच में एक्सपोर्ट करते हैं या किसी से लेकर एक्सपोर्ट करवाते हैं, मैं इसकी छानबीन चाहती हूं। जो स्माल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उनकी मदद हो तो यह अच्छी बात है लेकिन अगर ये अपने फेवरिट लोगों का सामान लेकर इधर-उधर करें तो मैं समझती हूं कि इसमें कोई फायदे वाली बात नहीं है। जो स्माल स्केल इंडस्ट्रीज अपना सामान बेच नहीं सकती हैं, उनके सामान को लेकर, हैन्डीक्राफ्टस को लेकर अगर ये एक्सपोर्ट करें, तब तो कोई बात है। जैसा कि प्वायंट आउट किया गया है, उसमें तो कोई ऐसी बात नजर नहीं आती है। मैं चाहती हूं कि सुधार होना चाहिए। पैसा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए।

उद्योग मन्त्री (श्री लछमन दास अरोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी बहिन जी ने स्माल स्केल इंडस्ट्रीज एण्ड एक्सपोर्ट कार्पोरेशन के बारे में काफी कुछ कहा। मैं बहन जी को बताना चाहता हूं कि यह जो इन्होंने बतलाया है कि इस तरह से मर्जी से चीजें खरीदते हैं, कोई मैनुफैक्चरिंग नहीं होती हम तो स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट करते हैं। यह नहीं है कि हमने कुछ लोगों को अपना प्रिय बनाना है। ये जो कहती हैं कि जो मैटीरियल है उसको कंडम शो करके एम्पलाईज

उठाकर ले जाते हैं और वे अपने चहेतों को या रिश्तेदारों को इधर-उधर दे देते हैं, यह बात उनकी बिल्कुल गलत है। वहां पर एक-एक आईटम किसी भी वक्त जाकर गिनी जा सकती है। वे पूरी वहां पर मिलेंगी। अगर कोई चीज कम होगी तो उसे नई आईटम की कीमत देनी पड़ेगी। (व्यवधान व शोर)

श्रीमती चन्द्रावती : आप गलत कह रहे हो।

श्री लछमन दास अरोड़ा : आप मेरी बात को सुनिये तो सही। इस एक्सपोर्ट कार्पोरेशन को बने हुए 27 साल हो गये हैं। 1992-93 का लेखा जोखा जिसके बारे में आपने पूछा है, यह तो हमारा सबसे ज्यादा प्रोफिट वाला ईयर है। इस वर्ष में 54 लाख 77 हजार रुपये का प्रौफिट है। (व्यवधान व शोर)।

श्रीमती चन्द्रावती : इसमें इन्वैस्टमैंट कितनी है, यह भी आप बता दो।

श्री लछमन दास अरोड़ा : इसमें इन्वैस्टमैंट तो होती नहीं है, इसमें तो टर्न ओवर होती है। इसमें हमारी इन्वैस्टमैंट तो कोई होती ही नहीं है। (हंसी) हम तो लोगों से चीजें लेकर आगे उनको बेचते हैं। पैसा अगले का होता है, इससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। बाकी फिर भी जो सुझाव या बातें इन्होंने कही हैं, हम उन पर गौर करेंगे और जो ठीक बातें होंगी, उनको करने की कोशिश करेंगे।

मुख्य मन्त्री/उपाध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : उपाध्यक्ष महोदय, हाउस को साईने डाई करने से पहले मैं स्पीकर साहब का, आपका और जितने भी चेयरमैन चेयर पर रहे हैं, उनका भी तथा आपके सैक्रेट्री, डिप्टी सैक्रेट्री, और सारे स्टाफ का भी धन्यवाद करता हूं कि आपने हाउस की कार्यवाही को बड़े शानदार तरीके से चलाया। इसके लिये आप सारे बधाई के पात्र हैं। अपोजीशन के सभी लीडर्ज और सदस्यों के प्रति भी मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं। कई बार सदन में शायद उनका रोल ठीक न रहा हो लेकिन अपोजीशन का भी एक रोल होता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अपोजीशन का रोल भी एक मर्यादा में होना चाहिए। गवर्नर साहब के एड्रैस का जिस तरह से उन्होंने बाईकाट किया, वह अच्छा नहीं किया। जैसे मैंने पहले भी गवर्नर साहब के एड्रैस का जवाब देते वक्त इस बारे में कहा था, उनका बर्ताव ठीक नहीं था। आखिर में भी वे बायकाट करके भाग गये। यह बात ठीक नहीं है। सारी बात हमने उनकी सुनी है। कम से कम सरकार का भी वर्शन उनको सुनना चाहिए। आगे के लिए वे इस बात का ध्यान रखेंगे, हम उनसे यह उम्मीद रखते हैं। इसके साथ ही मैं प्रैस मीडिया का भी आभार व्यक्त करता हूं कि इस मीडिया ने असैम्बली की कार्यवाही

[चौधरी भजन लाल]

को बड़े शानदार तरीके से उजागर किया है। मैं प्रैस के साथ-साथ टी0वी0 और रेडियो वालों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भी असैम्बली की कार्यवाही को बहुत ठीक तरीके से सारी की सारी कार्यवाही को दिखाया और प्रसारित किया। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। एक बार फिर मैं आपको बधाई देकर आपका और सारे स्टाफ का धन्यवाद करता हूं।

Mr. Deputy Speaker : May I thank the Leader of the House for the courtesy and grace, he has shown in the house for the Presiding Officers for the conduct of proceedings of the House.

Now, the House stands *adjourned sine-die.

*15.03 hours (The Sabha then adjourned sine-die.)

25771—H.V.S.—H.G.P., Chd.